राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अङ्क ५] तृतीय विधान सभा के पंचम् सत्र, १९६४ का १३ वां दिवस [संख्या ८]

बुधवार, दिनांक ४मार्च, १९६४

———

विधान सभा की बैठक म. पू. ८-०० बजे विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई।

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(आयुर्वेद, सार्वजनिक निर्माण, वन, शक्ति, आबकारी, विकास उद्योग, वित्त व पंचायत-विभाग)

———

प्रश्न संख्या १५५

श्री उपाध्यक्ष: श्री मजलिस खां।

(अनुपस्थित)

श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल।

सिकराय में आयुर्वेदिक औषधालय

१५६. श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल (सिकराय): क्या आयुर्वेदिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या सरकार तहसील सिकराय में आयुर्वेदिक औषधालय खोलने का विचार रखती है?

(२) यदि हां, तो किन किन ग्रामों में?

(३) यदि नहीं, तो क्यों?

(४) क्या यह सही है कि सिकराय क्षेत्र में ज्यादा आबादी किसानों की है और उनके स्वास्थ्य के लिये सरकार की ओर से कोई प्रबन्ध नहीं है?

उप-मंत्री, आयुर्वेद (श्री दौलतराम सारण): (१) जी नहीं।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

(३) योजनानुसार सिकराय तहसील में पहले से ही पर्याप्त औषधालय हैं।

(४) यह सही नहीं है कि सिकराय क्षेत्र में किसानों के स्वास्थ्य के लिए सरकार की ओर से कोई व्यवस्था नहीं है।

पंचायत समिति सिकराय क्षेत्र में सरकार की ओर से आठ औषधालय चालू हैं।

श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल: क्या यह सही है कि इन औषधालयों में कोई भी व्यवस्था नहीं है?

Page No.2

श्री दौलतराम सारण: सब मुकम्मिल व्यवस्था है।

श्री उपाध्यक्ष: श्री रामकिशन।

पेन्शन केस

१५७ श्री रामकिशन (वैर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या यह सत्य है कि श्री आर. डी. डानियाल, रोड रोलर ड्राइवर, पी. डब्ल्यू. डी. (बी. एण्ड आर.) कोटा डिवीजन को सन् १९५७ में रिटायर किया गया था परन्तु अभी तक उनके पेन्शन केस का निबटारा नहीं हुआ है?

(२) यदि हां, तो सरकार कब तक इस केस का निबटारा कर देगी?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग (श्री भवानीशंकर नन्दवाना): (१) जी हां, निबटारा किया जा चुका है। वे सेवा नियमों के अनुसार पेन्शन के अयोग्य हैं।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

श्री रामकिशन: समझ में नहीं आया, नियमानुसार क्या है?

श्री भवानीशंकर नंदवाना: पेन्शन के अयोग्य हैं।

श्री रामकिशन: वह किस प्रकार?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना: वह टेम्पोरेरी सर्विस में था।

श्री रामकिशन: कब से था? कितने दिन की सर्विस थी?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना: कितने ही दिन की सर्विस हो, लेकिन वह टेम्पोरेरी था।

श्री रामकिशन: लेकिन जो पुराने वर्क चार्ज थे उनको परमानेन्ट मान लिया गया था, तो इनको क्यों नहीं माना गया?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना: पुराने थे, लेकिन सर्विस रूल्स के मुताबिक नहीं माना गया।

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल (बयाना): कितने साल उसने राजकीय सेवा की?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना: यह अलग प्रश्न है।

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल: सवाल यह है कि जिस व्यक्ति ने जवानी से लेकर बुढ़ापे तक राज्य-सेवा की, बुढ़ापे में उसको दर-दर की ठोकर खाने के लिए आप छोड़ दें, यह कहां तक उचित है? आप तो यह बतायें कि उसकी लेन्थ ऑफ सर्विस कितनी थी?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र): वह १९४५ से पहले की सर्विस

Page No.3

(श्री हरिश्चन्द्र)

श्री और नान-पेन्शनेबल सर्विस थी। उसके बाद उसको री-एम्प्लॉय किया गया और रूल्स के अनुसार उसको पेन्शन नहीं मिलेगी।

प्रश्न संख्या १५८

श्री उपाध्यक्ष : श्री शंकरलाल।
(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १५९

श्री हरदत्तसिंह।
(अनुपस्थित)

श्री जुझारसिंह।

घास का आयात

१६०. श्री जुझारसिंह (चेचट) : Will the Minister for Forests be pleased to reply:—

(i) How many maunds of grass has been collected by Divisional Forest Officers of Kota, Baran, Bundi and Jhalawar respectively and at what rate?

ii) How has this grass been utilised and where?

(iii) At what other places in Rajasthan has grass been collected for famine relief work and what are the collection charges paid at each place?

(iv) How much grass has been imported from outside and from where?

उप-मंत्री, वन (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) इस वर्ष दुर्भिक्ष सहायता कार्य के लिए कोटा, बारां, बूंदी तथा झालावाड़ डिवीजन में वन अधिकारियों द्वारा जो घास इकट्ठी की गई है उसकी तादाद तथा दर निम्न प्रकार है:—

नाम डिवीजन	तादाद घास जो इकट्ठी की है	दर प्रति मन
कोटा	३५,६४२ मण	२.०५ प्रति मन
बारां	६५,००० मण	१.१६ ,,
बूंदी	१२,०४७ मण	१.६० ,,
झालावाड़	१०,००० मण	१.५५ से १.७५ ,,

(२) इस घास को अकालग्रस्त क्षेत्र में खोले गये भिन्न-भिन्न डिपो पर माइग्रेटिंग मवेशियों के लिये भेजा गया है जिसकी सूची निम्न प्रकार है :

नाम डिवीजन	नाम माइग्रेटिंग डिपो	तादाद घास जो सप्लाई की गई
१. कोटा	मंडाना	१,०५,५३९ किलो
	कुनाडी	५,५३,२०९ ,,
	तालेडा	२८,८९५ ,,
	बूंदी	१,०५,३२२ किलो
	हिण्डोली	४०,८११ ,,
	देवली	९९,३४५ ,,
	योग	९,३३,१२१
	या	२५,००४ मण

(श्री भवानीशंकर नन्दवाना)

२. बारां	देवली	६०,२१६	किलो
	बूंदी	८०,०५५	,,
	तालेरा	१८,७७८	,,
	हिण्डोली	४६,६२५	,,
	पलाभ्त	२,५३,२८७	,,
	मांगलियावास	१,८६,४४४	,,
	नसीराबाद	१,५६,६२४	,,

....

इस प्रकार अलग अलग भेजी गयी है

(...........क...........)

(३) दुर्भिक्ष सहायता कार्य के लिये उक्त स्थानों के अलावा अन्य स्थानों पर भी घास इकट्ठी की गई है उसकी सूचना निम्न प्रकार है:

नाम डिवीजन	घास जो एकत्रित की गई	औसत दर जिससे भुगतान किया गया
जोधपुर	१,१७,०६६ मण	.६५ प्रति मण
अजमेर	३५,५६१ मण	१.४५ ,,

....

अलग अलग जगह की अलग अलग रेट्स हैं

(...................ख...........)

(४) अब तक १,४६,४४३ मन घास महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब एवं केन्द्रीय यंत्रीकृत फार्म सूरतगढ़ से आयात किया गया है।

(कृपया 'क' व 'ख' के लिये परिशिष्ट १ देखिये)

श्री जुझारसिंह: आपने उत्तर के पार्ट 'ए' में कहा कि कोटा में २.०५ न० पै० प्रति मन की दर से और बारां से १.१६ न० पै० प्रति मन की दर से घास इकट्ठा किया तो इन दो डिवीजन में जो कि एक दूसरे से लगे हुए हैं, एक रुपये मन का फर्क कैसे आता है। इसका क्या कारण है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : अलग अलग जगह की अलग अलग परिस्थितियां हैं। कहीं बीड़ की देनी पड़ती है, कहीं दूर ज्यादा से आती है, कहीं कम दूरी से आती है। इस तरह अलग अलग परिस्थितियां है।

श्री जुझारसिंह : उन परिस्थितियों को तो हम भी जानते हैं। ऐसी परिस्थिति नहीं हो सकती कि एक रुपये का फर्क पड़ जाये। बारां के अलावा दूसरा डिवीजन कोटा है वह बहुत लम्बी-चौड़ी जगह है। किसी जगह का एडवान्टेज भी होता होगा। कोटा और बारां में इतना फर्क नहीं होता कि एक रुपया मन का फर्क आ जाये। यह तो कोई उचित बात नहीं है कि इसका कारण परिस्थितियां बता दी जायें !

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : आपके पास ऐसे कारण हों कि जिनसे जांच करवाई जा सके तो ऐसा भी किया जा सकता है।

श्री जुझारसिंह : यह सही नहीं है कि बारां में ३ रुपये मन की दर से घास इकट्ठी की गई जब कि १.१६ बतायी गयी है। क्या आप इसकी जांच करने का कष्ट करेंगे ?

Page No.5

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : हां, करवा ली जायेगी।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : बाहर से जो घास आया है वह किस भाव से आया है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : अलग अलग रेट्स हैं।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : क्या राज्य सरकार ने जिस प्रकार से घास आयात किया है उस प्रकार से राज्य सरकार के फोरेस्ट डिपार्टमेंट के पास जो घास था उसने क्या इस अकाल की स्थिति में भी राजस्थान के बाहर भी घास भेजा है ? जैसी मुझे खबर है, २० हजार मन भरतपुर से यू० पी० को दिया है और फोरेस्ट डिपार्टमेंट ने दिया है; इसका क्या मकसद है ?

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल (बयाना): यह तो ठीक है और अब भी जा रहा है।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : यह अलग से प्रश्न है। इसकी जानकारी नहीं है।

श्री जुझारसिंह : एक प्रश्न और पूछना चाहता हूं कि आपने यह घास बाहर के मवेशियों के लिये इकट्ठा किया है तो आपने यह भी ध्यान रखा है क्या कि जो लोकल मवेशी हैं उनके लिए आपके पास घास काफी है ?

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : वहां के जो लोकल मवेशी हैं उनको चराने का प्रबन्ध क्या सरकार ने किया है ? वहां से घास तो उठा लिया जो वहां था।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : ऐसी कोई दिक्कत आने वाली जैसी बात नहीं है। अगर दिक्कत आयेगी तो वहां भी इन्तजाम किया जायेगा।

श्री जुझारसिंह : जो चीफ कन्जर्वेटर ऑफ फोरेस्ट्स हैं उनको लिखा है कि धरा रेंज में जितने मवेशी हैं उनको बहुत कठिनाई आ गयी है और उसके लिए कोई प्रबन्ध सरकार की ओर से नहीं रखा है, न तो डिपो से बेचते हैं और न जंगल में घास है, इसका क्या प्रबंध है ?

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा): क्या यह सत्य है कि कोटा के अन्दर फेमीन के लिए जो घास इकट्ठा किया गया और वहां एक फैक्ट्री को दिया गया उसके बाद में वहां घास बिल्कुल नहीं रहा लोकल मवेशियों के लिए ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : वहां पर घास है मवेशियों के लिए। ऐसी कोई शिकायत होगी तो देख लिया जायगा।

श्री जुझारसिंह : धरा और कनवास के मवेशियों के चरने के लिए डिफिकल्टी है। उन लोगों की मांग ५–६ महीने से फोरेस्ट डिपार्टमेंट के सामने हैं। मैंने भी ३-४ लेटर्स उनको लिखे हैं, लेकिन अभी तक उनके लिए कोई प्रबन्ध नहीं किया गया है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : आइटम नं. २ में उप-मंत्री महोदय ने यह बताया कि लाखेरी से १८ हजार मन घास इकट्ठा किया गया है; तो यह बता दें कि कौन से जंगल से इकट्ठा किया गया है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : यह सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : आपने लिस्ट में नाम बताया है।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (अकलेर सू०): माननीय उपाध्यक्ष, एक प्रश्न मेरा है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : जंगल का नाम तो बतायें। उत्तर वैसे ही कह देते हैं।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल': जानवरों के वोट का सवाल....

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! The question is how this grass has been utilised, and not wherefrom.

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : मैं जानना चाहता हूं कि कोटा में आपने ४० नये पैसे क्विन्टल पर घास एक फेक्ट्री को दे दिया जब कि वहां के मवेशियों के चरने के लिए एक-एक रुपये में पूला मिलता है, शहर के मवेशियों के लिए आपने ४० नये पैसे के हिसाब से एक फेक्ट्री को घास दे दिया ?

श्री उपाध्यक्ष : Next question श्री मोहनराज।

कृषि हेतु बिजली की दरें

१६१. श्री मोहनराज (बाली) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि जब से राज्य सरकार ने कृषि हेतु १३ नये पैसे प्रति युनिट बिजली देना तय किया है तब से राज्य विद्युत मंडल ने कृषि कार्य हेतु नये बिजली कनेक्शन देना बन्द कर दिया है क्योंकि इससे विद्युत् मंडल को बड़ा घाटा पड़ता है ?

(२) क्या राज्य सरकार ने इस समस्या को सुलझाने हेतु कोई निर्णय लिया है ? यदि हां, तो क्या ?

(३) क्या राज्य सरकार द्वारा प्रति युनिट १३ नये पैसे का निर्णय लेने के पूर्व राज्य विद्युत मंडल से सलाह मशविरा कर लिया गया था और इस बारे में विचार कर लिया गया था कि इस दर के तय कर देने से बिजली उपलब्ध कराने के कार्य में कोई बाधा नहीं आयेगी ?

विद्युत् मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (१) जी नहीं। जहां पर चंबल व भाखरा की हाईडल रेट्स लागू है वहां पर कोई रोक नही लगाई गई है। जिन स्थानों पर थरमल व डीजल पॉवर स्टेशन हैं वहां पर विद्युत उत्पादन दर प्रति युनिट अधिक होने के कारण बिजली की लाइन डालने की योजना आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद सिद्ध नहीं होती है।

(श्री हरिश्चन्द्र)

(२) राजस्थान राज्य विद्युत् मंडल ने ऐसे कार्यों पर व्यय होने वाली धनराशि पर १० साल तक ब्याज की छूट दिये जाने को लिखा है। इस पर कोई अन्तिम निर्णय अभी तक नहीं लिया जा सका है।

(३) कृषक कार्यों को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से ही विद्युत की दर में कमी करने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया था।

श्री मोहनराज : राज्य सरकार इस विषय पर जो राज्य विद्युत मंडल की मांग है, उस पर कब तक निर्णय कर लेगी ?

श्री हरिश्चन्द्र : यह बातचीत चल रही है फाइनेन्स डिपार्टमेंट से और उसके बाद जब निर्णय सरकार ले लेगी तो आपके सामने आ जायेगा।

श्री मानिकचन्द सुराणा : कितने अर्से में तय हो जायगा इसके भी कुछ रूल्स होंगे ?

श्री हरिश्चन्द्र : यह अभी कहना बड़ा मुश्किल है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : यह तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक बातचीत चलती रहे तो इस कृषि कार्य के लिए बिजली देंगे ही नहीं क्या ?

श्री हरिश्चन्द्र : मैं अपनी तरफ से इस बात को पेश करूंगा। फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट इस तरीके से देखता है सारी चीजों को। उसके बाद में ही निर्णय लिया जायगा।

श्री मानिककचंद सुराणा : उपाध्यक्ष महोदय, यह एक इम्पोर्टेन्ट प्रश्न है। इसका जवाब राज्य सरकार से चाहा जा रहा है। अलग-अलग मिनिस्टर्स, होम मिनिस्टर, रेवेन्यू मिनिस्टर से नहीं चाहा जा रहा है। इसलिए वे कब तक बातचीत कर लेंगे, उसका फैसला कब तक हो जयगा, इस मसले पर संक्युत रूप से जवाब आना चाहिये न कि दूसरे डिपार्टमेंट को रेफर करने का कह दिया।

श्री हरिश्चन्द्र : आप डिटेल्स का पूछ रहे हैं इसलिए डिटेल की बात बताई है नहीं तो नहीं बताता।

श्री उपाध्यक्ष : आपके प्रश्न पर उन्होंने उत्तर दिया है कि फाईनेन्स डिपार्टमेंट से जब बात हो जायगी, तय हो जायगा; तब वह हो जायगा। समय निश्चित नहीं बता सकते हैं।

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष, जहां तक १३ नये पैसे का सवाल है वह १३ नये पैसे की जगह १२ नये पैसे होने चाहिये। क्वेश्चन में लिखा है कि १३ नये पैसे लगाया जाता है उसके रेफरेन्स में १२ नये पैसे कर दिये हैं।

उसके साथ-साथ जहां तक कृषि के लिए बिजली देने का सवाल है राज्य सरकार प्रति दिन उसको बढ़ावा देती है और यह हमारी नीति है कि जहां तक हो सके कृषि के अन्दर ज्यादा से ज्यादा दिया जाय, और हम यह आशा भी रखते हैं कि भारत इस सरकार के लिए सहायता भी देगी। यह सब बात चल रही है। पूरा निर्णय होने पर सही आंकड़े और पूरे डिटेल्स आपको बता देंगे।

Page No.8

प्रश्न संख्या १६२

श्री उपाध्यक्ष : श्री भगराज चौधरी ।
(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १६३ और १६४

श्री रामानन्द अग्रवाल ।

(अनुपस्थित)

पंचायत समितियों में विकास कार्यों के लिए सहायता एवं अनुदान

१६५. श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या यह सच है कि पंचायत समितियों में विकास कार्यों के लिए १।३ खर्चा गांव वालों को करना पड़ता है और बाकी सरकार को और यही नियम कुओं, स्कूल भवन व पंचायत घर बनाने में लागू होता है ? अगर हां, तो क्या पंचायत समिति सांचोर में भी इसका पालन होता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(२) क्या यह सच है कि पंचायत समिति सांचोर में किये गये विकास कार्यों में ज्यादातर केवल ५० प्रतिशत सहायता अनुदान सरकार द्वारा दिया गया है ? अगर हां, तो क्यों ? क्या सरकार भविष्य में पूरी ग्रान्ट इन-एड देने का विचार रखती है ?

उप-मन्त्री, विकास (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) ग्रान्ट-इन-एड नियमों के अनुसार विभिन्न विकास कार्यों के लिए जन-सहयोग का भिन्न भिन्न रूप से अनुपात निर्धारित है । उदाहरणार्थ पीने के पानी के कुओं के लिए एक-तिहाई, पक्के प्राइमरी स्कूल भवनों के लिए दो-तिहाई व पंचायत घर के लिए आधा जन-सहयोग आवश्यक होता है । पंचायत समिति सांचोर में भी इसी अनुपात से जन-सहयोग मिल जाता है ।

(२) जो विकास कार्य स्थानीय विकास कार्य योजना के अन्तर्गत लिये गये हैं उनमें नियमानुसार पचास प्रतिशत सरकारी अनुदान दिया गया है व अन्य में १/३ वर्तमान में पूरी ग्रान्ट-इन-एड देने की कोई योजना राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, आपने यह बताया कि १/३ सहायता देने का प्रावधान है और २/३ के जहां नियम बने हैं उसमें मैंने यह स्कूल वगैरह की बात पूछी है, उसमें पंचायत समिति, सांचोर को इस अनुपात में अनुदान नहीं दिया गया है, उसके बारे में आपने जानकारी हासिल की है क्या ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : अगर इस तरह की कोई दिक्कत हो तो दूर कर दी जायगी ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : दिक्कत वहां पर हो रही है । पिछले सालों में इस तरह की कार्यवाही विकास-कार्यों के लिए हो रही है उससे विकास—कार्यों में डिले हो रही है, इसकी कृपया जानकारी करें और भविष्य

Page No.9

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

में नियमों के अनुसार कार्यवाही हो और विकास-कार्यों में देरी न लगे इसलिए इसमें शीघ्रता होनी चाहिए ।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : ठीक है, जानकारी करवा ली जायगी ।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : क्या सांचोर की कुछ तहसीलों में अकाल घोषित किया गया है ?

योजना मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : जी हां ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्या यह सही है कि अकाल के क्षेत्रों में जो अनुदान जनता की तरफ से १।३ का है उसको १।४ कर दिया गया है ?

श्री मथुरादास माथुर : जहां पर अकाल पड़ा हुआ है वहां पर अनुदान जनता से नहीं लिया जाता है और फैमीन डिपार्टमेंट उस अनुदान का हिस्सा देकर कुए खुदाने का काम कराता है ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्या यह सही है कि यह अनुदान सांचोर को फैमीन रिलीफ फण्ड से नहीं दिया गया है ?

श्री मथुरादास माथुर : सांचोर के लिए मैं नहीं कह सकता हूं लेकिन यह हमारी जनरल पोलिसी है कि जहां पर अकाल पड़ा हुआ है वहां पर कुए खुदाने या और काम जिसमें पब्लिक पार्टीसिपेशन होना चाहिये, उसको फैमीन डिपार्टमेंट सप्लीमेंट करके उस काम को कराता है ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, कुए खुदा कर पानी की समस्या को हल करने के लिए फैमीन डिपार्टमेंट से जो पैसा मिलना चाहिए वह नहीं मिल रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन ।

जयपुर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स में राज्य सरकार के शेयर्स

१९९. श्री भैरोंसिह (किशनपोल जयपुर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) ३० सितम्बर, सन् १९६३ तक जयपुर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स में राज्य सरकार के प्रिफरेन्शियल शेयर्स का कितना डिविडेंड बाकी था ? कृपया वर्षवार तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(ख) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने यह डिविडेन्ड छोड़ दिया है ? यदि हां, तो क्यों ? यह राज्य सरकार द्वारा निर्णय कब लिया गया ?

(ग) क्या यह सही है कि जयपुर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स इस डिविडेन्ड को कैपिटल में शामिल कर कोई सीमेंट प्लान्ट लगाने की योजना बना रही है ? यदि हां, तो वह किस स्टेज पर है ?

उद्योग मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (क) जब तक कम्पनी डिविडेन्ड घोषित नहीं करती, शेयर होल्डर्स डिविडेन्ड्स के हकदार नहीं

Page No.10

(श्री हरिश्चन्द्र)

होते। तदनुसार ३०-६-६३ तक कम्पनी पर राज्य सरकार का कोई डिविडेन्ड बाकी नहीं था।

(ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(ग) कम्पनी द्वारा नीम का थाना में एक सीमेंट प्लान्ट लगाने की योजना अवश्य थी परन्तु तकनीकी कठिनाइयों के कारण यह योजना कार्यान्वित नहीं की जा सकी।

श्री भैरोंसिंह : डिविडेन्ड बकाया तो नहीं होता है प्रिफरेन्शियल शेयर्स पर, लेकिन क्लेम होता है तो वह क्लेम कितने का बाकी है ?

श्री हरिश्चन्द्र : क्लेम नहीं हो सकता है।

श्री भैरोंसिंह : मैं समझता हूं कि माननीय मन्त्री महोदय जो जवाब दे रहे हैं वह अनभिज्ञता से दे रहे हैं कि क्लेम नहीं हो सकता है। बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स की रिपोर्ट में है कि उसमें आपका क्लेम है जिसको कि आपने फोरगो किया है।

श्री हरिश्चन्द्र : वह क्या है ?

श्री भैरोंसिंह : उसको मैं पढ़ कर सुना दूं ?

श्री हरिश्चन्द्र : मैंने जो अर्ज किया है कि क्लेम इस वास्ते नहीं हो सकता है कि जब तक कि कम्पनी डिविडेन्ड डिक्लेयर नहीं करे तब तक कुछ नहीं हो सकता है।

श्री भैरोंसिंह : क्लेम तो हो सकता है लेकिन पेमेन्ट नहीं हो सकता है।

श्री हरिश्चन्द्र : क्लेम ही उसको कहते हैं जब कि लीगली वह क्लेम किया जा सके। डिविडेन्ड डिक्लेयर होता है उसके बाद क्लेम होता है।

श्री भैरोंसिंह : डिविडेन्ड डिक्लेयर किया हो तो पेमेन्ट होता है, लेकिन अब आगे जाकर करेगी तो आपका क्लेम तो होता है।

श्री हरिश्चन्द्र : वह तो ऑटोमेटिकली मिलेगा ही।

श्री भैरोंसिंह : मैं यही पूछ रहा हूं।

श्री हरिश्चन्द्र : मैंने कहा है कि it is conditional if the dividend is declared, otherwise you don't get it.

श्री भैरोंसिंह : इस समय तक आपके प्रिफरेन्शियल शेयर्स पर कितना क्लेम होता है ?

श्री हरिश्चन्द्र : डिविडेन्ड डिक्लेयर होता है उसके बाद क्लेम होता है।

श्री भैरोंसिंह : डिविडेन्ड डिक्लेयर होता है तो उसके बाद में पेमेन्ट होता है क्लेम उसी प्रकार रहता है चाहे कितने ही वर्षों के बाद डिविडेन्ड दें। जिस समय डिविडेन्ड देंगे उस समय तक एक्यूम्युलेट होता रहेगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस प्रकार का कितना क्लेम अपना अप टू १९६३ था ?

Page No.11

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : राज्य सरकार के कितने प्रिफरेन्शियल शेयर्स थे ?

श्री हरिश्चन्द्र : १२,४७१.

श्री उपाध्यक्ष : There is a question from Shri Bhairon Singh.

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार का जो डिविडेन्ड क्लेम था १६६३ तक का वह क्लेम कम्पनी के हित में फोरगो किया है ?

श्री हरिश्चन्द्र : क्लेम के लिये आप कह रहे हैं उसके लिये डिस्प्यूट है कि जब तक डिविडेन्ड डिक्लेयर नहीं होता है तब तक क्लेम का सवाल नहीं होता है। जब डिक्लेयर होगा उस समय मिल जायगा। क्लेम का मतलब यह नहीं कि कम्पनी लिक्वीडेशन में आ रही हो।

श्री भैरोंसिंह : बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स ने कैसे डिक्लेयर किया :

"This separate meeting of the holders of the 5½% Redeemable Cumulative Preferential Shares of the Company hereby consents and agrees to forgo their right to dividend on the said Preferential Shares of the Company for the period from 1st September, 1953 to 30th September, 1962 and also consents that with effect from 1.10.62. the rate of dividend on the said Preferential Shares be increased from 5½% taxable to 9. 3% per annum cumulative, subject to deduction of tax at source as may be required by the provisions of the Income Tax Act."

श्री हरिश्चन्द्र: यह बिल्कुल सही है।

श्री भैरोंसिंह : आपने क्लेम फोरगो किया है ?

श्री हरिश्चन्द्र: क्लेम फोरगो नहीं किया है। पोजीशन यह है कि This is a notional figure जो आप कह रहे हैं, accumulated dividend is notional figure.

श्री भैरोंसिंह : नोशनल फिगर प्रिफरेन्शियल शेयर्स का नहीं होता।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : (अश्रव्य)।

श्री हरिश्चन्द्र: इसलिये नोशनल है कि यदि १६५४ से १६६२ तक कोई डिविडेन्ड डिक्लेयर नहीं हुआ तो नोशनल ही रहा।

श्री भैरोंसिंह: ५॥ परसेन्ट पर केलकुलेट रहा।

श्री राधाकृष्ण गोयल: ऑर्डिनेरी पर नोशनल हो सकता है, प्रिफरेन्शियल पर ५॥ परसेन्ट फिक्स होगा।

श्री हरिश्चन्द्र: यदि डिविडेन्ड डिक्लेयर होता है तो मिलता है, नहीं होता है तो नहीं मिलता।

Page No.12

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्या इस कम्पनी में राज्य सरकार की तरफ से राज्य के डाइरेक्टर्स मनोनीत हैं ?

श्री हरिश्चन्द्र: जी हां।

श्री भैरोंसिह: मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया।

श्री हरिश्चन्द्र: आप जो कहेंगे उसको रिप्लाई करूंगा।

श्री भैरोंसिह: मेरा प्रश्न यह है कि आपके डाइरेक्टर्स ने पिछले ८ सालों में डिविडेन्ड डिक्लेयर कर दिया जाय इसका प्रयत्न किया या नहीं ?

श्री हरिश्चन्द्र: इसकी इन्फोर्मेशन मेरे पास नहीं है क्योंकि सन् ६२ का मामला है। डाइरेक्टर्स जाते हैं तब जरूर गौर करते होंगे।

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्या यह सही है कि कम्पनी ८ साल से मुनाफे में चल रही है ?

श्री हरिश्चन्द्र: मुनाफे से चलने पर तो डिविडेन्ड डिक्लेयर होता।

श्री मानिकचन्द सुराणा : फिर क्या करते हैं आपके डाइरेक्टर्स ?

श्री हरिश्चन्द्र: वे बहुत जागरूक हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्या यही नमूना है जागरूकता का ?

श्री भैरोंसिह : मैंने जिस पर्पज के लिये प्रश्न पूछा था उसका जवाब नहीं आया, उपाध्यक्ष महोदय, या तो मंत्रीजी यह कहदें कि हमारे शेयर्स पर जब भी डिविडेन्ड नहीं मिलता उस समय तक क्लेम एग्जिस्ट नहीं करता था इसलिये क्लेम करने का प्रश्न नहीं उठता... -

श्री हरिश्चन्द्र : पोजीशन यह है कि ये जो प्रिफरेन्शियल शेयर्स लिये थे, १२,४७१ शेयर्स ये जो लिये गये थे, उनकी वेल्यू पर रेट ऑफ इन्टरेस्ट था ५।। परसेन्ट और उसके बाद जो डिविडेन्ड एक्ट निकला उस डिविडेन्ड एक्ट के बाद यह रेट ऑफ इन्टरेस्ट ५।। परसेंट से ४.९ परसेन्ट पर आ गई है Have you understood that.

श्री भैरोंसिह : मैं समझ गया, लेकिन आप जो यह इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वह सही नहीं है।

श्री हरिश्चन्द्र : इन्फॉर्मेशन सही है; that the interest was reduced from 5½% to 4.9%.

श्री भैरोंसिह: In which year ?

श्री हरिश्चन्द्र : I cannot tell you which year, but it was reduced. Now the point is that these share. जो आपके पास शेयर्स हैं उनकी मार्केट वेल्यू क्या थी, मार्केट वेल्यू क्या होती है ? क्योंकि आज जो शेयर्स आपके पास पड़े हैं उनकी

Page No.13

(श्री हरिश्चन्द्र)

मार्केट वेल्यू यदि कुछ नहीं है तो शेयर्स कुछ नहीं होते, इसीलिये सरकार के सामने सवाल यह था कि ये शेयर्स मार्केट में बेचे जायें तो क्या वेल्यू हो। वेल्यू जो केल्कुलेट हुई वह ५५ रुपये पर-शेयर के हिसाब से केल्कुलेट हुई। वह इस तरह हुई कि अभी जो शेयर्स हैं उनका इन्टरेस्ट ९ के करीब हुआ तो उनकी मार्केट वेल्यू १०९ के आस-पास पड़ती है। इसलिये उसका रेट आॅफ इन्टरेस्ट ४.९ है तो मार्केट वेल्यू ५५ के पास आती है। ५५ प्लस ३९ रुपये आपका इन्टरेस्ट, ये कुल मिला कर ९४ हुए। तो उन शेयर्स की वेल्यू जो आपने लिये हैं ९४ रुपये होती है....

श्री मानिकचन्द सुराणा : ये ३९ कहां से आये ?

श्री हरिश्चन्द्र : इन्टरेस्ट डिविडेन्ड का। दोनों मिलाकर ९४ हुए। ९४ का हमने किया १००। आज जो मार्केट वेल्यू इन शेयर्स की ९४ रुपये थी उनकी वेल्यू केल्कुलेशन के बाद १०० हो गई और उस पर रेट आॅफ इन्टरेस्ट ४.९ था उसके बजाय हमने ९.६ लगाया, तो जो डिक्लेयर्ड वेल्यू थी उसकी इन्फ्लेमेटरी वेल्यू हमको मिली। we have gained by 6% plus the rate of interest which was 5½% has been raised to 9 or something.

श्री भैरोंसिंह : मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया। ये आपने रिटर्न्स शो किये, कारण बताये हैं वे बहुत डिस्प्यूटेड हैं, इन्क्वायरी तलब हैं..........

योजना मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : आप हाफ एन अवर डिस्कशन रेज़ कर दें।

श्री भैरोंसिंह : मेरा पार्टिक्यूलर क्वेश्चन है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि बोर्ड आॅफ डाइरेक्टर्स की रिपोर्ट में, जिसमें आपके प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं, उन्होंने गवर्नमेन्ट को रिपोर्ट किया है और इन शब्दों में किया है कि राजस्थान सरकार अपने प्रिफरेन्शियल शेयर्स पर जो उनका क्लेम था सन् ५२ से लेकर सितम्बर, ६२ तक डिविडेन्ड का उस क्लेम को सरकार फोरगो करती है उसका क्या मतलब है ?

श्री हरिश्चन्द्र : मैंने केल्कुलेशन करके बताया।

श्री भैरोंसिंह : मुझे तो आप मतलब बता दीजिये।

श्री हरिश्चन्द्र : वह नोशनल फिगर है जिसकी वेल्यू नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : नोशनल कैसे है ?

श्री हरिश्चन्द्र : We have gained the same value of share which was not there in the market.

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम): उपाध्यक्ष महोदय, यह कहां तक उचित है कि एक एक प्रश्न पर इतना समय लिया जाय ?

Page No.14

श्री उपाध्यक्ष : I think we can not raise it like this now.

श्री भैरोंसिंह : देवगढ़ के तालाब के लिये तो इतना समय लिया जा सकता है, लेकिन यह इतना अहम प्रश्न है जहां गर्वनमेंट के १२ लाख रुपयों का प्रश्न आता है उसके बारे में आप कहते हैं कि इतना समय नहीं दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : इसके लिये अलग से पूछना उचित रहेगा। श्री श्रवणलाल।

योजना मन्त्री (श्री मथुरादास माथुर) : यह कानून का मामला है।

श्री भैरोंसिंह : जिस समय आप गृह मंत्री थे उस समय कानून का मामला बतलाते तो ठीक रहता।

वीविंग सेन्टर में शिक्षा पाने वालों की सोसायटी

१६७. श्री श्रवणलाल, (हिन्डौन) [श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) द्वारा पूछा गया] क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि हिन्डौन पंचायत समिति में वीविंग सेन्टर में शिक्षा पाने वालों से सोसाइटी बनाने के बहाने रकम काटी गई है ?

(२) यदि हां, तो वह रकम कितनी है और कहां पर जमा है ?

(३) क्या यह सच है कि उनकी सोसायटी बन चुकी है और पैसा भी आ चुका है ? यदि हां, तो कितना पैसा आया है ?

(४) क्या यह भी सच है कि उनके लिये न सोसाइटी का पैसा मिल रहा है और न उनसे काटे हुए शेयर के पैसे मिल रहे हैं ? यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या सोच रही है ?

पंचायत मंत्री (श्री भीखाभाई) :

(१) जी नहीं। रकम शिक्षार्थियों की सहमति से काटी गई थी।

(२) १८४.४० नये पैसे हिन्डौन क्रय विक्रय सहकारी समिति में जमा हैं।

(३) समिति रजिस्टर्ड हो चुकी है। उपरोक्त रकम के अलावा और कोई रकम नहीं आई है।

(४) जी हां, अभी कर्जा नहीं मिला है। कर्जे की दरख्वास्त तैयार की गई है। सोसाइटी चालू होने से शेयर की रकम वापिस मिलने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, कल तो आपने प्रश्न पूछना अलाउ किया था।

श्री उपाध्यक्ष : कल किया था, लेकिन आज नहीं करने की इच्छा है। श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत।

Page No.15

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का दैनिक भत्ता

१६८. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को बाहर यात्रा में प्रतिदिन एक रुपया भोजनादि के लिए मिलता है ?

(२) क्या यह सही है कि मंत्रीगण और अफसर लोगों के लिये सर्किट हाउस में ठहरने का प्रबन्ध रहता है और उसके साथ जाने वाले चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी भी वहीं ठहरते हैं और सर्किट हाउस में चतुर्थ श्रेणी के लोगों के एक समय के भोजन की कीमत एक रुपया निर्धारित है ?

(३) यदि हां, तो क्या सरकार इन परिस्थितियों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का दैनिक भत्ता बढ़ाने का विचार रखती है ?

उप-मंत्री, वित्त (श्रीमती कमला बेनीवाल) : (१) जी नहीं। दैनिक भत्ते की न्यूनतम दर राजस्थान में एक रुपया पच्चीस नया पैसा (रु० १.२५) प्रति दिन है।

(२) जी हां, भोजन की न्यूनतम दर एक रुपया निर्धारित है।

(२) फिलहाल ऐसा कोई विचार नहीं है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को १.२५ रुपया मिलता है और दो समय के भोजन के लिये कम से कम २ रुपये देने पड़ते हैं; इसका मतलब यह हुआ कि क्या वे अपनी जेब से खर्च करें ?

श्री रामकिशन (वैर) : इसका मतलब यह है कि वे भूखों मरें।

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

श्रीमती कमला बेनीवाल : किसी भी कर्मचारी को खर्च के हिसाब से दैनिक भत्ता नहीं दिया जाता है, लेकिन उसकी कैटेगरी बना कर दैनिक भत्ता कायम किया है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : उनके खाने का क्या इन्तजाम होगा जब कि उनका गुजर पूरा नहीं चलता है, हर आदमी के बीबी-बच्चे हैं। तो क्या सरकार नहीं सोचती कि इनकी तनख्वाह में गुजारा नहीं चलता, दैनिक भत्ते से पूरा नहीं पड़ता, इसलिए उस पर विचार किया जाय ?

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री और ऑफिसर साढ़े बारह और पन्द्रह रुपये तक लेते रहें और गरीब बेचारा मरता रहे, इसका मतलब क्या है ? जरूर गवर्नमेंट में कुछ गड़बड़-घोटाला है।

विधि मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : गड़बड़-घोटाला !

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : तनख्वाह से ही मतलब नहीं है। जैसा मंत्री

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल) जी ने जवाब दिया है वेतन स्तर के आधार पर भत्ता दिया जाता है। लेकिन जब आप उसको बाहर भेजते हैं या आपके साथ चलता है तो आप तो सर्किट हाउस में ठहर जाते हैं और वह दूसरी जगह आठ आना या एक रुपये में ठहरता है। अगर सर्किट हाउस में ठहराता है तो उससे आठ आना ले लेते हैं।

वित्त मंत्री (श्री बालकृष्ण कौल) : फ्री है।

श्रीमती कमला बेनीवाल : चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से चार्ज नहीं किया जाता है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : आप यह नहीं सोचिये कि वेतन स्तर क्या है। आप सोचिये कि बाहर जाने के बाद आदमी किस परिस्थिति में होता है और उसके आधार पर उसे भत्ता मिलना चाहिए। क्या सरकार जायज समझती है, आज की परिस्थिति में सरकार ठीक समझती है कि उसके अन्दर संशोधन किया जाना चाहिए ?

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : उनको दैनिक भत्ता डेढ़ रुपया मिलता है जब कि एक दफा के खाने के लिए एक रुपया खर्च करना पड़ता है; क्या इसके लिए सरकार व्यवस्था करेगी ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : खाने का चार्ज नहीं किया जाता है। वह दैनिक भत्ता दिया जाता है, उससे बाहर खा सकते हैं या वहां खा सकते हैं।

श्री रामकिशन (वैर) : वह जाये कहां ?

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : एक रुपये में वह एक दफा का खाना खा सकता है।

श्री मथुरादास माथुर : बड़े आराम में है।

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, यह मौलिक सवाल है। हम जनता के प्रतिनिधि यहां बैठे हैं। क्या हम इस बात को नहीं देख सकते कि इन व्यक्तियों को भूखा मरने के लिए बाध्य किया जाता है। यह क्लास भेद उच्च श्रेणी को है....

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल : अगर....

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न है !

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : मेरा एक प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : यह सम्भव है कि जो व्यवस्था है वह बिल्कुल बराबर नहीं हो....

श्री गिरधारीलाल व्यास : क्या मंत्री महोदय आश्वासन देंगे कि इस पर विचार किया जायगा ?

श्री उपाध्यक्ष : इस पर सरकार विचार कर सकती है, और आगे बहस करने की आवश्यकता नहीं है।

Page No.17

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : आश्वासन दे दें कि बढ़ाया जायगा।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : आश्वासन दे दीजिये।

श्री भैरोंसिह (किशनपोल, जयपुर) : On a point of order, Sir, उपाध्यक्ष महोदय की तरफ से यह कहा गया कि जो उनको भत्ता मिलता है वह अनुपयुक्त है या जितनी आवश्यकता है उतना नहीं होता है। यह चेअर का डाइरेक्शन समझा जाय या रूलिंग समझी जाय ?

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य को याद दिलाऊंगा कि मैंने सम्भव है कहा है। उसका भी ध्यान रखें।

श्री भैरोंसिह : सम्भावना प्रतीत होती है, यह माननीय उपाध्यक्ष का मत है ?

श्री रामकिशन : यह मत है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आसन से विचार नहीं कर सकता।

श्री रामकिशन : आपके विचार से जो........

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! order !!

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : यह सदन की भावनाओं का प्रतिबिम्ब है और जनता की भावना का हमारे विचार प्रतिबिंब हैं। इसे इस भावना से देखना पड़ेगा।

श्री मथुरादास माथुर : यह सब गड़बड़ घोटाला है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री विट्ठलभाई।

बनास नदी के पुल की मरम्मत

१९९. श्री विट्ठलभाई (बांसवाड़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) बांसवाड़ा जिले में बनास नदी के पुल की मरम्मत पर सरकार अब तक कितनी धनराशि व्यय कर चुकी है ?

(२) क्या सरकार इस पर नया पुल बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों।

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) मरम्मत पर धनराशि व्यय नहीं की गई है।

(२) प्रस्ताव विचाराधीन है।

श्री विट्ठलभाई : आप कह रहे हैं कि प्रस्ताव विचाराधीन है। चार साल से पुल टूटा हुआ है और आपके राज में विचाराधीन है। यातायात की बड़ी असुविधा है।

विधि मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : इसीलिए विचाराधीन है।

श्री रामकिशन (वैर) : यह पता लगाना चाहिए कि कब तक हो जायगा ?

श्री उपाध्यक्ष : विचाराधीन है।

श्री रामकिशन : चार साल से विचाराधीन है। वह आदिवासियों का इलाका है। इस पर जल्दी निर्णय होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय आश्वासन दे सकते हैं कि कब तक पूरा हो जायगा ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : यह सवाल अर्थ पर निर्भर करता है, इसलिए ज्यों ही अर्थ उपलब्ध हो जायगा इसे लिया जा सकेगा।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : उपाध्यक्ष महोदय, यह स्थिति बहुत बुरी है कि सरकार कह देती है, अर्थ का प्रबन्ध नहीं है। आखिर सरकार बनाई किस लिए है। इसलिए बनाई है कि जहां समस्या आये तो वहां समस्याओं का समाधान करे।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, कहीं कहीं अर्थ का प्रश्न आता है और तारतम्य बैठा कर एक एक प्रोग्राम को लिया जाता है। आज जो विशेष परिस्थिति है और जिस परिस्थिति के अन्दर बजट में घाटा है, अकाल का प्रश्न है इत्यादि इत्यादि—ऐसी परिस्थिति में शायद सरकार को सोचना पड़ता है। इस स्थिति को ध्यान में रखा जाय।

श्री भैरोंसिंह : कौन से बजट में घाटा है ?

श्री उपाध्यक्ष : सम्भव है कि इस प्रकार की कोई स्थिति हो सकती है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : इस बजट में घाटा है या नफा है ?

श्री उपाध्यक्ष : मुझे पता नहीं। मैं कह रहा हूं, आज की आर्थिक स्थिति है वह ऐसी नहीं हैं कि जिसके अन्दर हर एक नया कार्य उठाया जा सके।

श्री माणकचन्द सुराणा : इरिगेशन, पी. डब्ल्यू. डी. का बजट है उसमें कम से कम प्रावधान किया जा सकता है कि इस पुल की मरम्मत कर दी जाय। इसमें लाख दो लाख का प्रश्न नहीं है। यह प्रश्न कई दफा पूछा जा चुका है। यह कहना कि विचाराधीन है, उचित नहीं है। अब प्रावधान किस बजट में रखा जायगा, यह भी पता नहीं है। मैं समझता हूं कि यह प्रॉपोजीशन का एरिया है और इसलिए निग्लेक्टेड है। इसे निग्लेक्ट करना उचित नहीं है।

श्री मथुरादास माथुर : That is incorrect.

निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री रामकिशन : इससे सारी इकोनोमी खराब हो रही है।

श्री मथुरादास माथुर : आपने देखा है, पुल बना हुआ है।

श्री रामकिशन : पुल नहीं है। वहां का आवागमन रुका हुआ है।

Page No.19

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : पी.डब्ल्यू. डी. मिनिस्टर जवाब दे रहे थे ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : क्या इस कार्य को प्राथमिकता देंगे ?

श्री हरिश्चन्द्र : I am not expected to reply to four people at a time, if they start putting questions to me. I can reply to one man only.

श्री उपाध्यक्ष : आप यह जानना चाहते हैं कि काम कब तक पूरा हो जायगा।

श्री हरिश्चन्द्र : फाइनल सेंक्शन दे दी गई है। काम बहुत बड़ा है। यह कहना मुश्किल है कि एक साल में, दो साल में कम्प्लीट कर देंगे।

The project is ready. investigation has been made, financial sanction has been given and we will take it up on highest priority.

श्री उपाध्यक्ष : I hope that is all right.

पंच के जाली इस्तीफे का केस पंचायत गिधानी

१७०. श्री अमरसिंह (दूदू): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या शिवनाथ, पंच, गिधानी पंचायत (पंचायत समिति, दूदू) के जाली स्तीफे का केस संबंधित विभाग में चल रहा है ?

(२) अगर हां, तो उसको स्टे क्यों नहीं मिला ?

(३) क्या यह केस सरपंच के अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस आने के बाद बना था ?

उप-मन्त्री, पंचायत (श्री भवानीशंकर नन्दवाना): (१) सम्बन्धित मामले में जांच पूरी हो चुकी है।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

(३) त्यागपत्र अविश्वास प्रस्ताव पेश होने के पहले की तारीख का था किन्तु जिलाधीश कार्यालय में बाद में प्रस्तुत हुआ।

श्री अमरसिंह : जांच हो चुकी है तो क्या आप बता सकते हैं कि इस्तीफा जाली था या सही था ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : सही था।

श्री अमरसिंह: इसके सरपंच को क्या सजा दी गई है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : जाली था ही नहीं। सजा का प्रश्न पैदा नहीं होता।

श्री अमरसिंह : इस्तीफा सही था या गलत आदमी द्वारा दिया गया है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : इस्तीफा सही था।

श्री अमरसिंह : केस निजामत में क्या चल रहा है?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना: इस मामले में चल रहा है, और उसमें है क्या?

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : निजामत में मामला चलाया गया है वह किसके द्वारा चलाया गया है।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : एस. डी. ओ. के द्वारा जांच करवाई गई थी।

श्री भैरोंसिंह : आपने कहा, निजामत में मामला चल रहा है वह क्या चला है?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : मैंने तो नहीं कहा।

श्री भैरोंसिंह : आपने कहा था....

विधि मंत्री, (श्री मथुरादास माथुर) : वह तो 'नजाकत' कहा था।

श्री अमरसिंह: मामला निजामत में चलरहा है। वहां का सरपंच कांग्रेस का है इसलिए उसको बचाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव से, जाली इस्तीफा दिया गया और सही त्यागपत्र नहीं दिया गया इस मामले को टालने के लिए।

पंचायत मंत्री (श्री भीखाभाई) : यह कहा गया कि त्यागपत्र की जांच कराई। यह उसके बारे में कहा कि वह त्याग जाली था या सही था। एस. डी. ओ. ने कहा कि उस पर अंगूठा था और वह सही था।

श्री भैरोंसिह: अंगूठा निशानी की जांच कराई गई कि वह उसका था या नहीं।

श्री भीखाभाई : The thing is, उन्होंने बताया है, एस. डी. ओ. सांभर ने बताया है कि त्याग-पत्र पर अंगूठा लगाया गया है वह उन्हीं का है। उसने इसे माना है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : अंगूठे निशानी का सवाल है, इसकी सच्चाई एक्सपर्ट की जांच के द्वारा ही मालूम हो सकती है।

श्री भवानीशंकर नदवाना : उसने मंजूर किया है कि अंगूठा निशानी मेरी है तो फिर एक्स्पर्ट द्वारा जांच का प्रश्न कहां पैदा होता है।

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : एक्सपर्ट की जांच की आवश्यकता नहीं है। वह खुद मंजूर कर रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचन्द चौधरी।

कृषकों को बिजली देने की योजना पंचायत क्षेत्र, दौसा

१७१. श्री मूलचन्द चौधरी (दौसा) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री मूलचन्द चौधरी)

(१) क्या यह सही है कि दौसा पंचायत समिति क्षेत्र के कृषकों के कुओं को बिजली देने की सरकार की योजना है ?

(२) यदि हां, तो वह कब तक क्रियान्वित हो जावेगी ?

(३) यदि नहीं, तो क्यों ?

उप-मंत्री सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नंदवाना) : अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

एक माननीय सदस्य : आप कौन से प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं ? यह तो विद्युत् मंत्री से सम्बन्धित है ।

श्री रामकिशन (वैर) : यह बिजली का प्रश्न है । आप किसका जवाब दे रहे हैं ?

विद्युत मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (१) जी हां ।

(२) खोग्रा ग्राम के आस पास के कुओं को सन् १९६५ के अन्त तक बिजली दिये जाने की सम्भावना है ।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि जो गलत उत्तर पहले दे दिया गया है उसको प्रोसीडिंग्ज में से निकलवा दिया जावे क्योंकि सुपरफ्लुअस चीज इसमें नहीं आनी चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष : That will be expunged.

प्रश्न संख्या १७२

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १७३

श्री भीमसेन ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १७४

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ।

(अनुपस्थित)

टीन के स्टॉकिस्ट्स, भरतपुर

१७५. श्री रामकिशन (वैर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) भरतपुर में टीन के स्टॉकिस्ट कितने हैं ?

(२) सन् ६१, ६२, व ६२-६३ में स्टॉकिस्ट्स को कितना कोटा दिया गया है ?

(श्री रामकिशन)

(३) क्या सरकार ने इन स्टॉकिस्टों का स्टॉक कभी चैक किया है ? यदि हां, तो कब कब और चैकिंग का क्या परिणाम रहा है ?

उद्योग मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (१) भरतपुर में टीन (लोहे की चादर) के स्टॉकिस्ट मानामल एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड है।

(२) सन् १९६१–६२ से स्टाकिस्ट को २०८ टन टीन का कोटा दिया गया है, और १९६२-६३ में केन्द्र से टीन का कोई कोटा नहीं आया। अतः इस वर्ष में कोटा देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(३) स्टॉकिस्टों के पास जैसे ही कोई माल आता है वह सम्बन्धित अधिकारियों को उसके प्राप्त होने की सूचना दे देते हैं तथा सम्बन्धित अधिकारी उस माल का वितरण परमिटों के द्वारा कर देते हैं, अतः स्टॉक चेक करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): क्या यह वितरण व्यवस्था ठीक तरह से चल रही है या नहीं, इसकी भी कभी जांच को जा रही है या नहीं ?

श्री हरिश्चन्द्र : मेरे पास कोई ऐसी शिकायत नहीं कि जिसके द्वारा यह कहा जावे कि यह व्यवस्था ठीक नहीं है।

श्री रामकिशन : वितरण ठीक तरह से होता है या नहीं इसके लिये जांच की गई है या नहीं ?

श्री हरिश्चन्द्र : कोई कम्प्लेन्ट नहीं आई है अभी तक। जिसको माल देना होता है उसको परमिट दे दिया जाता है और वह माल ले जाता है। अगर कोई गड़बड़ हो तो आप बतावें। मेरे पास तो कोई शिकायत नहीं है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : साधारणतः व्यवस्था इस तरह की होती है कि जो माल आता है वह तीन महीनों के अन्दर बिक जावे तो ठीक अन्यथा वह फ्री सेल कर दिया जाता है, इसमें अनुभव होता यह है कि स्टाकिस्ट महीने-डेढ़ महीने बाद तो इत्तला देते हैं। उसके बाद आपने परमिट जारी करने में १० दिन लग गये। उसके बाद में कुछ दिन क्लर्क परमिट को दबा कर बैठ गया। इस तरह से परमिट का माल परमिट वाले को नहीं मिलता है और तीन महीनों के बाद वह फ्री सेल में बिकता है। इसकी जांच की है या नहीं।

श्री हरिश्चन्द्र : अगर कोई शिकायत हो तो जांच कराई जा सकती है। This is a factual thing. What is happening ? अगर आपके पास इस प्रकार की कोई जानकारी हो तो आप बतावें, जरूर जांच की जावेगी।

श्री रामकिशन : क्या माननीय मंत्री महोदय अब भी इसकी आवश्यकता नहीं समझते कि चैकिंग हो। डिपार्टमेंट को इसको देखना चाहिये और चैक करना चाहिये। तीन महीने के बाद वह माल फ्री सेल में उठा देता है। सरकार को यह देखना और चैक

(श्री रामकिशन)

करना चाहिये कि वह कोटा किस-किस परमिट से मिला। होता यह है कि वह सारा का सारा कोटा किसी न किसी तिकड़मबाजी से ब्लैक में बेच दिया जाता है।

श्री हरिश्चन्द्र : उपाध्यक्ष महोदय, यह भाषण हो रहा है या प्रश्न पूछा जा रहा है। मैंने कहा कि इस मामले में सरकार जागरूक है। चैकिंग होता है। इसके बावजूद भी अगर कोई बात आपके ध्यान में हो तो आप बतावें। कार्यवाही की जावेगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अभी तो आपने इन्कार किया था कि चैकिंग नहीं होता। यही तो बात है।

श्री हरिश्चन्द्र : He should let us know if there is anything.

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इसका चैकिंग करावें और इसकी जांच करावें।

श्री हरिश्चन्द्र : जांच इसकी होती है। Every effort is being made.

श्री रामकिशन : अगर जांच होती है तो आप बताने की कृपा करेंगे कि कब-कब जांच कराई गई और किन-किन तारीखों को कराई गई।

श्री हरिश्चन्द्र : इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है।

एक माननीय सदस्य : अभी माननीय मंत्री महोदय ने उत्तर दिया था कि कोई शिकायत हमारे पास नहीं है। अगर कोई आप उदाहरण दें तो आप बता दें उसकी कार्यवाही की जावेगी।

श्री हरिश्चन्द्र : मेरा मतलब यह है कि रुटीन में चैकिंग होता है।

श्री रामकिशन : वह भी नहीं होता है।

श्री हरिश्चन्द्र : इसकी जांच करके बता दूंगा।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मैं यह कहूंगा कि २५ परसैन्ट माल का भी युटिलाइजेशन नहीं होता। सारा का सारा माल ब्लैक में चला जाता है।

श्री हरिश्चन्द्र : आप बतावें कि किसने ब्लेक में बेचा है। आप बतावेंगे तो we shall take action on that.

श्री रामकिशन : हमने आपका ध्यान दिलाया था मगर आपने कोई कार्यवाही नहीं की।

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : Order please!

मैं समझता हूं कि सरकार इस बारे में पूरी जानकारी करके चैकिंग की व्यवस्था करेगी।

एक माननीय सदस्य : यह माननीय मन्त्री महोदय ने स्वीकार किया है कि.......

श्री गिरधारीलाल व्यास (ग्रासीन्द) : ग्रापका रूलिंग हो गया । ग्रापके रूलिंग के बाद कोई बहस नहीं होनी चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! श्री श्रवणलाल ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि चन्दा तो उनसे ग्रापकी पार्टी ले ग्रौर मन्त्री महोदय के पास चैकिंग करने के लिये शिकायत करें हम । जब कि ग्राम जनता परेशान है तो ग्रापको खुद को इसका प्रबंध करना चाहिये । हमारे ऊपर रोब डालने के लिये कहते हैं । मैं समझता हूं कि यह गलत परम्परा है ।

श्री हरीश्चन्द्र : रोब तो ग्राप गालिब करते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री श्रवणलाल ।

श्री रामकिशन : हम ग्रापको इसकी सूचना देते हैं ।

श्री उपाध्य : Order please ! Order !!

प्रश्न संख्या १७६

श्री श्रवणलाल ।

(ग्रनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १७७

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा ।

(ग्रनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १७८

श्री हरिराम चौहान ।

(ग्रनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १७९

श्री ग्रब्दुलजब्बार ।

(ग्रनुपस्थित)

श्री हरिप्रसाद ।

ग्राम पंचायत, तलवास के सरपंच के खिलाफ मुकदमा चलाने की ग्राज्ञा

१८०. श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत तलवास, तहसील नैनवा, जिला बूंदी के सरपंच ने तलवास के बाग में से पेड़ कटवा कर नष्ट-भ्रष्ट करवा दिये ?

(२) यदि हां, तो कुल कितने पेड़ कौनसी किस्म के उक्त बाग से कटवाये गये हैं ? तालिका सदन की मेज पर रखें ।

(३) जिस बाग को ठेके पर देकर कटवाया गया है उसकी पंचायत को ग्रामद कितनी हुई है ?

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

(४) क्या सरपंच तलवास को यह अधिकार था कि इस प्रकार हरे भरे बाग को कटवा दें ?

(५) क्या यह सही है कि डी. एफ. ओ. बूंदी ने उक्त सरपंच के खिलाफ मुकदमा दायर करने की इजाजत सरकार से चाही है ?

(६) यदि हां, तो सरपंच के खिलाफ मुकदमा चलाने की आज्ञा दी गई या नहीं ?

उप मंत्री, वन (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) जी हां

(२) कुल ९६ पेड़ कटवाये हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) इस बाग को ठेके पर देने से पंचायत को ८००) रु० की आमदनी हुई है।

(४) जी नहीं।

(५) जी हां। उपवन संरक्षक, बूंदी ने जिलाधीश महोदय से अपने पत्र सं० १३०२५। ठेका दिनांक २०।१२।६२ द्वारा उक्त सरपंच के खिलाफ मुकदमा दायर करने की स्वीकृति चाही थी।

(६) इस सम्बन्ध में उप जिला विकास अधिकारी द्वारा जांच करवाई गई थी तथा उनकी रिपोर्ट के आधार पर सरपंच से जवाब मांगा गया है। सरपंच के जवाब आने पर आगे कार्यवाही होगी।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिए)

श्री हरिप्रसाद शर्मा : माननीय मन्त्री महोदय ने पेड़ों को कटवाना स्वीकार किया है और उन्होंने सूची भी दी है इसकी कीमत के आपने ८००) रु० बताये। मैं यह पूछना चाहूंगा कि माननीय मन्त्री महोदय बतावें कि वह कितनी कीमत की हो सकती थी और उसका कितने में ठेका दिया गया ?

श्री भवानीशंकर नंदवाना : मुझे क्या मालूम कि कितने की हो सकती थी।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : जब उसके खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत चाही तो उसको वार्निंग देकर छोड़ दिया। क्यों नहीं उसके खिलाफ मुकदमा चलाया गया ?

श्री भवानीशंकर नंदवाना : सरपंच से जवाब मांगा गया है। सरपंच का जवाब आने पर आगे कार्यवाही की जावेगी।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : अगर किसी दूसरे व्यक्ति ने ऐसा किया होता तो आप उसको सस्पेन्ड कर देते।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या सरकार यह बतावेगी कि यह मामला गवर्नमेंट के नोटिस में कब आया और गवर्नमेंट ने अब तक क्या कार्यवाही की ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : गवर्नमेंट के नोटिस में आते ही गवर्नमेंट ने कार्यवाही की।

श्री भैरोंसिंह : मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह सरकार के नोटिस में कब आया ?

श्री उपाध्यक्ष : सरकार के नोटिस में कब आया, यह पूछ रहे हैं।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : यह १०.५.६३ से आया।

श्री भैरोंसिंह : १०-५-६३ से पहले का प्रश्न है, यह आप देख लें।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : जिला विकास अधिकारी को २५-५-६३ को आज्ञा दी गई कि इस मामले की जांच करे।

श्री भैरोंसिंह : गवर्नमेंट के पास इस प्रकार की जानकारी कब आई कि कम कीमत में अनधिकृत रूप से पेड़ काटे गये हैं ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : यह जानकारी इस समय मेरे पास नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : कलेक्टर ने सन् १९६३ के पांचवें महीने में जांच के आदेश दिये थे तो अब तक क्या जांच की गई है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : सरपंच से जवाब मांगा है।

श्री भैरोंसिंह : क्या गवर्नमेंट इसको डिस्ग्रेसफुल नहीं समझती कि इस प्रकार की हानि होने की गवर्नमेंट के पास शिकायत पहुंच जाय और ९ महीने तक कोई कार्यवाही नहीं हो ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : इन्क्वायरी में वक्त तो लगता ही है।

श्री भैरोंसिंह : आप क्या समझते हैं ? इस प्रकार के मामले में इस प्रकार की ढिलाई बरतना कहां तक उचित है।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : ज्यादा लम्बा समय तो नहीं लगा है, फिर भी इस मामले में शीघ्र कार्यवाही की जायगी।

श्री उपाध्यक्ष : इस मामले में शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही की जायगी।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : इस मामले में जवाब क्या तलब करना है, पेड़ अनधिकृत रूप से कटाये गयें हैं ?

योजना मंत्री (श्री मथुरादास माथुर): पेड़ बहुत थे।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : क्या यह सही है कि जितनी लकड़िया काटी गईं उनको डी. एफ. ओ. साहब ने जब्त कर ली है ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : यहां इस प्रश्न के बारे में जरासी गलतफहमी है, वह मैं दूर कर देना चाहता हूं। गवर्नमेंट का बाग था, वह पंचायत को दे दिया। तो प्रश्न यह आया कि पंचायत को बाग दिया वह मैन्टेनेन्स के लिए दिया तो पंचायत उसकी आमदनी का लाभ भी उठा सकती है या नहीं। इस पर इन्क्वायरी होना आवश्यक है। उनको काटने का अधिकार है या नहीं, इसी मामले की इन्क्वायरी हो रही है। कोई वन विभाग में से सरपंच ने पेड़ कटा लिये हों ऐसी बात नहीं है। बाग पंचायत

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

को दिया गया था उसमें से पेड़ कटा लिये, जो मेन्टेनेन्स के लिये बाग दिया गया उसका फायदा ही उठाना चाहिये या लकड़ी काट कर पंचायत बेच सकती है, इसकी जांच हो रही है। सरपंच ने जो पेड़ कटवा कर बेचे उनकी आमदनी पंचायत में जमा हुई है, कोई गबन का मामला नहीं है, सरपंच के खिलाफ ज्यादा से ज्याद यह हो सकता है कि मेन्टेनेन्स के लिये बाग पंचायत को ट्रान्स्फर किया, उसके पेड़ नहीं कटवाने चाहिये, इसकी जांच होनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : एक प्रश्न और है, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : I shall not allow. I have called another question.

श्री हरिप्रसाद शर्मा : वे सरपंच कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता के रिश्तेदार हैं।

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! Next question.

श्री चतुर्भुज उपाध्याय

चित्तौड़गढ़ से बेंगू को बिजली

१८१. श्री चतुर्भुज उपाध्याय (चितौड़गढ़) : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या चित्तौड़गढ़ से बेंगू बिजली पहुंचाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह कब तक क्रियान्वित कर दी जावेगी ?

विद्युत मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र) : जी हां। बेंगू को बिजली मध्यप्रदेश के कांकर-तलाई स्थान से दी जानी है। अतः मध्य प्रदेश राजकीय विद्युत मण्डल द्वारा कांकर तलाई के विद्युतीकरण पर ही बेंगू के विद्युतीकरण पर विचार किया जा सकेगा।

श्री चतुर्भुज उपाध्याय बेंगू : पंचायत समिति के नीचे १२ पंचायतें कवर होती हैं, यदि जल्दी से जल्दी बेंगू में बिजली पहुंच जाय तो बिजली से कृषि उत्पादन में बड़ा फायदा पहुंचेगा।

प्रश्न संख्या १८२

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरदत्तसिंह।

(अनुपस्थित)

रामानन्द अग्रवाल !

पंचायत समिति, अलसीसर के प्रधान से रुपयों की वसूली

१८३. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

(१) क्या यह सही है कि प्रधान, पंचायत समिति अलसीसर ने फरवरी, १९६१ में २५००) रु० के इनामी बोण्ड पंचायत समिति कोष से लेकर उनके रुपये वसूल कर लिये लेकिन पंचायत समिति में जमा नहीं कराये ?

(२) क्या इस सम्बन्ध में प्रधान के खिलाफ कोई कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो क्या ?

(३) क्या पंचायत समिति ने उक्त प्रधान से यह रुपया वसूल कर लिया है ? यदि हां, तो कब ?

उप-मन्त्री पंचायत (श्री भवानीशंकर नंदवाना) : (१) कुल २३००) रु० के बोण्ड थे। रकम वापिस विलम्ब से जमा कराई थी।

(२) जी हां। कार्यवाही जारी है।

(३) दिनांक २१-११-६२ को ५००) रु० ५-४-६३ को १००) रु० का बोन्ड व ६-६-६३ को १,७०० रु० वापिस जमा करा दिये गये थे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : प्रश्न (३) का उत्तर स्पष्ट नहीं सुनाई दिया।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : दिनांक २१-११-६२ को ५००) रु० ५-४-६३ को १००) रु० का बोण्ड व ६-६-६३ को १७००) रु० वापिस जमा करा दिये गये थे।

श्री भैरोंसिह (किशनपोल, जयपुर) : सवाल यह है कि गबन हुआ है या नहीं ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : गबन नहीं हुआ, देर से रकम जमा कराई है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इनामी बोण्ड का रुपया कौनसी तारीख को वसूल किया था ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : देरी से रकम जमा कराई।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं यह पूछ रहा हूं कि इनामी बोण्ड का रुपया कौनसी तारीख को वसूल किया था ?

श्री भवानीशंकर नंदवाना : तारीख मेरे पास नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : प्रश्न तो डाइरेक्टली यही है कि प्रधान इनामी बोण्ड का रुपया वसूल करता है, कई साल तक जमा नहीं कराता, गवर्नमेंट उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती।

पहले प्रश्न का उत्तर क्या है ?

श्री भवानीशंकर नंदवाना : (१) कुल २३००) रु० के बोण्ड थे। रकम वापिस विलम्ब से जमा कराई थी।

(२) जी हां, कार्यवाही जारी है।

श्री भैरोंसिह : क्या कार्यवाही जारी है ?

श्री भवानीशंकर नंदवाना : प्रधान ने जवाब दिया है, जिला विकास अधिकारी से विस्तृत जांच कराई जा रही है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि इनामी बोण्ड्स की रकम वसूल करके सरपंच ने दो साल तक जमा नहीं कराई, अपने पास रखी जबकि वसूल करके तुरन्त जमा करा देनी चाहिये ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : रकम जमा हो चुकी है ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : क्या इस उत्तर से साफ साबित नहीं होता कि सरकार कुछ भी नहीं करना चाहती ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : सरकार कार्यवाही कर रही है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : फरवरी, १९६१ में इस रकम को वसूल किया गया ६२ के अन्त तक दो साल तक रुपया वापिस जमा नहीं कराया गया और सरपंच ने अपने पास रखा। क्या यह सही है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : मार्च ६१ में लिया। २१.११.६२ को ५००) रु० ५.४.६३ को १०० रुपया और ६.६.६३ को १७०० रु० जमा हुआ है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप तो फरमा रहे थे कि आपके पास तारीख नहीं है और इस तरह फैक्ट्स को सदन से छिपा रहे थे। ६१ के प्रारम्भ में २३०० रु० इनामी बोण्ड्स का वसूल किया गया और इतने समय के बाद रुपया जमा कराया तो क्या गवर्नमेंट प्रधान द्वारा इतने समय तक रुपया अपने पास रखने को गबन नहीं मानती है, और उसके खिलाफ गबन मान कर अभी तक कार्यवाही नहीं की है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : कार्यवाही जारी है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या कार्यवाही जारी है ?

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : मन्त्री महोदय ने कहा है कि गबन नहीं हुआ है, क्या इतने अर्से तक रकम अपने पास रखना गबन नहीं है ?

श्री उपाध्यक्ष : इस सम्बन्ध में गवर्नमेंट को त्वरित कार्यवाही करनी चाहिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि २८.८.६३ को इस प्रधान को मोअत्तिल किया गया गबन के मामले में ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : किया गया था।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या इसी मामले में निलम्बित किया गया था ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : जी हां।

श्री रामानन्द अग्रवाल ; अभी आपने कहा न कि कार्यवाही जारी है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : जब तक फाइनल फैसला नहीं हो जाय तब यही कहा जायगा कि कार्यवाही जारी है।

Page No.30

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि निलम्बित करने के बाद आपने १३-७-६३ को दुबारा उसको बहाल कर दिया ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : जी हां।

श्री भैरोंसिंह : बहाल क्यों कर दिया ? जब कार्यवाही जारी है तो निलम्बित रखना चाहिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : आप हाउस को कभी कुछ कह कर कभी कुछ कह कर गलत इन्फार्मेशन देते हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : इनामी बोण्ड्स का रुपया वसूल करके साल-डेढ़ साल तक अपने पास रखा जाय, २३००) रुपया डेढ़ साल तक जमा नहीं कराया जाय, क्या सरकार इसको गबन नहीं मानती ? क्या इसी प्रकार के मामलों में कई सरपंचों और पंचों को हटाया नहीं गया है ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य (उप-मंत्री, शिक्षा) : On a point of order, Sir, इस सम्बन्ध में आसन से ओब्जर्वेशन्स हो गये हैं कि त्वरित कार्यवाही करें। त्वरित कार्यवाही के आधार पर गवर्नमेंट ने संकेत दिया, उसके बाद प्रश्न नहीं किये जा सकते। That means this canvassing of the observation of the Chair.

(६.०० म० पू०)

श्री भैरोंसिंह : आपकी जो सहानुभूति है, वह समझ में आती है, लेकिन मैं एक बात बता दूं कि यह मामला इस प्रकार से है कि........

श्री निरजननाथ आचार्य : मैं आपकी सहानुभूति को भी अच्छी तरह समझता हूं, लेकिन आसन की ओब्जर्वेशन्स के होने के बाद में क्वेश्चन्स समाप्त समझे जाते हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : उपाध्यक्ष महोदय,........

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : One more.

श्री मानिकचन्द सुराणा : इसको निलंबित करने के बाद वसूली भी की गई २५००) रु० की। इसमें साल-डेढ़ साल की देरी भी हुई। क्या सरकार इसको मिस्कंडक्ट नहीं मानती ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : ४५५) रु० ब्याज के भी वसूल किए गए हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों की मन्शा को समझता हूं........

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ब्याज खाने की तो आपकी खानदानी आदत है।

श्री उपाध्यक्ष: Order please ! माननीय सदस्यों का कहना है कि जब एक बार इसको निलंबित किया गया तो फिर से रीइन्स्टेट करने के क्या कारण थे ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : रकम ब्याज सहित वसूल की गई, तो फिर वापिस बहाल कर दिया।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कोई आदमी यदि गबन करले और फिर उन पैसों को वापस जमा करा दे तो क्या सरकार उसको क्रिमिनल लाएबिलिटी से मुस्तस्ना मानती है ?

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! इस विषय में सरकार को सतर्क होना चाहिए।

पंचायत मंत्री (श्री भीखाभाई) : उनके रिमूवल की कार्यवाही की जारही है।

(व्यवधान)

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह बहुत गम्भीर स्थिति है। यदि रिमूव करने की कार्यवाही जारी है, सरकार विचार कर रही है, तो वह निलंबित तो रह सकता था। सेक्शन ४० सब-सेक्शन २—३ पंचायत समिति व जिला परिषद् एक्ट के अनुसार यह ठीक नहीं है। फिर कलेक्टर साहब ने यह सिफारिश की कि इसको सस्पेंड किया जाय, इनको हटाने की कार्यवाही की जाय और मन्त्री महोदय कहते हैं कि उनको रिमूव करने की कार्यवाही जारी है, तो क्या मन्त्री महोदय यह आश्वासन देंगे कि इसको पुनः निलंबित किया जायगा ?

श्री उपाध्यक्ष : यह बिल्कुल सही है कि यह काम बिल्कुल बेतरतीब हुआ है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : तो फिर आश्वासन मिलना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल।

दौसा-बांदीकुई मुख्य लाइन पर पड़ने वाले ग्रामों को बिजली

१८४. श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल (सिकराय) : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) दौसा से जो बांदीकुई बिजली की लाइन गई है उस पर पंचायत समिति क्षेत्र सिकराय के कितने ग्राम पड़ते हैं ?

(२) क्या उन ग्रामों की पंचायतों ने व पंचायत समिति ने बिजली प्राप्त करने हेतु बिजली विभाग को प्रार्थना प्रस्तुत की है ?

(३) यदि हां, तो मुख्य लाइन पर पड़ने वाले ग्रामों को बिजली दिए जाने में क्या आपत्ति है ?

(४) क्या सरकार इस मुख्य लाइन पर पंचायत समिति क्षेत्र सिकराय में आने वाले ग्राम क्रमशः रेटा, दुब्बी, गिरधरपुरा, भोजपुरा व सिकन्दरा को बिजली देने का विचार रखती है ?

विद्युत् मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (१) दौसा-बांदीकुई लाइन पर पंचायत समिति क्षेत्र सिकराय के ग्राम आते हैं, सिकन्दरा, सिकराय मानपुरा, पंचोली, गीजगढ़, कोहल, दुब्बी, गिरधरपुरा, धूलकोट, बामनपुरा, पीपलका, भोजपुरा, नामनेर, रेता और मुरलीपुरा।

Page No.32

(श्री हरिश्चन्द्र)

(२) जी हां ।

(३) प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई गई थी पर आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद सिद्ध न होने के कारण उस पर विचार नहीं किया गया ।

(४) जी नहीं ।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पहले वाले क्वेश्चन के बारे में कहूंगा कि इस प्रकार का सत्ता और पैसे का दुरुपयोग किया जाय और.......

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : This is most disgraceful. सरकार जवाब देने को तैयार नहीं है ।

We want a definite reply to that question, Sir. When a man has misappropriated the Government money, why the Government is not prepared to suspend the man ? We don't want that they should evade this question like this!

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

श्री भैरोंसिंह : मैं स्पेसिफिक जवाब चाहता हूं कि जिस आदमी ने गबन किया, that man must be brought to book.

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करता हूं कि इस विषय में ओब्जर्वेशन्स दी जा चुकी हैं । अगर इस बारे मे और भी कोई बात हो तो और प्रकार मे इस प्रश्न को उठाया जा सकता है हाफ एन ओवर डिस्कशन में । इस समय यह प्रश्न समाप्त हुआ ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : आपकी ओर से ओब्जर्वेशन्स दी गई हैं, वे ठीक हैं । उसके बावजूद भी मंत्री महोदय उसको सस्पेंड करने का आश्वासन नहीं दें, ताकि सबको संतोष हो जाय, आखिर इसका मतलब क्या है ?

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

श्री भीखाभाई : पहले उसका निलंबन हुआ, फिर रीइन्स्टेटमेंट हुआ । उसके बाद में उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल कार्यवाही हुई । मेरे पास अब खबर आई है कि उनके विरुद्ध विभागीय जांच जारी है । विभागीय जांच के संबंध में उन्हें दिनांक २२-३-६३ को नोटिस दिया गया था । नोटिस के उत्तर में प्रधान द्वारा जो स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया वह नहीं माना गया तथा दिनांक ६-८-६३ को विस्तृत जांच हेतु उप जिलाधीश झुंझुनूं को जांच अधिकारी नियुक्त करने के आदेश जारी किए गए । जांच प्रतिवेदन अभी प्राप्त नहीं हुआ है । विभागीय जांच राजस्थान पंचायत समिति रिमूवल ओफ प्रधान, उप-प्रधान नियम, सन् १९६० के नियम ५ के अन्तर्गत की जा रही है । तो जैसे ही रिपोर्ट आएगी उस पर एक्शन लिया जायगा ।

Page No.33

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसमें प्राइमाफैसी केस प्रूव्ड है, उसी बेसस पर उसको सस्पेंड किया गया। क्लेक्टर का रिकमेंडेशन आ चुका है कि कार्यवाही की जाय। दुबारा फिर इस प्रधान को वहीं पर रखा है जिससे कि वह अपने डिस्ग्रेसफुल काम जारी रखे। You should immediately suspend him.

श्री भैरोंसिंह : सिर्फ एक सवाल।

श्री उपाध्यक्ष : यह बिल्कुल साफ है कि जिस प्रकार की कार्यवाही हुई है वह हमारे सामने आ चुकी है। इस विषय में और भी कुछ कहना है तो हाफ एन अवर डिस्कशन के लिए रख दें। लेकिन सदन का समय इस तरह से.........

श्री भैरोंसिंह : मैं समझता हूं, सदन के समय का बहुत सदुपयोग हो रहा है। सरकार अपने लोगों से गबन करवाती है। गबन को एन्करेज करती है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों की भावना का आदर करता हूं। जो कुछ स्थिति थी वह आपके सामने आ चुकी है। अब प्रश्न के घंटे के अंदर इसको न उठाकर किसी दूसरे समय के लिए रखा जाय। दूसरे प्रश्न का जवाब हो चुका है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : नन्दाजी तो भ्रष्टाचार मिटाना चाहते हैं और नंदवानाजी बढ़ाना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : Question No. 184

श्री हरिशचन्द्र : मैंने जवाब पढ़ लिया।

श्री उपाध्यक्ष : You will repeat it.

श्री हरिश्चन्द्र : On a point of privilege, Sir, The question hour is over, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न का घंटा समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नों के लिए कृपया परिशिष्ट ३ देखिए)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

कृषि उत्पादन सहकारी समिति का निर्माण

५८. श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : क्या सहकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान में अब तक प्रत्येक जिले में कुल कितनी कितनी कृषि उत्पादन सहकारी समितियों का निर्माण किया जा चुका है? तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) उक्त कृषि सहकारी समितियों को कौन से जिले में कितनी कितनी भूमि सरकार द्वारा एलाट की गई है और उन समितियों को सरकार की ओर से कितनी रकम कर्ज के रूप में व कितनी रकम अनुदान के रूप में दी गई है? प्रत्येक जिलेवार तालिका सदन में पेश की जाये।

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ

चूरू जिले की विद्युत् योजना

५९. श्री रावतराम (सादुलपुर) : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) ग्रामीण विद्युतिकरण योजना के अन्तर्गत चूरू जिले में आगामी साल किन किन गांवों को बिजली देने की सरकार की योजना है ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(२) सम्बन्धित गांवों में कितना हिस्सा बिजली घरेलू पर्पज के लिए और कितनी खेती--बाड़ी के लिए दी जायेगी और इसकी अलग २ रेट्स क्या होंगी ?

उत्तर

(१) चूरू जिले का कोई भी गांव आगामी वर्ष की ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में नहीं लिया गया है। प्रश्न नहीं उठता ।

(२) प्रश्न नहीं उठता । बिजली की दर निम्न प्रकार है :

(१) घरेलू कार्य-३७ न०पै० प्रति-यूनिट (लाइट व पंखा)

(२) खेती के कार्य-१२ नये पैसे प्र०यू०

किशनगढ़ मिल के मजदूरों की बकाया का भुगतान

६०. श्रीभैरोंसिह (किशनपोल, जयपुर): क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) किशनगढ़ मिल के अवसायन की कार्यवाही कब से चालू है और अब तक उसमें क्या प्रगति हुई है ? लिक्विडेटर्स कौन कौन है ?

(ख) अवसायन की कार्यवाही में अब तक मिल के क्या क्या एसेट्स कब कब किस किस कीमत में डिस्पोज्-ऑफ किये गये ? यह रुपया किन किन कार्यों में लिया गया ?

(ग) इस मिल के कितने मजदूरों के वेतन भत्ता, बोनस व प्रोविडेन्ट फण्ड आदि की कितनी रकम के क्लेम्स हैं और उन क्लेम्स के अगेन्स्ट में कितना कितना भुगतान कब कब कर दिया गया है और शेष के भुगतान के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

चर्मकला शिक्षण

६१. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सच है कि उद्योग विभाग द्वारा चर्म कला शिक्षण (फुटवियर ट्रेनिंग कोर्स) चालू किया गया था ? यदि हां, तो कब से और उस पर कुल कितना खर्चा हुआ है ? अलग अलग मदवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(२) इसके कितने बैच निकल चुके हैं और कितने लोग अब तक ट्रेन्ड हो गये हैं ?

(श्री जयनारायण सालोदिया)

(३) यह कोर्स कितने साल का है व इसके कार्य के लिये कितना माहवार स्थाई फण्ड दिया जाता है ?

(४) क्या यह भी सच है कि अब सरकार इस ट्रेनिंग कोर्स को बन्द करना चाहती है ? यदि हां, तो किन कारणों से ?

उत्तर

(१) जी हां, शिक्षण केन्द्र मार्च सन् १९६१ से चल रहा है; मदवार कुल खर्चे का ब्योरा संलग्न है।

(२) एक बैंज निकल चुका है । १९ व्यक्ति शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं।

(३) इसका कोर्स २ वर्ष का है और ४०) रु० (चालीस रुपये) माहवार प्रत्येक ट्रेनीज् को छात्र-वृति के रूप में दिया जाता है।

(४) जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिए)

मार्केटिंग सोसाइटी

६२. श्री नत्थीसिंह (गोविन्दगढ़) : क्या मन्त्री, सहकारी विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान में कितनी मार्केटिंग सोसाइटीज हैं ? जिलेवार उनके नाम बताने की कृपा करें।

(२) किस २ मार्केटिंग सोसाइटी में सन् ६२-६३ में कितना कितना माल खरीदा गया व फरोख्त हुआ और उससे कितना लाभ व हानि हुई ? सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

उत्तर

(१) जिलेवार सहकारी क्रय-विक्रय समितियों के नामों की सूची परिशिष्ट (क) संलग्न है।

(२) सहकारी क्रय-विक्रय समितियों के द्वारा वर्ष ६२-६३ में माल की खरीद व फरोख्त एवं समितियों को हुई लाभ हानि की सूचना सूची परिशिष्ट (क) में अंकित करदी गई है।

(सूची अधिक विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भवन निर्माण पर व्यय

६३. श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) दूसरी पंचवर्षीय योजना में कुल कितना व्यय भवन निर्माण कार्य पर किया गया ?

(२) क्या भवनों में कुछ भवन अधूरे भी पड़े हैं ? यदि हां, तो उनको पूरा कराने में कितना अतिरिक्त व्यय होगा ?

(३) दूसरी पंच वर्षीय योजना बजट का कितना प्रतिशत व्यय भवन-निर्माण पर हुआ ?

(४) इन भवनों में ऐसे कितने हैं जो जिन उद्देश्यों से बनाये गये थे उनके लिए काम में नहीं लाये जा रहे हैं ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

प्लान व नांन-प्लॉन सैक्टर का खर्चा, सांचोर

६४. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): क्या विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) पंचायत समिति सांचोर में पिछले तीन सालों में प्लॉन सैक्टर और नॉन-प्लान सैक्टर में कितना कितना खर्चा किया गया ? प्लान व नॉन-प्लॉन खर्चे में इन सालों की क्या प्रतिशतता रही ?

(२) उक्त समिति में पिछले तीन सालों में अधिकारियों के यात्रा व दैनिक भत्तों पर कितना कितना खर्चा किया गया ? साल वार अलग अलग बताया जावे ।

उत्तर

(१) सूची संलग्न है ।

(२) सूची संलग्न है ।

(सूची अधिक विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

पैसेन्जर टैक्स की बकाया

६५. श्री मुरलीधर व्यास(बीकानेर) : क्या आबकारी एवं कर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान में ऐसे कितने बस ऑप-रेटर्स हैं जिन्होंने पेसेन्जर टैक्स अब तक जमा नहीं कराया है ?

(२) जिन लोगों पर ऐसी रकम बकाया है वह कब से है व कितनी कितनी है ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

न्याय पंचायतों को बकाया अंशदान की रकम

६६. श्री जुगलाल (रावतसर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे :–

(१) नोहर तहसीलकी कितनी ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जिन्होंने सम्बन्धित क्षेत्र की न्याय पंचायतों को अपने अंशदान की रकमें नहीं दी हैं ? अंशदान कब से बकाया है ?

(२) किस किस न्याय पंचायत ने विभा-गीय अधिकारियों को रकम दिलाने के बारे में कब कब निवेदन किया एवं कार्यवाही क्यों नहीं हुई ?

(३) न्याय पंचायतों की इस वक्त क्या स्थिति है ? क्या उनकी स्थिति में सुधार की आवश्यकता है ? सरकार उसमें सुधार के लिए क्या कदम उठाने वाली है ?

उत्तर

(१) ४१ ग्राम पंचायतों ने अपने क्षेत्र की न्याय पंचायतों को अंशदान नहीं दिया है । अंशदान का चुकारा न्याय पंचायतों के गठन के समय से हीं करना बाकी है ।

(२) सभी न्याय पंचायतों द्वारा समय समय पर अंशदान प्राप्त करने हेतु लिखा गया तथा उस पंचायत समिति की बैठकों पर सरपंचों को अंशदान देने के लिए कहा गया-स्वयं की आर्थिक स्थिति खराब होने से मजबूर रहे ।

(पंचायत मंत्री)

(३) साधारणतया न्याय पंचायतों की आर्थिक स्थिति सन्तोषप्रद नहीं है तथा उसमें सुधार करने का प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन है।

किसानों पर मुकदमे

६७. श्री विटठल (बांसवाडा): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि बांसवाड़ा में विभाग द्वारा वर्ष १९६१-६२ में किसानों पर मुकदमे अदालतों में दायर किये गये थे? यदि हां, तो किस किस रेन्ज के कितने केस रजिस्टर हुये? सूची सदन को मेज पर रखें।

(२) क्या यह सही है कि जिन जिन किसानों पर मुकदमे दायर हुए वे गत ३-४ वर्षों के पुराने थे, इसलिये अदालत से राजीनामा कराया गया?

(३) क्या यह सही है कि उक्त मुकदमे दिसम्बर ६१ व जनवरी और फरवरी ६२ में दायर किये गये थे? यदि हां, तो सरकार को मुकदमों में नुकसान हुआ या फायदा?

उत्तर

(१) जी हां, सूची रेन्जवार सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) जी नहीं।

(३) दिसम्बर, ६१ व जनवरी, ६२ में कोई मुकदमा दायर नहीं हुआ। फरवरी में एक मुकदमा दायर हुआ जिसमें ८ अपराधी थे; जिनमें से प्रत्येक पर अदालत ने ८०)रु० जुर्माना व तीन महीने की कैद की सख्त सजा का हुक्म दिया है।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिए)

उदयपुर जिले में चराई की वसूली

६८. श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) उदयपुर जिले में रेबारियों से कुल कितनी सांडों की चराई वसूल होती है? कृपया रेन्ज के अनुसार संख्या दीजिए तथा किस गांव की है, उसका नाम दीजिये।

(२) क्या यह सही है कि जिस रेन्ज में सांडों की चराई वसूल होती है उसके जंगल में रेबारियों को सांडें चराने का अधिकार दिया गया है? यदि हां, तो किस २ गांव को किस जंगल में व कितनी सांडों का तथा किस किस महीने में? सूची देने की कृपा करें।

(३) बाकी गांवों के लिये सरकार ने क्या नियम बनाए हैं?

उत्तर

(१) सन् १९६२-६३ में जितने सांडों की चराई उदयपुर जिले में हुई उसकी सूचना संलग्न तालिका में दी जा रही है। रेबारियान के अलावा दूसरी जाति के लोगों के ऊंट व सांडियों जो चरती हैं उनकी संख्या भी उसमें शामिल है।

(वन मंत्री)

(२) जी नहीं। केवल उन्हीं वन खंडों में सांड व ऊंट चर सकते हैं जिन वन खंडों में उनको चराई के अधिकार दिये हुये हैं ?

(३) बाकी गांवों के ऊंट व सांड खुले जंगल (open forest) में हमेशा की माफिक चर सकते हैं।

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिए)

(६.५ म० पू०)

अनुपस्थिति हेतु अनुमति

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करूं कि श्री पोहूमल ईसरदास ने दिनांक २ मार्च, १९६४ से दिनांक २३ मार्च, १९६४ तक विधान सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की आज्ञा के लिये प्रार्थना की है। क्या सदन की मन्शा है कि उनके अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान को जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई

(विराम)

Legieslative Business.

स्थगन-प्रस्ताव

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : मैने एक एडजोर्नमैंट मोशन का नोटिस दे दिया था।

श्री उपाध्यक्ष : वह आ चुका है। इस विषय में सरकार से कहा गया है कि वे तथ्य कलेक्ट करें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : पिछली २५ तारीख से २ मजदूर भूख-हड़ताल पर बैठे हुए हैं। उनकी मांग है कि जो महंगाई हो रही है उसके अनुसार महंगाई भत्ता भी........

श्री उपाध्यक्ष : मैं मानता हूं। उस विषय में फैक्ट्स मांगे गये हैं; और फिर उसके लिए समय निर्धारित करेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कम से कम कल तो उत्तर आना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : I have not rejected it.

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : मेरा भी एडजर्नमेंट मोशन है।

श्री उपाध्यक्ष : All the facts have been called for.

श्री कृष्णकुमार गोयल : राजस्थान की सीमा पर १३ बार अतिक्रमण हो चुका है।

श्री उपाध्यक्ष : I quite agree with it.

(विराम)

Legislative Business Shri Satishchandra Agrawal

(श्री उपाध्यक्ष)

राजस्थान मनोरजन तथा विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक, १९६४

(अध्यादेश विषयक संकल्प की प्रस्तुति, विधेयक पर विचार-विमर्श एवं पारित)

श्री सतोशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, पिछले दो दिनों से इस सदन में राज्य सरकार द्वारा जो अध्यादेश जारी किये जाते रहे हैं उनके सम्बन्ध में विचार होता रहा है और मैं समझता हूं कि उन विचारों के सिलसिले में कितने हल्के तरीके से अध्यादेश जारी किये जाते हैं सरकार द्वारा और संविधान की धारा २१३ का कितना बड़ा भारी दुरुपयोग सरकार ने किया है इसके सम्बन्ध में गत दो दिनों में अध्यादेशों पर जो मैंने अपने संकल्प प्रस्तुत किये, उस समय अपने विचार सदन के सामने प्रकट किये। मैं उन सारी बातों में सदन को नहीं लेजाना चाहता हूं, लेकिन आज जो एक अध्यादेश इस सदन के सामने विचारणीय है और जिसके सम्बन्ध में मैंने संकल्प प्रस्तुत किया है कि यह सदन इस अध्यादेश को अस्वीकृत करे।

मैं निवेदन करूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, कि यह अध्यादेश बहुत ही गंभीर है और आपत्तिजनक है। आपत्तिजनक इस दृष्टि से है कि किन परिस्थितियों में यह अध्यादेश जारी किया गया है, किस हेतु यह अध्यादेश जारी किया गया है, किस भावना से प्रेरित होकर यह अध्यादेश जारी किया है, किस वस्तु के बदले में यह अध्यादेश जारी किया गया है ? ये कुछ-एक बातें हैं। ये बातें यदि सदन के सम्मुख आयी हैं तो मैं निवेदन करना चाहूंगा उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन को बड़ी गम्भीरता से उन बातों पर विचार करके, सिवाय इसके कि इस अध्यादेश को अस्वीकृत कर दे कोई चारा उसके सामने नहीं रह जायगा।

हमने पिछले दो दिनों में राजस्थान नर्सेज, मिडवाइव्ज, हैल्थ विजिटर्स एन्ड आग्जीलियरी नर्स मिडवाइव्ज रजिस्ट्रेशन ऑर्डिनेन्स और राजस्थान पंचायत समिति और जिला परिषद् आर्डिनेन्स के विषय में विचार किया। यह बात सही है, उपाध्यक्ष महोदय, कि इस सदन में एक स्वर से विरोध किया गया, चाहे इधर के बैठने वाले माननीय सदस्य हों, चाहे उधर के बैठने वाले माननीय सदस्य हों, कि यहां राजस्थान में ऑर्डिनेन्स का राज्य नहीं चल सकता। यह राजस्थान की सरकार ऑर्डिनेन्सेज् के बूते पर राज्य चलाना चाहती है, वह ज्यादा दिन तक राज्य नही चल सकता और नही चलना चाहिए।

लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ऑर्डिनेन्सेज् के बारे में पिछले दो दिनों से जो तर्क दिये गये हैं, जहां तक ऑर्डिनेन्सेज् जारी करने का सवाल था, उन सब बातों से साबित हो गया है कि किन परिस्थितियों में वे आर्डिनेन्स जारी किये गये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो वर्तमान ऑर्डिनेन्स जारी किया गया है यह पंचायत या पंचायत समिति में चुनाव न हो सकने के कारण मयाद बढ़ाने का सवाल नहीं है, जनहित का सवाल नही है और अदालत से वेलिडेशन का सवाल नहीं है। यह ऑर्डिनेन्स

Page No.40

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

जो सरकार की ओर से जारी किया गया है वह विचारणीय है । उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान एन्टर्टेनमेन्ट्स एन्ड एडवर्टाइजमेन्ट्स टैक्स (संशोधन) अध्यादेश, १९६३, (ऑर्डिनेन्स २ आफ १९६३) यह अध्यादेश जारी किया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान एन्टर्टेनमेन्ट्स एण्ड एडवर्टाइजमेन्ट्स का कानून सन् १९५७ में एन्टर्टेनमैंट्स के बारे में सदन ने पारित किया । उसके बाद पिछले साल, सब ही माननीय सदस्यों को ज्ञात होगा कि पिछला बजट अधिवेशन हुआ ता हमारी सरकार विधान सभा में कुछ संशोधन के प्रस्ताव लायी और १९६३ में पहली बार सिनेमा में एडवर्टाइजमेन्ट्स पर टैक्स लगाया गया । राजस्थान की विधान सभा में जब राज्य सरकार ने यह विधेयक प्रस्तुत किया, सिनेमा में होने वाले एडवर्टाइजमेन्ट्स पर टैक्स लगाने के बारे में, तो उस समय माननीय सदस्यों ने विचार प्रकट किये कि वे अधिक हो जायेंगे, रेट्स अधिक हो जायेंगी । ऐसे विचार सदन में प्रकट किये गये । जब टैक्स लगाने का विधेयक सदन में प्रतुत हुआ; सदन में माननीय सदस्यों के विचार आते हैं । जब सदन में माननीय सदस्य अपने विचार प्रकट करते हैं, अपनी भावना को दर्शाते हैं तो सरकार कड़ाई का रुख अपना लेती है कि नहीं, इतने टैक्स बिना हमारा काम नहीं चल सकता । सदन की भावना को न समझते हुए, माननीय सदस्यों की भावना को न समझते हुए, उनकी भावना को स्वीकार न करते हुए, सरकार लोकतन्त्रीय भावना के विपरीत जाती है और टैक्स लगाने की बात पर सरकार अड़ जाती है ।

पिछले सदन में उदाहरण आये हैं कि जब बकरियों पर टैक्स लगाने की बात आई, सदन में कानून बनवा दिये गये, टैक्स लगाने का कानून बनवा दिया गया । माननीय सदस्यों के विरोध के बावजूद माननीय सदस्यों की भावना के विरुद्ध, उनकी उपेक्षा करके किया गया, लोकतन्त्र का हनन किया गया । अपनी जिद् को पूरा करने के लिए सरकार ने टैक्स लगाये, कानून बनाया गया । होता क्या है, उपाध्यक्ष महोदय, कि सदन कानून बना देता है, राज्यपाल महोदय की स्वीकृति मिल जाती है । कानून लागू हो जायगा राजस्थान में । लेकिन कानून वह लागू नहीं होता जो विधान सभा ने पास कर दिया है कानून वही लागू होता है जिस प्रकार राजस्थान के मन्त्री जैसा चाहें उनको लागू करें, इस बात की उनको छूट है । अगर कानून रीजनेबल किसी प्रकार हो सकता है लोगों के बात समझ में आ सकती है, आम जनता को राहत देने का सवाल की बात समझ में आ सकती है । टैक्स में छूट देने का सवाल हो सकता है और उसके लिए माननीय वित्त मन्त्री महोदय कोई कदम उठायें तो बात समझ में आ सकती है । लेकिन एक विशेष वर्ग को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से, मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन उनसे सम्पर्क होने के बाद, लोभ, लालच या किसी पार्टी की दृष्टि से, किसी संस्था की दृष्टि से टैक्सेशन के मेजर्स में ढिलाई करना, टैक्सेशन के मेजर्स में छूट करना, यह आपके सामने एक बड़े गंभीर विचार का प्रश्न है । श्रीमान् भुंझारसिंहजी, यह हंसने का प्रश्न नहीं है

Page No.41

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

आप इसको हल्के तौर पर ले सकते हैं। आप कह सकते हैं कि सरकार को ऐसा करने का अधिकार है। माननीय सदस्य, जो इस विधान सभा में बैठने वाले हैं, कभी इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे कि राजस्थान विधान सभा में एडवर्टाइजमेन्ट्स पर टैक्स लगाया गया और राजस्थान सरकार ने बड़ी भारी बाद में छूट दे दी। कितनी छूट दे दी यह आपको अन्दाज नहीं होगा। सदन के सामने सारे तथ्य आ सकते हैं कि सरकार कितनी छूट देती है। सरकार का टैक्स लगाने के बाद अन्दाजा और अनुमान कितना गलत होता है और सरकार किन नतीजे पर पहुंचती है? मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले अधिवेशन में जो धारा ४ जोड़ी गई थी उसमें यह लिखा हुआ है उसके सम्बन्ध में सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया। वह नोटिफिकेशन है २ मार्च, १९६३ का।

"Notification No. F. 7 (5) F D ()/63 dated 2nd March, 1963.

In exercise of powers conferred by Section 4A of the Rajasthan Entertainments and Advertisements Tax Act, 1957 (Rajasthan Act 24 of 1957) as inserted by clause 9 of the Rajasthan Finance Bill, 1963, read with the declaratory provision appended thereto, the State Government does hereby fixes the rates of tax on advertisements as under:-

(a) For slides :

(i) In all towns having a population above one lakh, 12 n P per slide per show.

(ii) In all towns having a population exceeding 50,000 but not exceeding one lakh, 9 n. P. per slide per show.

(iii) In all towns having a population exceeding 15,000 but not exceeding 50,000, 6 n. P. per slide per show.

(iv) In all other places 3 n. P. per slide per show.

(b) For Films :

(1) In all towns having a population above one lakh 2 n. P. per foot of the length of the film per show subject to a minimum of Re. 1/- per film per show.

(2) In all towns having a population exceeding 50,000 but not exceeding one lakh, 1 n. P. per foot of the length of the film per show subject to a minimum of Re. 1/- per film per show.

(3) In all other places Re. 1/- per film per show.

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा इस सम्बन्ध में, सिनेमाओं में दो

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

प्रकार की चीजें होती हैं। एडवर्टाइजमेन्ट्स दो प्रकार से होते हैं। एक होती है स्लाइड। एक जगह पर स्लाइड आती है आपके सामने दिखा दी जाती है और वह स्लाइड हटा दी जाती है। पार्ट 'ए' में टैक्स कैसे होगा यह लिखा है। दूसरी चीज होती है फिल्म। जैसे डालडा की फिल्म है, लक्स सोप की फिल्म है, लाइफबॉय की फिल्म है। ये ७५ फीट से ऊपर की फिल्म होती हैं। ७५ फीट से कम नहीं होती हैं। ये जो एडवर्टाइजमेंट के रूप में दिखायी जाती हैं, उनके लिए 'बी' पार्ट में रेट दी हुई है। रेट कितनी है? Two naya paisa per ft. of tne length of film per show. एक फिल्म का, १०० फीट की फिल्म का दो रुपया हुआ पर शो पर। एक दिन में तीन शो होते हैं। ६ रुपया एक दिन में टैक्स का हुआ। एक सप्ताह में ४२) रुपया हुआ।

जिस फिल्म की लम्बाई १०० फीट है उससे प्रति सप्ताह जो टैक्स के रूप में लिया जाने वाला था वह रुपया ४२ रु० था। उस नोटिफिकेशन द्वारा इस प्रकार से टैक्स लगने का था। उन्होंने इस बारे मे जो नया टैक्स लगाया है, जो नया नोटिफिकेशन जारी किया गया वह नोटिफिकेशन क्यों जारी किया? उपाध्यक्ष महोदय, २ मार्च, ६३ और २४ अक्टूबर, १९६३ को जो नोटिफिकेशन जारी किया, वह संशोधित क्यों किया, इस संशोधन में क्या रेट लिखी फिल्म्स के लिये।

"In all towns having a population exceeding one lakh, persons 2 n.P. perfoot of the length of the film per show ubsject to a maximum of Rs. 3/- per hundred ft. of the length of film or part thereof per week."

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : यह कब का है?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कांग्रेस अधिवेशन के सात दिन पहले का है।

इस नोटिफिकेशन के जरिये जहां प्रति सप्ताह ४२ रुपये का टैक्स १०० फीट की फिल्म पर लिया जाता था वहां इस नोटिफिकेशन के जरिये सिर्फ तीन रुपया प्रति सप्ताह लिया जायगा। अब इस नोटिफिकेशन के हिसाब से मेक्जीमम प्रति सप्ताह का तीन रुपया होगा। एक सप्ताह में तीन और पहले वाले नोटिफिकेशन के जरिये सप्ताह में ४२ रुपया टैक्सेशन का लिया जाता था। अब १०० फीट की फिल्म पर केवल तीन रुपया मेक्जीमम लिमिट लगाई गई है। वहां पर तीन रुपया प्रति सप्ताह लेंगे जहां पर पहले नोटिफिकेशन के जरिये ४२ रुपया प्रति सप्ताह वसूल होता था। इतना बड़ा भारी अन्तर क्यों हुआ? पहले क्या सही अनुमान आपका विभाग नहीं लगा पाया, या बिना सोचे समझे ही टैक्स लगा देते हैं, आपका डिपार्टमेन्ट एक्जामिन नहीं करता - क्या आप इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? आखिर छः महीने के बाद १९६३ के मार्च में यह टैक्स लगाया। इतना ही नहीं, इसी प्रकार कहीं तीन रुपया आ सकता था वहां १ रुपया आयेगा, कहीं ३ पैसे की जगह

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

१ पैसा मेग्जीमम रखा है जिससे सप्ताह में एक रुपया प्राप्त होगा........

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : On a point of clarification, Sir, उपाध्यक्ष महोदय, जो पोजीशन माननीय सदस्य ने सामने रखी है, क्या वास्तव में लीगल पोजीशन यही है इसका जवाब सरकार की तरफ से 'हां' या 'नां' में मिलना चाहिये, क्योंकि सरकार इतनी बड़ी गड़बड़ नहीं कर सकती।

श्री उपाध्यक्ष : इसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : The whole House is waiting very impatiently.

श्री उपाध्यक्ष : They may wait, but let such opportunity come.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : This must be given now.

श्री उपाध्यक्ष : Disorderly opportunity cannot be given.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कांग्रेस पार्टी के हित के लिये यह भीख मांगी गई है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : हम भीख नहीं मांगते किसी से।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप भीख मांगें या न मांगें, लेकिन सदन के सामने जो नोटिफिकेशन मैंने रखा है वह कांग्रेस अधिवेशन के सात दिन पहले का है। २४ अक्टूबर से राजस्थान के सिनेमा वालों ने कांग्रेस अधिवेशन के लिए चन्दे के रूप में १५ हजार रुपया दिया।

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री) : इसका कांग्रेस के कॉन्ट्रीब्यूशन से कोई संबंध नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप यह बता दीजिये कि सिनेमा वालों से १५ हजार रुपया नोटिफिकेशन जारी होने से पहले नही लिया ?

श्री मथुरादास माथुर : नहीं लिया, नहीं लिया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एडवर्टाइजमेन्ट एजेन्सी वालों से, डिस्ट्रिब्यूटर्स से नही लिया ?

श्री मथुरादास माथुर : कांग्रेस अधिवेशन के समय सिनेमा वालों से या सिनेमा का बिजनेस करने वालों से कोई चन्दा कांग्रेस पार्टी ने १५ हजार रुपये का नहीं लिया। यह साबित हो जाय तो मैं त्याग-पत्र देने के लिए तैयार हूं।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मन्त्री) : यह प्रस्ताव, जो वित्त मन्त्री ने टैक्स लगाया है, वह उस पर है। मैं वित्त मन्त्री की हैसियत से कह सकता हूं वित्त विभाग ने कोई चन्दा इन सिनेमा वालों से नहीं लिया।

Page No.44

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : चन्दा पार्टियां लेती हैं, न कि वित्त विभाग।

श्री बालकृष्ण कौल : उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव सामने है और जिसके संबंध में आक्षेप लगाया है कि रेट्स में चेन्जेज् के पीछे कोई भावना थी जो चन्दा लेने की थी। इस चीज का उत्तर दे रहा हूं। वित्त विभाग की जानकारी में यह नहीं है कि किसी ने चन्दा लिया है और उसके कारण यह चेन्जेज की गई हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वित्त विभाग चन्दा नहीं लेता है। भूतपूर्व गृह मन्त्री जी के कथनानुसार वे टेक्निकल भाषा में बात न करें, चैयरमेन रिसेप्शन कमेटी आल इन्डिया कांग्रेस कमेटी ने सिनेमा डिस्ट्रिब्यूटर्स से या सिनेमा लाइन में काम करने वालों से चन्दा नहीं लिया। हो सकता है वह १५ हजार रुपया न हो उससे कुछ कम हो सकता है। १५ हजारकी टेक्निकल टर्म में बचना चाहते हैं। पन्द्रह हजार रुपया एक मुश्त नहीं किसी से २००) रुपये का चैक, किसी से ५००) रुपये का चैक, क्या इस तरह से अलग अलग चन्दा नहीं लिया है ?

श्री मथुरादास माथुर : इससे कोई भी सदस्य इन्कार नहीं कर सकता कि कोई पार्टी या संस्था बिना चन्दा लिए चलती हो। मेरे कहने का मतलब यह है कि इस बिल से सम्बन्धित सिनेमा वाले हैं, मैं यह कह सकता हूं कि जो इस बिल से इफेक्ट होने वाले है उनसे पन्द्रह हजार रुपया नहीं लिया गया है। आप कांग्रेस. कार्यालय में चल कर अकाउन्ट देख सकते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या चेयरमैन रिसेप्शन कमेटी के नाम से चन्दा नहीं आया ?

श्री मथुरादास माथुर : सिनेमा वालों से पन्द्रह हजार रुपया चन्दा नहीं हुआ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप इसके टेक्निकल रूप में मत जाइये कि १५ हजार रुपया चन्दा नही हुआ। फिल्म लाइन में काम करने वाले, सिनेमा वाले डिस्ट्रिब्यूटर्स एक्जीबिटर्स, फिल्म इन्डस्ट्री में जो भी काम करने वाले है इस ट्रेड मे जो काम करने वाले हैं उन लोगों से कांग्रेस अधिवेशन के समय चेयरमेन रिसेप्शन कमेटी के नाम से चैक जारी हुए हैं। ये सारे मिलाकर १५ हजार से कम हो सकता है। क्या यह नोटिफिकेशन जारी करने से पहले चन्दा नहीं लिया ?

श्री मथुरादास माथुर : सिनेमा डिस्ट्रिब्यूटर्स, एग्जीबिटर्स, एक्टर्स-इन लोगों से कांग्रेस अधिवेशन के समय १५ हजार रुपया का चन्दा नहीं लिया गया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : १५ हजार से कम हो सकता है, १४ हजार हो सकता है। १० हजार हो सकता है।

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह (ग्रासपुर): १५ हजार तो नहीं लिया गया; १५ हजार से कम लिया या नहीं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : फैक्ट्स को चेलेन्ज कर रहे हैं क्या ?

श्री मथुरादास माथुर : चन्दा हुआ है, होता है कम्युनिस्ट पार्टी नहीं करती हो, यह बात भी नहीं है........

श्री रामानन्द अग्रवाल : कम्युनिस्ट पार्टी टैक्स में रियायत देकर चन्दा नहीं करती।

श्री मथुरादास माथुर : चन्दा जनता से इकट्ठा हुआ है। और पैसे वालों से इकट्ठा हुआ है। सिनेमा वालों से १५ हजार, १० हजार या ५ हजार नहीं लिया गया है, अगर आप साबित कर देंगे तो मैं मानने के लिए तैयार हूं। चन्दा सभी देते हैं गरीब सिनेमा वाला भी देता है और पैसे वाला भी देता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तो इतना जल्दी ऑर्डिनेन्स जारी नहीं करते।

श्री मथुरादास माथुर : इससे आर्डिनेन्स का कोई ताल्लुक नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आर्डिनेन्स द्वारा रेट्स में कमी नहीं करते।

श्री मथुरादास माथुर : आप की बात मान ली गई है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हमारी बात नहीं मानी है आपने।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : On a point of information, Sir, यह डिफरेन्स बताया है कानूनन एक्सेप्ट करते हैं कि ४२) का ३) हो गया। इसमें डाउट पैदा होता है।

श्री मथुरादास माथुर : इसका जवाब वित्तमंत्री जी अपनी टर्न पर देंगे।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : इसका तो जवाब अभी दे रहे हैं।

श्री मथुरादास माथुर : कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाये, इसलिए दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! Order !! समय कम है और इस बिल को आज पारित करना है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कर देंगे बिल को पास, ऐसी क्या बात है ?

तो टैक्निकल बातों को लेकर इस आरोप से निकलने की बात नहीं है ! यह बात सही है कि चन्दा सभी लेते हैं। पर इस पर उनको ओब्लाइज नहीं किया जाता इस तरह से। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप एक सदन की कमेटी बिठावें। आप जांच का अधिकार अध्यक्ष को दें या जिस किसी को दें। तीन आदमियों की कमेटी मुकर्रर कर दें।

श्री मथुरादास माथुर : हम तो आपको कहते हैं। आप कांग्रेस के ऑफिस में चले जाइये आज ही और सारा हिसाब देख लें।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : मैं कहता हूं आपने सिनेमा वालों से दावत खाई पांच हजार की गवर्नमेन्ट होस्टल में।

Page No.46

(श्री भैरोंसिंह)

आप इन्कार करिये इससे। ए. आई. सी. सी. के डेलीगेटों ने खाई और इस ऑर्डिनेन्स के एवज में खाई। आप इन्कार करिये।

श्री मथुरादास माथुर : यह बिल्कुल गलत है।

श्री भैरोंसिंह : गवर्नमेन्ट होस्टल में दावत नहीं खाई ? कांग्रेस पार्टी के लोग डिनर में नहीं गये ? अगर यह बात झूंठ साबित कर दें तो मैं सदन को छोड़ने को तैयार हूं।

(शोरगुल एवं व्यवधान)

श्री मथुरादास माथुर : यह बिल्कुल गलत है।

श्री भैरोंसिंह : हरिश्चन्द्र गोलछा।

...... (शोरगुल-अश्रव्य)........चैयरमैन-(अश्रव्य) ....सिनेमा एसोसियेशन........ ए. आई. सी. सी. के डेलीगेट्स को इन्वाइट किया।

मैं इन्वीटेशन कार्ड सदन में पेश करूंगा, मेज पर रखूंगा।

(शोरगुल, अश्रव्य, व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : इस समय सतीशचन्द्र जी बोल रहे हैं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : यह बहुत ही गम्भीर मसला है, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय भूतपूर्व गृह मन्त्री महोदय ने इस बात को चैलेंज किया है कि ए. आई सी. सी. के अधिवेशन के समय इस प्रकार का चन्दा नहीं वसूल किया गया जो कि निन्दनीय हो। तो मैं पूछना चाहता हूं उनसे कि क्या वे इस बात को स्वीकार करेंगे कि इस हाउस की एक कमेटी बनाई जावे जो यह जांच करे कि ए. आई. सी. सी. के अधिवेशन के समय पर किस किस प्रकार से किन किन लोगों से, चाहे वे सिनेमावाले हों, चाहे मोटर मालिक हों, चाहे वित्त-विभाग के जरिये हो, चाहे सैल्स टैक्स विभाग के जरिये हो, ऑफीसियल ऑथोरिटीज़ के जरिये हो, डिपार्टमेंट के लोगों के जरिये हो, नाजायज़ दबाव देकर, नाजायज़ तरीकों से, नेशनलाइज़ इस रूट को नहीं करेंगे, यह कह कर, इस रूट के दस हज़ार रुपये दो, परमिट दे देंगे, पांच हज़ार रुपयों की एवज में इस रूट पर रियायत दे दी; इन तरीकों से आप लोगों ने चन्दे लिये हैं। क्या आप इस हाउस की कमेटी के सामने ये तमाम अकाउन्ट्स पेश करने को तैयार हैं ?

श्री हरिश्चन्द्र (उद्योग मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात कही है वह बिल्कुल निराधार है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : आप किस हिम्मत से कहते हैं ? आपने आर. टी. ओ. को भेज कर, खुद ने भेज कर, ट्रान्सपोर्ट वालों से चन्दा किया है।

Page No.47

श्री हरिश्चन्द्र : कौनसा रूट छोड़ा, जिसके लिये दस हजार की बात कहते हैं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : वह तो जांच में आ जावेगा हाउस की कमेटी बिठा दें।

श्री भैरोंसिंह : यदि सुनना ही चाहें तो मैं बतता हूं। बस ट्रान्सपोर्ट वालों से पैसा लिया गया, उनको धमकियां दी गई इन्कार करने पर।

(अनेक सदस्य बोलने लगे—अश्रव्य) व्यवधान

(शोरगुल)

श्री हरिश्चन्द्र : यह बिल्कुल गलत है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मैं आई विटनैस (eye witness) हूं, उपाध्यक्ष महोदय....

(शोरगुल, अश्रव्य)

श्री मानसिंह महार (आमेर) : मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि उनके पास इन सबका कोई जवाब नहीं है।

(पुनः शोरगुल)

(अनेक सदस्य एक साथ बोलने लगे–अश्रव्य)

(व्यवधान)

श्री रामानन्द अग्रवाल : बस ऑपरेटर्स को चैम्बर में बुलाया गया अपने और वहां उनसे बातचीत हुई।

श्री हरिश्चन्द्र : बिल्कुल गलत है, किसी को चैम्बर में मैंने नहीं बुलाया। आप प्रूफ करिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : हाउस की कमेटी बिठा दीजिये।

श्री हरिश्चन्द्र : आप सब्स्टेन्शियेट करिये। किसी को चैम्बर में नहीं बुलाया गया।

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! Order !!

श्री रामानन्द अग्रवालः (अश्रव्य) बस ऑपरेटर्स के सामने पेशकश की गई कि अगर तुम लोग इतना चन्दा दे दो तो तुम्हारे इस रूट को तीन साल के लिए नेशनलाजेशन से पोस्टपोन कर दिया जावेगा।

श्री उपाध्यक्ष : सतीशचन्द्रजी अपने स्टेच्यूटरी मोशन पर बोल रहे हैं। यदि वे बोलना चाहें तो बोलें नहीं तो फिर दूसरे ...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं तो बोल ही रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय।

(शोरगुल : अश्रव्य)

(अनेक मा. सदस्य एक साथ बोलने को खड़े हुए व बोलने लगे)

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : यह सदन का अपमान है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि मैं खुद इस बात का आई विटनेस हूं। भरतपुर में आर. टी. ओ. वगैरह को भेज कर, बस ऑपरेटर्स को दबा-दबा कर चन्दा वसूल किया गया।

(अश्रव्य : शोरगुल—व्यवधान)

(श्री मुकुटविहारीलाल गोयल)

मैं दावे के साथ यह कह सकता हूं।

श्री रामकिशन वैर ५००) रु० लिये।

(शोरगुल : अश्रव्य)

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : आर. टी. ए. यही नहीं, उनके लिए परमिट दिया गया है, बस वालो को और यह कहा गया है कि एक ट्रिप फ्री देनी पड़ेगी सेशन में। इस तरह की बातें हुई हैं।

(शोरगुल, व्यवधान, अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : (Order ! Order please !!

I hope you have taken quite a long time.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैंने तो समय नहीं लिया यह मन्त्री और इनके बीच में विवाद खड़ा हो जाता है।

श्री उपाध्यक्ष : आज हमें दो बिल पारित करने हैं और इसलिये कल की व्यवस्था के अनुकूल अमेन्डमेन्टस पर बोलने वाले माननीय सदस्य दस मिनट से अधिक लेने की कृपा न करें। और....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आज तो एक ही है।

जोधपुर यूनीवर्सिटी वाले को कल पास कर देंगे और इस बिल को आज पास कर देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : इस तरह से आश्वासन माननीय सदस्य सदन में दे देते हैं, पर फिर भूल जाते है। इसलिए मैं तो केवल निवेदन कर रहा हूं। अब जिस तरहसे सदनकी व्यवस्था रहेगी यह आपको देखना है।

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : मैं निवेदन कर रहा था, उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में भूतपूर्व गृह मन्त्रीजी ने जो कुछ कहा, मैं उनकी चुनौती को स्वीकार करता हूं और इस सदन को कहना चाहता हूं कि इस सदन के तीन चार आदमियों की, पांच आदमियों की एक समिति बनाई जावे और वह इस बात की जांच करे, सारे मसले की, कि इस टैक्ट में छूट करने के बाबत का प्रपोजल सबसे पहले कब शुरू हुआ ? शुरू होने के बाद इतने दिन कैसे पेन्डिग रहा ? पेन्डिग में रखने के बाद किस तरह का डिसीजन लिया गया, किन तारीखों में डिसीजन लिया गया और किन तारीखों में चन्दे की रसीद काटी हुई हैं ? चन्दे की रसीदों के साथ बहुत से चैक भी है। उनके नम्बर वगैरह भी मैं बता दूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, चैक कटे, डिस्ट्रिब्यूटर्स, एग्जीबिटर्स और एडवर्टाइजरोंसे व इन सारी एजेन्सियों से और इस ट्रेड में इन काम करने वालों ने चेयरमेन, रिसेपशन कमेटी के नाम से काटे हैं बहुत से चैक। इसमें अब रकम १४ हजार हो सकती है, १५ हजार हो सकती है, १६ हजार हो सकती है। कम ज्यादा हो सकती है, पर प्रश्न यह नहीं है। अक्टूबर तक ६-७ महीनों तक गवर्नमेन्ट को यह महसूस नहीं हुआ कि यह हैवी टैक्सेशन होने के कारण टैक्स का रिटर्न कम मिल रहा है। पर सात महीनों के बाद उस

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

समय आपने यह डिसीजन लिया। यह सर्कम्स्टेन्शियल एवीडेन्स है करप्शन की। लॉ मिनिस्टर जानते हैं ब्राइबरी और करप्शन के बारे में और मुख्यमन्त्रीजी भी जानते हैं इसे अच्छी तरह से कि यह जरूरी नहीं है कि हर बार डाइरेक्ट एवीडेन्से मिल जावे। पर अदालतों में सरकम्सटेन्शियल एवीडेन्से आती हैं और उनको महत्व दिया जाता है ऐसे मामलों में। परिस्थितियों की शहादतें पेश की जाती हैं और उन पर से अदालतों ने यह निश्चित नतीजे निकाले हैं कि यहां करप्शन हुआ है और उन आधारों पर सजाएं हुई हैं। हो सकता है अगर वित्त मन्त्रीजी ने यह कह दिया कि वित्त विभाग ने नहीं लिया। ठीक है, वे सही हैं। विभाग ने चन्दा नहीं लिया। मैं कब कहता हूं विभाग ने लिया, उनके वित्त विभाग ने लिया। सवाल तो इस बात का है कि चन्दा लिया गया, उनके विभाग ने ऐसी हालत पैदा कर दी कि लोगों ने उससे प्रेरित हो कर चन्दा दिया। अब चन्दा कोई भी ले। लेकिन चन्दा लेने के एवज में और सरकार का विभाग या सरकार के कर्मचारी या मन्त्री, जो भी हों, वे अगर ऐसा कोई काम करते हैं तो वह करप्शन की तारीफ में आता है या नहीं आता है, इसका निर्णय कोई भी कर सकता है।

मैं ज्यादा सदन का समय नहीं लेना चाहता जैसा आपने आदेश दिया, पर एक ऑथोरिटी सदन के सामने रखना चाहूंगा और वह ऑथोरिटी इस प्रकार की है। एक आर्म्स क्लर्क था जो आर्म्स के लाइसेन्सों को रिन्यू करने का काम करता था।

उसका काम था दरख्वास्तों को एस. डी. एम. के सामने पेश करने का। उस आर्म्स क्लर्क ने, जो व्यक्ति दरख्वास्त रिन्यू कराने के लिए आया उस आदमी को कहा कि लड़ाई चल रही है। इस लड़ाई में तुम वार लोन खरीद लो। अपने लिए पैसा नहीं, एस० डी० एम० के लिए पैसा नहीं, कलेक्टर के लिए पैसा नहीं तो वार लोन लड़ाई के लिए ले लो जो कि उस समय १९४५ में चल रही थी। तो उस व्यक्ति को १०० रुपये का वार-लोन खरीदवा दिया। हाईकोर्ट में मसला गया और पटना की हाईकोर्ट ने क्या कहा १९४५ में हाई कोर्ट के ओबजरवेशन्स में सदन के सामने रखता हूं।

"It was the official duty of the Arms Act clerk to put up to the Sub-divisional Officer the application which any licensee had made for renewal of the licence for his gun; as a condition to the performance of that duty the Arms Act Clerk demanded that the licensee should invest Rs. 100 in War loan:"

कि भाई तुम १००) रुपये वारलोन में इनवेस्ट कर दो।

"Held that the demand of the Arms Act Clerk amounted to an attempt to obtain a gratification not for himself but for his employers as a reward for doing his

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

official duty to forward the licencee's application for renewal of his licence to the Sub-divisional Officer, and therefore constituted an offence under S. 161 I. P. C."

केवल वार लोन में इन्वेस्ट करवा दिये १००) रुपये। केस के सारे फैक्ट्स मैं सदन के सामने रखूंगा तो काफी समय लगेगा। तो उसने एप्लीकेशन फॉर्वर्ड की, खुद ने पैसा नहीं खाया, एस० डी० एम० ने नहीं खाया, कलेक्टर ने नहीं खाया तो विधि मन्त्री का यह कहना कि वित्त विभाग ने नहीं खाया, यह कोई माने नहीं रखता।.......

श्री परसराम मदेरना (उप-मन्त्री, सामान्य प्रशासन) : माननीय सदस्य यह बतायें कि जिस क्लर्क ने लाइसेन्स के लिए एप्लीकेशन फॉर्वर्ड की थी उसने कहा कि वार फण्ड में दे दो। तो आप यह प्रूव कीजिए कि फाइनेन्स मिनिस्टर ने कहा था कि यह चन्दा किसी पर्टीकुलर चीज के लिए दे दो, तब तो वह इस डेफीनिशन में आता है, वर्ना नहीं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : किसने क्या कहा, क्या नहीं कहा, यह एक मिनट में सदन में साबित नहीं होता। यह तो कानून का सिद्धान्त है कि सारे सरकम्स्टान्सेज़ के आधार पर ही किसी चीज को आंका जा सकता है। इतना ही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, किसी चेरीटेबल इन्सटीट्यूशन को जिसमें आपकी दिलचस्पी है उस दिलचस्पी वाली संस्था को चन्दा दिलाना और आपकी ऑफिशियल ड्यूटी में यह हो तो यह भी करप्शन है। एक पटवारी ने मन्दिर के लिए चन्दा दिलवा दिया और कहा कि मन्दिर में इसकी आस्था है इसलिए यह उसकी ड्यूटी में इन्टरफियरेन्स होता है यह भी करप्शन है। यह मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो स्टेटमेन्ट ऑफ ऑबजेक्टस एण्ड रीजन्स दिये हैं उसमें यह लिखा है कि 'हैवी बर्डन' होगा। उपाध्यक्ष महोदय, सदन को एक बात बताना चाहता हूं कि यह उनके साथ में फ्रॉड किया है और सदन के साथ भी फ्रॉड किया जा रहा है। आप देखें कि कानून क्या कहता है जो इस सदन ने पास किया। कानून जो इस सदन ने पास किया ५७ में उस बिल के प्रोवीजन में जो एक्सट्रेक्ट दिया है कृपया उसको देखिये। ४ (ए) में लिखा है :

"Levy of advertisement tax"

और (बी) में लिखा है कि रेट क्या होगी ? उसमें लिखा है ५ न० पै० per ft. of length of the film per show; १ शो के ५ रुपये ३ शो के १५ रुपये और ७ दिन के १०५ रुपये। हमने कानून पास किया है १०५ रुपये का और सरकार नोटीफिकेशन निकालती है ३ रुपये का। १०५ रुपये का सदन का कानून है और सरकार का नोटीफिकेशन ३ रुपये का। कौनसा और सर्कम्स्टान्स चाहिए यह साबित करने के लिए कि इसके पीछे ऐसा कोई मोटिव था जिसके कारण से आपने यह ऑर्डिनेन्स निकाला और इन लोगों को यह राहत दी।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

उपाध्यक्ष महोदय, कोई भी देखे तो इसको न्यायसंगत नहीं बता सकता। आज कोई भी ताकत और मैजारिटी के आधार पर इस कानून को पास करा सकते हैं लेकिन राजस्थान के जनमानस पर यह कुठाराघात है। मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि १०५ ६० का टैक्स लगाने का कानून पास करके और नोटीफिकेशन के जरिये कांग्रेस अधिवेशन के ७ दिन पहले उसको ३ रुपये करना साधारण बुद्धि वाला आदमी भी क्या कहेगा? आप बाकी सारी चीजों में जायें या नहीं लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बाकी सारे आर्डिनेन्स हमने बर्दाश्त कर लिए। अभी प्रधान और उप-प्रधान के निलम्बित करने का सवाल उठा, उसको भी हमने पास किया, लेकिन यह सदन के अधिकारों का बहुत महत्वपूर्ण मसला है जिसके आधार पर यहां पर पास किये हुए कानून में इस प्रकार से टैक्स में छूट दी गयी तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान की जनता से और विरोधीदल से सहयोग के लिए जो सरकार अपील करती है उस प्रकार का सहयोग प्राप्त नहीं कर सकेंगे। क्या राजस्थान की जनता आपके द्वारा लगाये जाने वाले राजस्थान के विकास के लिए टैक्सों का समर्थन करेगी? कदापि नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि इससे ज्यादा ग्लेयरिंग एग्जाम्पल करप्शन की और नहीं मिल सकती। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि सदन की इस बारे में एक जांच कमेटी बैठाई जाये कि क्या ऑर्डिनेन्स जारी करने के इन परिस्थितियों में कोई कारण हो सकते थे, इतना रिलीफ टैक्स में देने का कोई कारण हो सकता था? उपाध्यक्ष महोदय, मैं चैलेंज करता हूं कि सारे मामले में जांच करायें और इन शब्दों के साथ मैं अपना संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय

श्री परसराम मदेरणा (उप-मन्त्री, सामान्य प्रशासन) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान मनोरंजन तथा विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक, १९६४ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : Motion moved. Only ten minutes for each mover of the amendments.

(विराम)

Shri Durgalal Bardar

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : (हवामहल, जयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान मनोरंजन तथा विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक, १९६४ आज हमारे सामने विचाराधीन है। इस सदन में काफी अर्से से चर्चा चल रही है और चर्चा का विषय एक साधारण विषय नहीं है बल्कि इतना गंभीर विषय है कि हम बारबार ट्रेजरी बेन्चेज के आदमियों के सामने इनके नोटिस में यह बात लाते रहते हैं कि ऑर्डिनेन्स किन परिस्थितियों में बनाये जाते हैं और ऑर्डिनेन्स को जारी किये जाने की कौनसी ऐसी परिस्थितियां होनी चाहिए कि जिनके अन्दर ऑर्डिनेन्स जारी किया जाये। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती कि क्या कोई आदत पड़ गयी है, राज्य सरकार के इन मन्त्रिगणों की कि जब चाहे जैसी

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

इच्छा हुई, जो परिस्थितियां देखें उसी में कोई भी किसी प्रकार का ऑर्डिनेन्स पेश कर दिया जाये। मैं तो यहां तक कहने के लिए तैयार हूं कि इन्हें विचार करना चाहिए कि केन्द्रीय सरकार, जिसे इनका आका कहना चाहिए, कम से कम कैसी भी परिस्थिति हो, कितनी ही एमर्जेन्सी हो, केन्द्रीय सरकार ने भी कोई चेष्टा नहीं की कि जब चाहे और जैसा चाहे ऑर्डिनेन्स जारी कर दिया। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसी कौनसी परिस्थिति थी? इस ऑर्डिनेन्स की भावना को देख लें। इसके स्टेटमेन्ट आफ आबजेक्ट्स एण्ड रीज़न्स जो दिये गये हैं उसका मुलाहजा करें। उसमें यह बात बताई जाती है कि जिस प्रकार से इन फिल्म्स के एग्जीबीशन के ऊपर जो एडवर्टाइजमेन्ट की रेट्स हैं उसके आधार पर हमने यह अनुभव कर लिया है या ऐसा राज्य सरकार अनुभव करती है कि इससे प्रोत्साहन नहीं मिलता है एडवर्टाइज़मेन्ट को और इसको कम करना आवश्यक समझा गया। इस एमर्जेन्सी के जमाने में इन रेट्स में तब्दीली करना तो राज्य सरकार के लिए बहुत ही आवश्यक चीज समझी जाती है कि जिसके लिए ऑर्डिनेन्स पेश करने की जरूरत पड़ी। क्या राज्य सरकार के मंत्रीगणों ने यह विचार किया कि एक तरफ दुगुनी और तिगुनी महंगाई बढ़ गयी है। जहां नौकरों की तनख्वाह बढ़ाने का सवाल आया, मजदूरों का सवाल आया तो ५) रुपये राज्य सरकार की ओर से दे दिये गये लेकिन और दफ्तरों में बैठने वाले अहलकार और दूसरे किस्म के क्लर्क वगैरह हैं उनका कोई ख्याल नहीं रखा है और राज्य सरकार खामोश बैठी है और फिर भी राज्य सरकार समझती है कि हम तो अपने उत्तरदायित्वों को बड़ी आसानी से निभाते हुए चले जा रहे हैं। जयपुर में हम देखते हैं कि पानी की समस्या है, खाने के लिए सस्ते अनाज की व्यवस्था नहीं है। इन सारी बातों को राज्य सरकार नहीं सोचेगी, लेकिन यह मंत्रीगण अपने दिमाग की सारी शक्ति से, जहां तक ऑर्डिनेन्स बनाने का सवाल है उसके ऊपर सारी शक्ति लगाने के लिए तैयार हैं।

मैं पूछना चाहूंगा इन मंत्री महोदय से कि पानी की आज शहर में क्या अवस्था होती है? केवल सुबह २ घण्टे और शाम को २ घंटों के लिये चौकड़ी में पानी खोलते हैं। उसमें भी जिसके घर के अन्दर ज्यादा आदमी होते हैं उन्हें दिक्कत हो जाती है, क्योंकि प्रेशर इतना कम रखा जाता है कि वे पूरा पानी नहीं ले सकते। मैं समझता हूं कि पानी नहीं मिलता है और अन्न के लिए लोग त्राहि-त्राहि करते रहें, लेकिन सिनेमाओं को प्रोत्साहन देने के लिए, व्यापारियों को प्रोत्साहन देने के लिए इस प्रकार के ऑर्डिनेन्स जारी कर देते हैं। मैं यह कहूंगा कि माननीय सदस्य श्री ज्वालाप्रसादजी ने ट्रेज़री बेन्चेज़ पर बैठने वालों की ठीक प्रकार से आलोचना की थी और यह कहा था कि ट्रेजरी बेन्चों पर बैठने वालों को गरीब पब्लिक का ख्याल नहीं होता है, जनसाधारण का खयाल नहीं होता है। यह ठीक है। मैं इस बात को मानता हूं। जो जमीन मान प्रकाश सिनेमा के पास में बच्चों के खेल-कूद और आमोद-प्रमोद के लिए रिज़र्व की

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

गई थी उसको उसको मुफ्त में राज्य सरकार ने दे दी। हो सकता है कि उनको कोई लालच हो या उनके सामने ऐसी परिस्थितियां हों, उन परिस्थितियों को हम जान सकते हैं। यह जवाब दिया गया है कि इस बात के लिए सदन छोड़ने को तैयार हैं और इस बात का प्रमाण प्रस्तुत करें, कौन सा सुबूत है हमारे खिलाफ ? लेकिन परिस्थितियां ऐसी हैं कि जिनका कोई दूसरा नतीजा आपके ख्याल में नहीं आ सकता है, बल्कि उसका केवल एक ही नतीजा निकाला जा सकता है। जिन परिस्थितियों में आप देखते हैं अपने आपको और आपको रुपये की जरूरत पड़ती है और आपको कोई बड़ा भारी फन्क्शन करना पड़ता है उस हालत में इस प्रकार का जो वर्ग है, जो पैसे वाला वर्ग है उसको हर प्रकार की राहत देने के लिए इस प्रकार का आश्वासन दे दिया करते हैं कि जिनसे बहुत बड़ी रकम आपको चन्दे में मिल सकती है। यह हो सकता है कि जवाब में आप कहेंगे कि आप कह दें कि हिन्दुस्तान में, सारे देश में चलने वाली ऐसी कौन सी पार्टी है जो बगैर चन्दे के चला करती है। सिर्फ कांग्रेस ही चन्दा नहीं मांगा करती है और भी पार्टियां मांगती है, लेकिन उस तरीके से नहीं। और भी पार्टियें चन्दा मांगती हैं तो उनको चन्दा उस प्रकार से नहीं दिया जाता है। जब आप चन्दा मांगने जाते हैं तो चन्दे की रकम आपको ज्यादा मिलती है। ऐसे उदाहरण भी हो सकते हैं जैसा कि आप करते हैं और उसका नतीजा यह होता है कि दूसरी पार्टी को जहां दो रुपये चन्दा मिलता है वहां आपको १० रुपये मिलते हैं, जहां दूसरी पार्टी को १००, रुपये चन्दा मिलता है वहां आप १०,०००) रुपये तक चन्दा वसूल कर लेते हैं। वह चन्दे की रकम कहां जाती है और किस प्रकार से व्यय होती है उसका हिसाब-किताब देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन चन्दा किस प्रकार से वसूल किया जाता है उसके लिए सदन की या निष्पक्ष व्यक्तियों की कमेटी बनाई जाय और इसके बारे में तहकीकात की जाय कि किन परिस्थितियों में ऐसा किया गया है।

जैसा कि मैं बता रहा था कि बच्चों के लिए जो जमीन रिजर्व की गई थी उस जमीन को एक टोकन रकम पर उन्होंने चैम्बर ऑफ कामर्स को दे दी। आज वह जमीन कई लाख रु० की इस जयपुर में हो सकती है। वहां पर बच्चों के खेल-कूद के लिए आमोद-प्रमोद के लिए बहुत अच्छा साधन कायम हो सकता था, लेकिन इस ओर राज्य-सरकार का ध्यान नहीं जायगा।

आप यह देखिये कि किन २ परिस्थितियों में यह ऑर्डिनेन्सेज बन रहे हैं तो उन पर यह ध्यान नहीं दिया जायगा कि सहूलियत के आधार पर कानून बनते हैं या इस प्रकार के कानून बनते है कि जिससे हमारी सिद्धि चली जाय। एक नहीं अनेकों उदाहरण मैं आपके सामने ऐसे रखूंगा कि जिनसे आपको मालूम होगा कि किन परिस्थितियों में यह राज्य सरकार आगे बढ़ने की चेष्टा करती चली जा रही है। अभी थोड़े अर्से पहले जब यहां यह विवाद चल रहा था कि जहां तक अच्छे डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल आता है चीनी और सस्ते अनाज का तो इन सारी

Page No.54

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाकर मैं यह कहूंगा कि डिस्ट्रीब्यूशन का जो तरीका आपने बना रखा है वह ठीक नहीं है। मेरे पास ऐसे जाज्वल्यमान केसेज़ हैं जिसमें आपके तबके के सरपंच महोदय जिनके द्वारा चीनी का वितरण किया जा रहा है, बड़नगर पंचायत का एक केस है जिसमें बड़नगर पंचायत को सप्लाई करने के लिए चीनी की बोरी दी गई। वह सरपंच महोदय खुद ब्लैकमार्केटिंग करते हुए पकड़े गये। दो बोरी थानेदार ने बरामद की और केस रजिस्टर कर दिया गया। इसके बावजूद आज भी राज्य सरकार की ओर से कोई ऐसा ध्यान नहीं दिया गया कि क्या एक्शन पंच के खिलाफ लेने की चेष्टा की गई? आप खामोश बैठे रहते है नहीं ले सकते हैं क्योंकि वे आपकी पार्टी के खास आदमी हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

उनके खिलाफ एक्शन लेने का सवाल तो हो सकता है लेकिन आपका इन्टर्नल ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो जाता है। आप यह कह सकते हैं, मैं समझता हूं आपकी जिज्ञासा को देखकर कि मैं ईरिलेवेन्ट जा रहा हूं....

श्री परसराम मदेरणा (उप-मंत्री, सामान्य प्रशासन): किसी प्रकार का एलिगेशन लगाने से पहले यह तो बता दें कि कौन सरपंच है, कहां का है....

श्री दुर्गालाल बाढ़दार: मैंने पंचायत का नाम लिया है ...

श्री परसराम मदेरणा: दूसरी बात यह है कि जिस बिल पर बहस हो रही है उसका इससे क्या सम्बन्ध है? सरपंच के खिलाफ जो भी कार्यवाही वगैरह की गई है उसका जवाब यहां पर बिना बराबर नोटिस के नहीं दिया जा सकता है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार: I am explaining the relevancy. I have very well appriciated the impatience of the Minister. In that respect, I hava already named the particular name of the Panchayat Badnagar in Tehsil Kotputli. I have already explained it.

तो मैं केवल एक उदाहरण देकर, एक दृष्टान्त देकर आपको यह बताना चाहता था कि ऑर्डिनेन्स निकालने के लिए यह सारी बातें नहीं होती हैं।

अब मैं विषयान्तर नही होकर यह बताना चाहता हूं।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

इस तरमीम के द्वारा पहले यह देखिये कि आप संशोधन में जिस भावना को लेकर आगे बढ़ते हैं वह कर सकते हैं कि नहीं। आपके सामने अभी आंकड़े जोड़ कर, हिसाब लगाकर यह बताया गया कि जो रेट इस दो नये पैसे के हिसाब से रखी थी उससे राज्य सरकार को आमदनी कितनी हो सकती थी। आपको यह भी बताया गया कि अब जो रेट इसमें तरमीम करने जा

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

रहे हैं उससे राज्य सरकार की आय में कितना परिवर्तन होगा ? इन दोनों रेटों का मुलाहिजा फर्मा लें। जिस भावना को लेकर, जिस राजस्व को बढ़ाने के दृष्टिकोण से, राज्य-सरकार के एक्सचैकर को मजबूत करने के दृष्टिकोण से आप यह तरमीम करना चाहते हैं, आप यह ऑर्डिनेन्स लाये हैं क्या वह भावना आपकी पूरी हो सकती है ? अभी आंकड़ों के द्वारा यह स्पष्ट किया गया है उसका कोई जवाब आपके सामने नहीं है, और मैं यह उम्मीद करता हूं कि कोई रीजनेबल एक्स्प्लेनेशन आ भी नहीं सकता, और एक्स्प्लेनेशन दिया जा सकता है उन बातों का जिनमें कोई तथ्य नहीं हो। एक्स्प्लेनेशन इस प्रकार भी दिया जा सकता है और मैं अनुभव के आधार पर यह कहूंगा कि Devils may also quote scriptures in their favour. आप प्रमाण भी इस बात का पेश कर सकते हैं, लेकिन वह इस प्रकार के होंगे कि जिन प्रमाणों के आधार पर यह माना जाय कि राज्य सरकार को ऑर्डिनेन्स लागू करने की सख्त जरूरत थी तो राज्य सरकार आराम से और खामोश होकर प्रजा के सुख की चिन्ता से आंखें मींच कर ऑर्डिनेन्स जारी करने में अपनी सारी शक्ति लगाती है, तो मैं यह कहूंगा कि प्रजातन्त्रीय शासन-प्रणाली में यह स्वस्थ परम्परा नहीं है, और स्वस्थ परम्परा निभाने के लिए आप लोगों का यह परम कर्तव्य हो जाता है, आप लोगों का यह पहला धर्म हो जाता है कि आप इस प्रकार की जो गलत आदत है उसको बन्द कर दें।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

मुझे तो ऐसा मालूम पड़ता है कि जिस तरह से पंचों के लिए कहा करते हैं कि पंचों ने फैसला कर दिया तो पंचों का हुक्म सिर माथे पर, मगर हमारा परनाला तो यहीं पड़ेगा, आप अपने उत्तर में कह सकते हैं कि आप प्रजातन्त्र की स्वस्थ परम्परा में विश्वास करते हैं, लेकिन आप अपनी जुबान पर, अपने वायदों पर कायम नहीं रहते हैं। जिस प्रकार आगे बढ़कर आप जनता के सामने वायदे करते हैं ....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

दम भरने की कोशिश करते हैं, इस प्रकार अपने वायदों को पूरा करने की भी कोशिश करें।

श्री उपाध्यक्ष : Order !

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : आप ऐसा नहीं करते हैं अगर, तो आप अपने कर्तव्य से च्युत होते हैं।

श्री रामकिशन (वैर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान मनोरंजन तथा विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक, १९६४ पर अभी तक जो विचार प्रकट किये गये हैं और जो तथ्य सदन के सामने लाये गये हैं, मैं नहीं समझता कि उनको दोहराने की जरूरत है, और दूसरी ओर लगातार इन अध्यादेशों की आलोचना ५-७ दिन तक सुननी पड़ेगी, लेकिन मैं इस बात को कहने के लिये मजबूर हो रहा हूं कि विधान सभा में जो कुछ हम

(श्री रामकिशन)
(१०.५० म० पू०)

कहते हैं वह अच्छे इरादे से कहते हैं क्या सरकार उनका कोई नोटिस भी लेती है, कि नहीं ? यह अध्यादेश निकालने की जो प्रणाली है, यह ठीक है कि विधान में सरकार को उसके लिए अधिकार मिला हुआ है और सरकार अध्यादेश निकाल सकती है, लेकिन किन परिस्थितियों में निकाल सकती है और कम से कम निकालें यह विधान की सभी धाराओं में व्यवस्था है । लेकिन सरकार जिस तरह से ऑर्डिनेन्स निकालती है उसका सभी विरोध करते हैं, आलोचना करते हैं और जितने भी सख्त से सख्त शब्दों का उपयोग किया जा सके, किया जायगा । जब आप यह सिद्धान्त मान रहे हैं, पिछली बार जब संशोधन आया था, रेट बढ़ाई गई थी उस समय सरकारी पक्ष के और प्रतिपक्षी सदस्यों ने अपने विचार इसके बारे में व्यक्त किये थे उस समय वित्त मंत्रालय और वित्त मंत्रीजी सबका यह कहना था कि यह निर्विरोध भावना है कि इससे बिजनेस पर असर नहीं पड़ेगा । इस तरह से सरकार ने कह कर इसको लागू किया था । फिर थोड़े दिनों बाद ही कैसे महसूस किया ? महसूस करना जिनके लिये जरूरी था उन्होंने महसूस कराया होगा, यह मैं मानता हूं कि उनकी भावना कुछ भी रही हो, लेकिन जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने तथ्य सामने रखे, मैं चन्दा लेने का विरोध नहीं करता क्योंकि मैं जानता हूं कि कोई भी दल बगैर चंदे के चल नहीं सकता । सरकारी पक्ष के लोग एक बार नहीं अनेक बार चंदा लेते हैं । हम भी चंदा लेते हैं । इसमें चंदा लिया गया या नहीं यह मैं नहीं कह सकता । लेकिन जिस तरफ इशारा है, उसको देखते हुए जिस समय यहां पर कांग्रेस का अधिवेशन होने वाला था उसके ७ दिन पहले से ही इस प्रकार की विज्ञप्ति निकालना क्या शो करती है । मैं यह नहीं कहता कि चंदा लिया गया है लेकिन जानकारी इस प्रकार की है कि चंदा नहीं भी लिया गया हो तो भी वित्त मंत्रीजी को बदनाम करने के लिये इनकी पार्टी के नेता ने यह चाल चली है ....

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : मैं साफ कर देना चाहता हूं, यह कहा कि वित्त मंत्रीजी को बदनाम करने के लिये शायद यह सब मामला रचा गया है लेकिन यह गलत है । मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे केबिनेट में, मन्त्रि-मण्डल में आपस में भेद नहीं है । यह अनुमान लगाकर मतभेद पैदा करना ठीक नहीं है ।

श्री रामकिशन : मैं इस चीज पर आना नहीं चाहता था, मुझे इससे मतलब नहीं है । मैंने तो वित्त मंत्रीजी से निवेदन किया है कि इस तरह की चीजों से बचने की कोशिश करनी चाहिये । आपने देखा होगा कि सदन में कई बार इस प्रकार की जब चर्चा चलती है, गालियां पड़ती हैं उस समय मुख्य मंत्रीजी बचते रहते हैं और बदनामी मंत्रियों पर आती है ।

अभी एक माननीय सदस्य ने वित्त-मंत्रीजी से इस्तीफा देने की मांग की थी लेकिन मैं इस्तीफा देने की बात नहीं करूंगा । लेकिन जिस दृष्टिकोण से काम किया गया, ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर जो उस समय राजासाहब

(श्री रामकिशन)

थे उनसे मैं इस्तीफा नहीं मांगूंगा, उनको इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं परम्पराओं के नाते निवेदन करूंगा बड़े जोर शोर से, ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर साहब ने उस समय कहा था कि हमने गड़बड़ नहीं की। लेकिन मैं नामजद बात बताता हूं। ए. आर. टी. ओ. हैं गुप्ता साहब वे अलवर गये और उन दिनों वहां पर नुमायश चल रही थी वहां पर उन्होंने मोटर मालिकों को बुलाया और उन आर. टी. ओ. साहब ने उनसे कांग्रेस के लिये चन्दा लिया। अगर मंत्रीजी उनसे चन्दा लेते तो मुझे ऐतराज नहीं था क्योंकि वे कांग्रेस के नेता थे लेकिन एक सरकारी अफसर से चन्दा इकट्ठा करके गलत परम्परा डालना ठीक नहीं है। मुमकिन है आप थोड़े दिन और राज्य करलें लेकिन जब वे लोग गद्दी पर बैठेंगे उस समय आप रोयेंगे। हम तो अब भी रोते हैं, तब भी रोयेंगे, लेकिन अगर आप इस तरह की गलत कार्यवाही करेंगे तो बाद में इनको करते देख कर तब आपको यह कहते हुए चिल्लाना और चीखना पड़ेगा कि बुरा कर रहे हैं जो पाप आपने किया वह आपको भुगतना पड़ेगा। मैंने जो तथ्य दिये है राजासाहब चाहें तो उनकी जांच कर लें। एक बार नहीं, दो बार नहीं, चार बार नहीं, कई बार चन्दा लिया गया उसकी जांच करलें।

श्री बालकृष्ण कौल : इन बातों का इस अमेन्डमेन्ट से सम्बन्ध क्या है ?

श्री रामकिशन : मैं विवाद की दृष्टि से यह बात नहीं कह रहा हूं आप चाहें तो इसकी जांच कर लें और सही हो तो मुझे बतादें, सदन में नहीं बताना चाहें तो मुझे अलग से कहदें। मैं जानता हूं कि आप झूठ नहीं कहेंगे। छोटे मोटे मंत्री तो झूठ कह सकते हैं लेकिन आप ऐसे खानदान से आये हैं जो झूठ नहीं बोलेंगे। जनसंघ के माननीय सदस्य ने यह आरोप लगाया कि सरकार भ्रष्ट है। मैं समझता हूं इस प्रकार के आरोप लगाना बन्द करना चाहिये क्योंकि लोकतन्त्र में ऐसी अवस्था होती है जहां लोग साफ कह सकते हैं कि भ्रष्ट हैं। मेरा तो इतना ही निवेदन है कि यह सरकार इतनी भ्रष्ट है जैसी दुनियांकी कोई सरकार हो नहीं सकती। बार बार इनके लिये भ्रष्टाचारों के शब्द रिपीट करने से लोकतन्त्र खतरे में पड़ सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस बारे में संशोधन किया गया, मुझे अफसोस है कि इस ओर वित्त मन्त्री जी का ध्यान गया। इससे कितने लोगों का सम्बन्ध है ? ज्यादा से ज्यादा २ प्रतिशत लोगों का इससे सम्बन्ध होगा, दो परसेन्ट ऐसे व्यक्ति होंगे जो इससे प्रभावित होते होंगे उनकी कठिनाई की ओर वित्त मन्त्रीजी का ध्यान तुरन्त चला गया लेकिन लाखों किसान जो भूखों मर रहे हैं उन पर आपने सैल्स टैक्स लगाया, अनाज पर आपने टैक्स लगाया उस समय भी मैंने विरोध किया था और माननीय सदस्यों ने भी विरोध किया था लेकिन वित्त मन्त्रीजी का ध्यान उस ओर नहीं गया। आज फसल बरबाद हो गई है। मैंने वित्त मन्त्रीजी से कहा कि भरतपुर में पाले से फसल बरबाद हो रही है, लोग भूखों

(श्री रामकिशन)

मर रहे है लेकिन इससे वित्त मन्त्रीजी को कोई चिन्ता नहीं रहती है । मैं यह बताना चाहता हूं कि उनके दिमाग की बनावट कैसी हो गई है । बड़े लोग जो कहते है तो उनकी बात तुरन्त इनके ध्यान में आजाती है लेकिन गरीब लोगों पर क्या मुसीबत पड़ रही है इस ओर इनका ध्यान नहीं जायेगा । व्यापारियों पर इससे जो असर पड़ता है उस ओर आपका ध्यान तुरन्त चला गया और उसके लिए ऑर्डिनेन्स निकल गया लेकिन गरीबों को राहत देने के लिए कोई ऑर्डिनेन्स नहीं निकलेगा । मैं यह मानता हूं कि व्यापारियों पर इसका असर पड़ा है और उस ओर सरकार ने तुरन्त ध्यान दिया है, उनको राहत देने की उनको चिन्ता है ।

अभी बाढ़दार साहब ने कहा था कि बिड़ला साहब उद्घाटन करने आ रहे हैं जमीन का....

श्री बालकृष्ण कौल : जमीन का उद्घाटन करने ?

श्री रामकिशन : जमीन का नहीं तो चेम्बर ऑफ कॉमर्स के भवन का उद्घाटन करने बिड़ला साहब आ रहे हैं । शहर के बच्चों के खेलने के लिए जो जमीन थी उस पर चेम्बर ऑफ कॉमर्स का भवन बनेगा, उसका उद्घाटन करने बिड़ला साहब आ रहे हैं । मुझे इस बात से खुशी हुई कि सुखाड़िया साहब आज कल बिड़ला साहब से दोस्ती कर रहे हैं क्योंकि सात राजनीतिज्ञों ने बिड़ला साहब से दोस्ती की थी और उन सब का बेड़ा गारत हुआ और अब सुखाड़िया जी का नम्बर आया है । जो मुरारजी भाई, खेर साहब, बोम्बे के मुस्लिम मिनिस्टर, टी. टी. के. साहब इन सबने बिड़ला जी से दोस्ती की थी और सब को जाना पड़ा और अब सुखाड़िया जी चले जायें तो सारा संकट ही कट जाए । कुछ को गुजरात और राजकोट में जा कर बैठना पड़ा और कुछ पांडीचेरी में आश्रम बना कर बैठे है बिड़ला जी से दोस्ती करने के कारण, तो शायद हमारे मुख्य मन्त्री जी को भी उसी तरह का आश्रम बनाना पड़े मुझे खुशी हुई यह जान कर कि आज कल इनकी बिड़लाजी से दोस्ती चल रही है । उनकी दोस्ती से जो काम संभव होते हैं उसी तरह से यह काम भी संभव होगा । तो विरोधी दल को हटाने के लिए जो मेहनत करनी पड़ती है, जो तथ्य सदन में देने पड़ते है उनसे हम बच जायेंगे और हमारा काम सरल हो जायेगा । मैं विरोधी दल से कहूंगा कि अब अगर सरकार गलती करे तो उसको प्रोत्साहित करो । यह कम्युनिस्ट टेक्टिक्स है, रामानन्दजी इसको अच्छी तरह से जानते है कि प्रोत्साहन करने से डूबेंगे । हमें केवल यह देखना है कि उनके साथ साथ कहीं हम नहीं डूब जायं । लेकिन हम सतर्क हैं, हममें बुद्धि है, हममें ज्ञान है, हम भ्रमित नहीं होंगे । इसलिए मैं वित्त मन्त्रीजी से कहूंगा कि जो अध्यादेश आपने जारी किया है उसे आप वापिस लेलें । और आपने जो संशोधन बिल रखा है उसे हम पास करने को तैयार नहीं हैं फिर भी पास करेंगे लेकिन अब की बार मन्त्री हमें विश्वास दिला दें कि जब तक असाधारण

(श्री रामकिशन)

परिस्थिति नहीं होगी तब तक कोई अध्यादेश नहीं निकालेंगे। यदि इतना विश्वास वे दिला दें तो सदन में उनकी भावना का आदर होगा और सदन का काम सरल होगा। इतना ही कह कर मैं अपना आसन ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : माननीय उपाध्यक्षजी, राजस्थान मनोरंजन तथा विज्ञापन कर (अमेन्डमेन्ट) बिल जो सदन के सामने है उसके बारे में पहले जो माननीय सदस्य जयपुर से आये हैं उन्होंने इस अध्यादेश के संबंध में जो बातें कहीं मैं समझता हूं उनको आज के युग में कोई कम महत्व नहीं देना चाहिये। मुझे इस बात का बड़ा खेद है कि जिस समय राजस्थान मनोरंजन कर विधेयक के बारे में राजस्थान विधान सभा में बहस चल रही थी उस समय एक तरफ से इस बात को बताया गया था कि सरकार जो टेक्सेज लगा रही है उससे न तो सरकार को लाभ होगा और न विज्ञापन देने वालों को लाभ होगा। परन्तु उस समय इस बात का इस तरीके से जवाब दिया गया था जैसे सरकार यह समझती थी कि ये सारे के सारे लोग बोल रहे हैं यह गलत बोल रहे है। अब उसमें परिवर्तन की बात आई। इस परिवर्तन के सम्बन्ध में हो सकता है कि वित्त मन्त्रीजी कुछ भी जवाब दे दें लेकिन आज के युग में इस लोकतांत्रिक युग में लोकतांत्रिक तरीके से किसी बात को सदन से न मान कर बाद में अध्यादेश जारी करना और उसके द्वारा कानून में इतना जबर्दस्त परिवर्तन होना-जिससे एक सप्ताह के अन्दर एक सिनेमा गृह से जहां १०५ रुपये हमारे पास आने चाहिए वहां केवल ३ रुपये आयें-इतना जबर्दस्त परिवर्तन एक अध्यादेश के जरिये सरकार कर दे और फिर कहे कि यह अपने आप में कोई भ्रष्टाचार नहीं है। मैं कहता हूं जिस मंत्री ने या सरकार ने इस प्रकार लोकतांत्रिक तरीके की उपेक्षा करके उस समय न माना और उसके बाद इतना जबर्दस्त परिवर्तन कर दिया तो यह अपने आप मे एक जबर्दस्त भ्रष्टाचार है। इसलिए इस सरकार को भ्रष्टाचारी सरकार कहा जाय तो गलत बात नहीं है। आप चाहे किसी कानूनी तरीके से देख लें। भ्रष्टाचार नैतिकता के आधार पर ही नाप सकते हैं। भ्रष्टाचार प्रमाणित नहीं किया जाता है। उसमें मन्शा देखी जाती है और साथ ही कृत्य देखा जाता है। मैं समझता हूं कि यह कृत्य किया गया है यह अपने आप में एक प्रकार का ऐसा आचरण है जो भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है क्योंकि आपने लोकतंत्र की उपेक्षा करके अध्यादेश के जरिये परिवर्तन कर दिया।

अब एक दूसरी बात रखी गई उसके जवाब में गृह मंत्री जी ने कहा कि हमने सिनेमा मालिकों से एक पैसा नहीं लिया। आपने पांच हजार से कम लिया, दस हजार लिया-जो कुछ भी लिया-मैं इसके बारे में इतना ही कहना चाहता हूं कि यदि ऐसे मौके के ऊपर जब आप किसी प्रकार के टैक्स के अन्दर परिवर्तन करते हैं और परिवर्तन करने से टैक्स पेअर को लाभ पहुंचता है और वह लाभ इस प्रकार का पहुंचता है कि उसके

(श्री मुरलीधर व्यास)

बाद कांग्रेस को चैक दिया जाता है तो इसमें एक शंका होती है और मैं इस बात को मानने वाला हूं कि किसी से कोई पैसा, जब उसका काम इस प्रकार से हुआ हो, लेना अपने आपमें भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार की व्याख्या इसी प्रकार की जाती है कि कोई आदमी कहे, यह काम करना है। मैं उसका काम करना ठीक नहीं समझता हूं तो मैंने कर दिया। और करने के बाद मैंने उससे पैसा ले लिया तो मैं समझता हूं कि मैं बहुत गिरा हुआ हूं क्योंकि मैंने चन्दा लिया है। यह जो केस हुआ है, इसमें आप कहते हैं, चैक से पैसा दिया गया है। मंत्री महोदय कहते हैं कि चैक से पैसा नहीं आया। माननीय गृह मंत्रीजी ने कहा कि पैसा आया है, चैक से पैसा आया है। तो किसी आदमी को सपना नहीं आता है कि वह कांग्रेस को पैसा चैक से भेज दे। उससे पहले उससे बातचीत हुई और बातचीत में चन्दे की बात मंत्री महोदय न लाये हों लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि उससे पहले सारे लोग मिले हैं और वित्तमंत्री के साथ बातचीत हुई है और बातचीत........

श्री परसराम मदेरणा (उप-मंत्री, वित्त): यह गलत है, निराधार है। किसी भी सिनेमा प्रोप्राइटर ने इस प्रकार पार्टी को चन्दा दिया हो, या वित्त मन्त्री महोदय से मिले हों–यह आप प्रूव कर दें तो मैं समझूंगा कि आपका कहना न्यायसंगत है।

श्री मुरलीधर व्यास : आप पहले जांच कमेटी बैठाइये।

श्री परसराम मदेरणा: आप जो कहें वह पूरी रेस्पोन्सिबिलिटी के साथ कहना चाहिए। मैं कहता हूं कि न कोई मिला है और न चन्दे की बात आई है।

श्री मुरलीधर व्यास : फिर क्या आपको सपना आ गया और टैक्स कम कर दिया? आपके पास रिप्रेजेंटेटिव आया या नहीं, उसको कहा या नहीं?

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी वित्त मन्त्री ने कहा है।

श्री परसराम मदेरणा : रिप्रेजेंटेटिव्ज़ आये थे लेकिन रिप्रेजेंटेटिव्स के आने से नहीं बल्कि डिपार्टमेंट के कमिश्नर ने टैक्सेशन की वसूली और आमदनी इन सब मुद्दों को देखते हुए रिडक्शन के लिए मामला उठाया। मुझे मौका मिलेगा तो मैं फेक्ट्स• नेरेटिव फॉर्म में रखूंगा।

श्री मुरलीधर व्यास : आप बता दीजिए. रिप्रेजेंटेटिव्ज़ कब आये, कौन से माह में आये और कब आपने फैसला किया?

श्री मानिकचन्द सुराणा : उपाध्यक्ष महोदय, हम किसके सामने सबूत पेश करें। जो इस तरह की बात उप-वित्त मन्त्री ने की है, इस पर एक कमेटी बैठाई जाय। हम इस चुनौती को स्वीकार करने को तैयार हैं। हम उपाध्यक्ष महोदय, यह पूछना चाहते हैं कि हम किसके सामने सुबूत पेश करें। There should be a committee of this House. आप इसको स्वीकार कर लें, और हाउस की कमेटी बना दी जाय।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): उपाध्यक्ष महोदय...

श्री मानिकचन्द सुराणा : उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय चैलेंज करते हैं तो हम सुबूत पेश करने को तैयार हैं। लेकिन हम किसके सामने सबूत पेश करें ?

श्री उपाध्यक्ष : Shri Murlidhar Vyas is in possession of the floor.

श्री परसराम मदेरणा : I don't agree to the forming of any committee here and now.

(व्यवधान)

ग्राप कहते हैं, कमेटी बना दीजिये। हम गलत कहते हैं तो ग्राप उसका नाम बताइये, जो प्रोप्राइटर कहता है कि हम वित्त मन्त्री से मिले थे।

श्री मुरलीधर व्यास : गोलेछा, जो चेग्ररमैन है। ग्राप कहते हैं कि रिप्रजेंटेटिव ग्राये तो ग्रापके पास कब रिप्रेजेंटेटिव्ज ग्राये, ग्रापने कब उन्हें सुना ग्रौर कब फैसला दिया यह बता दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : यह प्रश्न का घंटा नहीं है।

श्री बालकृष्ण कौल : (वित्त मंत्री) यह प्रश्न का घंटा नहीं है। बाद में सरकार का जवाब होगा।

श्री उपाध्यक्ष : जिस समय जवाब हो उस समय हो। ग्रापस में प्रश्न करना ठीक नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं कह रहा हूं कि ग्राखिर ...

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्थाका सवाल है। जब विपक्ष के सदस्यों की तरफ से लगातार जांच कमेटी की मांग की जा रही है ग्रौर इंचार्ज ग्रॉफ दि बिल ने कमेटी, जांच कमेटी द्वारा जांच कराये जाने के लिए सहमति प्रकट की है, चुनौतियां दी हैं ग्रौर चुनौतियों के बाद ग्रारोप-प्रत्यारोप हुए हैं; तब मैं, उपाध्यक्ष महोदय, जनतंत्र की रक्षा ग्रौर सदन की मर्यादा को खतरे से बचाने के लिए निवेदन करूंगा कि ग्राप ग्रपनी सदारत में सदन के पांच सदस्यों की....

श्री निरंजननाथ ग्राचार्य (उप मंत्री, शिक्षा) : This is no point of order.

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल : एक कमेटी नियुक्त कर दें ग्रौर उसके बाद जब इस तरह के ग्रारोप ग्रावें तो यह स्वस्थ परम्परा की बात हो जाती है। इसके बगैर कोई बात बनने वाली नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : ग्रॉर्डर प्लीज़। जो कुछ बीच में बातचीत होती है उसको ग्रासन द्वारा नोटिस में लेना ग्रावश्यक नहीं है। मुरलीधरजी पज़ेशन ग्रॉफ़ दि फ्लोर हैं,

(श्री उपाध्यक्ष)

यथानियम बोलेंगे। उसके बाद सरकारी पक्ष की तरफ से उत्तर देने का अवसर आयेगा। जो कुछ उत्तर दें उसको सुना जायगा। इस बीच सरकारी पक्ष से कुछ कहा जाता है, इधर से कहा जाता है, आसन उसको नोटिस में नहीं लेगा।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं खास तौर पर इस बात के ऊपर निवेदन करूंगा कि मैं मानता हूं, कानून के अन्तर्गत अगर किसी के द्वारा भी भ्रष्टाचार की व्याख्या की जाय तो जिस समय अधिवेशन चलता है उस समय कोई टैक्सेज की बात आती है, उसको मंत्री, चाहे वे वित्त मंत्री महोदय हों वे न मानें और बाद में अध्यादेश के जरिये इस प्रकार के परिवर्तन करें जिससे राज्य के खजाने में जहां १०५ रुपये आने वाले थे वहां केवल ३ रुपये आयें तो मैं कहना चाहता हूं कि यह एक खुला भ्रष्टाचार है और अनैतिक कार्य है, बुरा आचरण है। वह किसी हालत में भी अच्छा नहीं हो सकता। मेरी मान्यता है कि इस प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यह टैक्सेज के कानून और उसके अन्तर्गतभी आता है। माननीय मंत्री महोदय ? ने कहा और उसके साथ-साथ जो जवाब दिया गया, उससे स्पष्ट है। साथ ही आपके सारे काम को देखा जाता है कि किस समय सरकार कौन से टैक्सेज को कम करती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछले अधिवेशन और इस अधिवेशन के बीचमे जो कुछ परिवर्तन हुए उसके कारण यह सब कहने का मौका मिल रहा है। ठीक है वित्त मंत्री जी ने कह दिया कि मेरे से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि केवल वित्त मंत्री का ही प्रश्न नहीं है, हर काम में सारी केबिनेट की रेस्पोन्सिबिलिटी होती है–चाहे किसी ने भी इस प्रकार का कार्य किया हो, चाहे पैसे में होने वाले लोस के कारण उन्होंने उस ढंग से बातचीतकी हो, चाहे गोलछाने कहा हो कि साहब इस प्रकार की बात है और फिर मंत्री ने कहा कि हम इस सिलसिले में बातचीत कर लें और उसके बाद बातचीत की है, फिर उसके बाद फैसला हुआ है। तो इस प्रकार काम किया जाता है। मैं समझता हूं कि भ्रष्टाचार आखिर इसी तरीके से होता है। पहले बातचीत करेंगे और उसके बाद फैसला करेंगे। फिर यह हुआ है कि इतना इतना भेज दें, यह यह कर लें। आपके पास चैक आया है, उसी आधार पर यह भेजा गया है। उसी आधार पर यह हुआ है। इसको प्रमाणित करने की आवश्यकता समझें तो एक कमेटी बना दें। आप ईमानदार हैं तो आपको लोकतन्त्र में विश्वास करना चाहिये। आपको कमेटी की घोषणा करनी चाहिये। फिर उस कमेटी के सामने जितने भी टैक्सेज में परिवर्तन किये हैं उनकी जांच की जाय। आप उस जांच के बाद दूध में धुले निकल जायेंगे तो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ जायगी। आप घबराते क्यों हैं ? आप घबराते हैं और कमेटी की घोषणा नहीं करते हैं। मैं वित्त मंत्री और दूसरे मंत्री महोदयों से कहता हूं कि इस मामले में भ्रष्टाचार हुआ है और इसलिए इस सरकार को भ्रष्टाचारी सरकार कहा जायगा।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि सिलेक्ट कमेटी के अन्दर मैंने कहा था वही शब्द यहां पर दोहराना चाहता हूं।

Page No.63

(श्री मुरलीधर व्यास)

मैं इस सिलसिले में यह कहना चाहता हूं कि यह जो इसके अन्दर रेट्स का परिवर्तन हुआ है, जो अध्यादेश जारी किया है उस सिलसिले में काफी बातें आ चुकी हैं और इसमें एक नई बात जोड़ी गई है। मुझे मालूम पड़ता है कि टैक्स के अन्दर जो छूट दी है उसमें आपको किस तरह से मालूम होगा कि उन्होंने इस प्रकार की छूट दी है। मैं यह समझता हूं कि यह टैक्स सिनेमा मालिकों पर होता है। आपने सोल्जर्स को छूट दी। आपको कैसे पता लगेगा कि उन्होंने कितने लोगों को छूट दी। वे तो यह कहेंगे कि इतने लोगों को हमने छूट दी। वे तो यह अपने यहां दिखा देंगे कि १५० सोल्जर्स आये। इससे खजाने में पैसा नहीं आएगा और आपको लाभ नहीं होगा। अतः मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि आप इसमें होम गार्ड, एन. सी. सी. और छात्रों को भी छूट दीजिये। क्या कारण है कि उनको राहत नहीं मिली? मैं यह कहूंगा कि इससे सिपाहियों को कोई राहत नहीं मिलेगी और सरकार को नुकसान होगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इसलिये इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजा जावे।

दूसरा विज्ञापनों का प्रश्न है। इसमें भी सरकार एक तरीके से रेट लगाती है। हमारे देश में जो चीज नुकसान पहुंचाने वाली है उस पर विशेष टैक्स लगाती है और जनता को फायदा होने की बात होती है उसमें राहत देती है। कुछ तो ऐसे एडवर्टाइजमेंट होते हैं जैसे मलेरिया को रोकने के लिए और कुछ दवाइयों के, उसमें राहत देती है और उसके लिये कुछ रेटें रखी हैं। वे तो ठीक है मगर कोई शराब का एडवर्टाइजमेंट हो या कोई सरकस का हो उसकी भी आपको वही रेट रखनी चाहिये। इसके बारे में भी आपको सोचना चाहिये। लेकिन जो प्रचार के विज्ञापन हैं और शराब के विज्ञापन हैं उनकी नीति में और रेट में अन्तर होना चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

इन सब बातों को देखते हुए मैं यही अर्ज करूंगा कि यह बिल सिलेक्ट कमेटी को भेजा जावे और इस पर विचार किया जावे और वहां संशोधन आए उन पर विचार किया जावे और वहां संशोधन आए उन पर विचार हो सके।

श्री उपाध्यक्ष : श्री केदारनाथ।

(अनुपस्थित)
श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, आज जिस अध्यादेश पर बहस चल रही है वह एक अहम प्रश्न है। इससे पहले कि मैं इस पर कुछ कहूं, मैं यह कहना चाहूंगा कि अध्यादेश जो निकाले जाते हैं और उनकी जो ग्रेविटी है कल इस संबंध में देशमुख का नाम लेकर जस्टिफिकेशन करने की कोशिश की गई, उसके बारे में उन्होंने कहा कि क्या आर्डिनेन्स के काम को वे पसन्द करते हैं? इसके बारे में बहस हुई तो उस

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

समय अम्बेडकर साहब ने जो बात कही वह मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। अम्बेडकर जिन्होंने इस बिल को पाइलोट किया उन्होंने यह बताया कि अगर कोई ऐसी परिस्थिति पैदा हो कि ऑर्डिनेन्स को लाना जरूरी है तो ऐसी हालत में लेजिस्लेचर को एवोइड किया जा सकता है। इसलिये यह कमी है इसके अन्दर कि ६ महीनों तक किसी भी कानून को बिना लेजिसलेचर की मंशा के चलाया जा सकता है। ६ महीने बीतने से पहले उनको अधिकार है कि वे उसको कैंसल कर दें। इसलिये मैं आपके सामने अर्ज कर रहा था कि इस सम्बन्ध में अम्बेडकर साहब के ये शब्द हैं (विराम) कुछ पन्ने इधर-उधर पलट दिये गये हैं, अभी देख कर बता दूंगा। मैं इसके साथ कहना चाहूंगा कि आर्डिनेन्स के सिलसिले में और बातें भी हैं। सबसे बड़ा आब्जेक्शन मेरा इस आर्डिनेन्स के लिये है वह यह है सेक्शन ३ में, आर्टिकल २१३ में गवर्नर को पॉवर्स दी हैं :

"If and so far as an Ordinance under this article makes any provision which would not be valid if enacted in an Act of the Legislature of the State assented to by the Governor, it shall be void:"

वह अलग बात है। प्रश्न यह है कि इसी लेजिस्लेशन ने इसको पास किया कि ये टैक्स लगेंगे और इसी लेजिस्लेशन के पास किये हुए एक्ट पर गवर्नर ने सेटिस्फाइड होकर अपनी मंजूरी दे दी थी। उससे हट कर उसके बाद ऑर्डिनेन्स जारी किया। किस तरह इसको जारी किया जब कि लेजिस्लेशन ने पहले इसी कानून को पास कर दिया था

'Provided that, for the purposes of the provisions of this Constitution relating to the effect of an Act of the Legislature of a State which is repugnant to an Act of Parliament....."

यह एक्ट में इनेक्ट हो गया। उसके बाद यह ऑर्डिनेन्स वेलिड है, यह कानूनी बात मैं समझता हूं।

दूसरी बात

"Any provision which would not be valid if enacted ..."

लेकिन आज बजट की सेंक्टिटी है अगर बजट फेल हो जावे तो गवर्नमेंट फेल होती है। उस समय हमने मेम्बरों ने पूरी डेलीब्रेशन्स के साथ और हाउस की ओपीनियन के साथ एक्ट बनाया था और उस समय हमने यह कहा था कि ये ये टैक्स लगेंगे। और हर माननीय सदस्य उस सेंक्टिटी का जिम्मेदार था। हमने एक्ट बनाया कि ये ये टैक्स लगाये जावें। उस सेंक्टिटी को आज से नहीं मैं यह कहूंगा कि जब से हमारे चीफ मिनिस्टर साहब की ओहदानशीनी को बहुत कम समय हुआ था तभी से इस सदन में धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। मै समझता हूं कि इस पर जोर देना इस जनतन्त्र में बहुत जरूरी

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

है। मैं समझता हूं कि सदन के सदस्य सभी अलग अलग ढंग से इस पर सोचेंगे कि किस तरह से एक चीज को पहले पास किया जाता है और गवर्नर से एसेन्ट लेकर लागू किया जाता है और बाद में इस प्रकार ऑर्डिनेन्स निकाला जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि गवर्नर जभी ऑर्डिनेन्स निकालेगा जब एग्जिक्यूटिव प्रपोजल रखेगी। एग्जिक्युटिव के प्रपोजल पर ही गवर्नर ऑर्डिनेन्स निकालेगा और मैं आपसे अर्ज करूं कि यह चीज इस बात की द्योतक है कि एग्जिक्युटिव पूरी तरह से जिम्मेदार है ऑर्डिनेन्स के लिए और ऑर्डिनेन्स के बारे में गवर्नर के द्वारा सेंक्शन दे दे। सेक्शन ३ है कॉन्सटीटयूशन का उसमें यह है कि एग्जिक्युटिव प्रपोजल रखती है और गवर्नर ऑर्डिनेन्स निकालता है। मैं बार बार इस बात का कहता हूं कि यह सदन इफेक्टिव है और यह सदन अपने राइट्स को अहसास करे और एक एक लाख व्यक्तियों के रीप्रेजेन्टेटिव पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी को महसूस करें और वे अपनी बातों को अलग अलग रखें पर वह पूरी जिम्मेदारी से और यहां का जो कर्म-कांड है, तरीके हैं, उसके साथ साथ जो कॉन्स्टीट्यूशन की इज्जत के लिए हमने यहां पर कसम खाई हैं, उसके अनुसार चला जावे। जब बजट का वक्त था उस समय आपने बताया कि सोल्जरों को फायदा होगा और उस समय आपने कहा कि १३४१)रु० का फायदा होगा। प्रश्न इस बात का नहीं। सवाल यह है कि पहले सरकार ने एनाउन्स कर दिया इन टेक्सों को लगाने का। आज १३४१) रु० की बात कहते हैं। अगर यही प्रथा कायम रही तो कुल १३ करोड़ की बात हो सकती है और ये बातें कोट की जा सकती हैं।

राजस्थान में प्रिसिडेंट्स क्वोट किये जायेंगे कि फलां वित्त मन्त्री के फलां समय में १३३९) रुपये के लिये कर दिया, फलां वित्त मन्त्री ने फलां समय में इतने रुपये के लिए ऑर्डिनेन्स इश्यू करवा दिया। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी एक विशेष हिस्ट्री है, गौर करने की बात है कि पहले भी हर कुर्सी पर टैक्स लगाया, फिर डेपुटेशन गया। पुराने वित्त मन्त्री ने उसको छोड़ दिया, फिर लाया, फिर प्रोविजन्स आये। मैं यह भी कहूंगा कि इस तरह की बात इस सदन में मैंने बार बार उठाई है कि पैसों के मामले में इस तरह की डिस्क्रिशनरी पॉवर्स देते हैं, सोलेम ट्रस्ट आपके ऊपर है इसको सोलेम ट्रस्ट के तौर पर नहीं लिया जाय तो यह गलत प्रथा होगी, जो जनतन्त्र के लिये खतरनाक साबित होगी। करप्शन आज हमको खा रहा है, मैं कोई बात छुपाना नहीं चाहता, इस मामले में सभी पार्टियां एक हैं, सभी कह रहे हैं कि करप्शन हमारे देश को खा रहा है। यह सदन अपने हाथ उठा कर अपनी कॉन्श्यन्स उठा करके आपको ट्रस्ट दे, उस सोलेम ट्रस्ट को आप इस तरह नहीं काम में ले सकते कि आप अपने आपको सेटिस्फाई करलें कि यह ठीक है बल्कि जनताको और सदन को सेटिस्फेक्शन देना होगा। यह ईमानदारी की बात है। वित्त मन्त्री हंस रहे हैं, यह हंसने की बात नहीं है, यह सोलेम ट्रस्ट की एक बड़ी गम्भीर बात है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि इस सिलसिले में एक हिस्ट्री है।

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्रीमान् घण्टी बजाने से काम नहीं चलेगा।

श्री उपाध्यक्ष : समय सबको दिया गया है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : इनको विशेष समय दिया जाय।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : इस तरह डिस्टर्बेन्स होता है तो समय व्यर्थ जाता है।

अभी सम्माननीय सदस्य ने रखा कि १०५ की जगह ५ रुपया कर दिया है, मैं समझ कर आया हूं, यह सही है। तीन रुपया दो रुपया, एक रुपया मिनिमम करके यह किया है। इस सदन ने क्या गलती की थी ? श्री सम्पत्तिलाल बोहरा का अमेंडमेंट देखिये मैं पढ़ना नहीं चाहता, प्रोसीडिंग्ज़ है, उनमें देख लीजिये, वित्त मन्त्री ने मानने से साफ मना किया, उन्होंने कहा कि ऐसा करने से गड़बड़ होगी टैक्स ज्यादा है, पर वित्त मन्त्री जी ने साफ इन्कार कर दिया कि टैक्स में कतई कमी करनेकी बात नहीं कही जाय। तीन लाख रुपये का जो ब्रेक अप दिया है, आपने ओब्जेक्शन किया उसके बाद सर्कूलेट किया है। तीन लाख की आमदनी के बजाय उनका केल्कुलेशन था कि ३० लाख की आमदनी होगी, इसके बाद सदन को ३ लाख की बात कही और सदन को गुमराह किया गया। सम्पत्तिलाल बोहरा ने बात रखी थी, इस पर वित्त मन्त्री जी ने कहा था कि मैं ऐसी कोई बात सुनने को तैयार नहीं हूं जिससे कि टैक्स में कमी आये। वित्त मन्त्रीजी को लोगों से लेन देन में असुविधा हो तो उस पर हम सोच सकते हैं, पर जब सदन कहता है उस वक्त तो सुनते नहीं और जब सदन बिखरता है तो उसके बाद आर्डिनेन्स आता है। इस आर्डिनेन्स पर आपकी कानूनी व्यवस्था होनी चाहिए माननीय उपाध्यक्ष, कि क्या इस हालत में आर्डिनेन्स आ सकता है, जब कि इस सदन में बिल पास हो गया हो, गवर्नर ने बिल को असेंट दे दी हो फिर उस एक्ट के खिलाफ यह आर्डिनेन्स आये, गवर्नर की सेंक्शन के बाद क्या इस तरह किया जा सकता है ? नहीं किया जा सकता। अगर किया जा सकता है तो मैं और भी चार्ज लगाता हूं। कांग्रेस को मजबूत करने की जरूरत है, जो गलत प्रचार विरोधीलोग करतेहैं,उसके लिए जनताको संतोष कराना होगा। एक बात चन्दे की कहीं गई, मैं कहता हूं आज कांग्रेस को स्लो पोइजनिंग किया जा रहा है, कांग्रेस खतरे में है, कांग्रेस को उस खतरे से बचाना चाहिये, उस खतरे को खत्म किया जाय। चन्दा सभी पार्टियां लेती हैं, किसी पार्टी के पास कोई रुपयों का पेड़ नहीं लगा है, जो पार्टियां चलती हैं जनता के पैसों से चलती हैं। जनता में उनकी प्रतिष्ठा बनाने वाले हैं, भगवान् और भगवती कहने वाले हैं तो राजा-रानी हैं, सबको चंदा लेना पड़ता है। तो आप यह बताने की कोशिश करें कि चन्दा सभी इकट्ठा करते हैं पब्लिक लाइफ के लिये। पर मुझे दुख इस बात का है, मैं इन्स्टान्स दूंगा वित्त मंत्रीजी को, अजमेर से इस एसोशियेशन के मेम्बर हैं.

Page No.67

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

एसोसियेशन की तरफ से अफसरों से टिकट लिये, ए. आइ. सी. सी. के लिए चन्दा इकट्ठा करने के लिए टिकट लिये....

(व्यवधान)

यह कोई बुराई नहीं । मैं एक बात कहता हूं. नेता महोदय जांच कर लें. टिकट उन्हें दिए गए, टिकट उन्होंने बेचे हैं, पर नौकर लोग टिकट बेच कर बीच में ही खा गये हैं ।

(व्यवधान)

पैसा आता है जनता से आता है पर बीच वाले लोग जो लायें वे अलग से गये, अगर आप इसे चेलेंज करें तो मैं इसको साबित कर दूंगा ।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मैंने जो यह वैधानिक आपत्ति इसके सम्बन्ध में उठाई है, ३ सैक्शन्स के ऊपर आपकी व्यवस्था चाहिये कि इस प्रकार की परिस्थितियों में ऑर्डिनेन्स आ सकता है कि नहीं, इसलिये इसको पोस्टपोन किया जाय और इस वैधानिक आपत्ति के निराकरण के बाद आगे बढ़ा जाय ।

एक वोट की कमी हो और दो दिन के लिये सदन एड्जोर्न हो जाय तो २-४ वोट बढ़ाये जा सकते हैं या ६ महीने के लिये साइनडाई एडजर्न करके गवर्नमेन्ट चलाई जा सकती है, यह मंशा डेमोक्रेसी की नहीं; इसलिये मेरा निवेदन है कि इस तरह के ऑर्डिनेन्स लाना, यह इस तरह की कार्यवाही है जो जहर की तरह है जनतन्त्र के लिये ।

मैं इन शब्दों के साथ इस टैक्स के इस तौर तरीके का बहुत बुरी तरह से, बहुत जोरदार शब्दों में विरोध करता हूं और अपील करता हूं कि सोलेम ट्रस्ट के साथ आप इस तरह का व्यवहार न करें ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री वाई. एन. हांडा !

(अनुपस्थित)

श्री रामानन्द अग्रवाल ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष, मैंने व्यवस्था का सवाल उठाया था उस पर व्यवस्था दें ।

श्री उपाध्यक्ष : आपने भाषण दिया है ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : Point of order, Sir, further discussion may be postponed till this point is decided.

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अभी अभी जो व्यवस्था का सवाल खड़ा किया है............

श्री उपाध्यक्ष : Which Article you are referring ?

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : २१३ (३)।

श्री उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा...........

श्री उपाध्यक्ष : आप उसके पक्ष में बोल रहे हैं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : जी हां। उसी पर बोल रहा हूं। यह कानूनी मुद्दा है। मैं समझता हूं कि अगर उचित समझा जाय तो इस सदन के अन्दर एडवोकेट जनरल को बुलाया जाय और वह इस सदन को कानूनी मुद्दे पर गाइड करे और डिस्कशन में पार्ट ले। जब तक वह कानूनी मसला हमारे सामने पूरी तरह से नहीं आए तब तक इस बिल पर बहस स्थगित कर दी जाय। इसके माने ये होंगे कि इस सदन में कोई प्रस्ताव पास किया जाता है, उसके बाद गवर्नर महोदय उसको सेंक्शन देते हैं और फिर उसको अनडन् करा दिया जाता है। तो यह पेचीदा मसला है। इसके माने यह होंगे कि सरकार अपनी स्वीट विल पर कोई भी चीज चला सकती है।

दूसरी बात.......

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! जो आपत्ति माननीय श्री ज्वालाप्रसादजी ने उठायी है आर्टिकल २१३ (३) के अन्तर्गत, उसकी शब्दावली इस प्रकार है :

"(3) If and so far as an ordinance under this article makes any provision which would not be valid if enacted in an Act or the Legislature of the State assented to by the Governor, it shall be void."

तो इस विषय में आसन से कोई व्यवस्था नहीं दी जा सकती। यह विषय केवल कोर्ट्स को डिसाइड करना है आया यह कानूनी तौर पर किया गया है अथवा नहीं। सदन को केवल इस विषय में विचार करके जो कुछ निर्णय लेना है ले ले। इसलिए बहस जारी रहे।

श्री मानिकचन्द सुराणा : Point of order, हमारे हाउस के रूल्स में प्रावधान है कि यदि कोई बिल या ऑर्डिनेन्स जिसको हम कन्सीडर कर रहे हैं वह इस हाउस की लेजिस्लेटिव कॉम्पीटेंस के बाहर हो तो उस पर फुल डिबेट एलाऊ की जा सकती है। इसलिए आपने जो अभी संविधान का आर्टीकल २१३ (३) पढ़ा उससे बिल्कुल स्पष्ट है कि ऑर्डिनेन्स किसी भी प्रकार से कानूनी नहीं कहा जा सकता क्योंकि यह ऑर्डिनेन्स एक इनेक्टमेंट है और इनेक्टमेंट के प्रोवीजन को अमेंड करते है और कम्प्लीटली रिनेविट करके चेंज करते है। इसलिए आपने जो प्रोवीजन अभी पढ़ा है उसके लिए मैं निवेदन करूं कि इस ऑर्डिनेन्स पर कोई बहस नहीं की जा सकती क्योंकि यह ऑर्डिनेन्स बिल्कुल इल्लीगल है। इस विषय में मैं सुझाव देना चाहूंगा कि एडवोकेट जनरल को इस हाउस के सामने बुलाया जाय। यदि यह प्रावधान संविधान के नीचे नहीं है और असेम्बली देखती रहे, तो यह चीज सहन नहीं की जा सकती। यह

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

मुद्दा कोर्ट पर छोड़ने के लायक नहीं है। तो मैं व्यवस्था चाहूंगा। हमारा कन्टेन्शन है कि यह ऑर्डिनेन्स बिल्कुल गैरकानूनी है और सरकार को इस प्रकार का ऑर्डिनेन्स जारी करने का कोई अधिकार विधान के अनुसार नहीं था।

श्री निरजननाथ आचार्य (उप-मन्त्री, शिक्षा) : इस प्रश्न पर व्यवस्था आसन से दी जा चुकी है और वह यह है कि जो कॉन्स्टीट्यूशन इश्यूज़ हैं वे कोर्ट पर ही छोड़ देने चाहिए। लोकसभा और दूसरे सदनों ने भी इस प्रकार की व्यवस्थाएं दी हैं। यह कार्य इस सदन का नहीं है। ये व्यवस्थाएं इस आधार पर हैं कि यह कहीं सम्भव नहीं हो सकता कि सदन में कॉन्स्टीट्यूशनल इश्यूज़ पर बहस होती रहे। इसलिये आपकी व्यवस्था उचित है। व्यवस्था के विरुद्ध बोलना canvassing the ruling of the Chair है। कॉन्स्टीट्यूशनल इश्यूज़ अदालतों पर छोड़े गये हैं और यदि अदालत की दूसरी राय है तो उसके माफिक इनेक्टमेंट को चेंज किया जा सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों की सूचनार्थ इसी सदन की एक व्यवस्था है, वह पढ़ कर सुनाता हूं।

"किसी विधेयक की वैधानिकता का निर्णय अध्यक्ष-पद से नहीं दिया जाता।

राजस्थान पशु-पक्षी बलिदान निरोधक विधेयक पर चर्चा के दौरान में कुछ सदस्यों द्वारा यह आपत्ति उठाई गई कि यह विधेयक भारत के संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध है इसलिये इस विधेयक पर सदन द्वारा विचार विमर्श नहीं हो सकता। इस पर श्री अध्यक्ष ने निम्नलिखित निर्णय दिया :

जो युक्तियां माननीय एडवोकेट जनरल ने यहां दी हैं मैं उनको प्रबल नहीं मानता कि अध्यक्ष-पद से रूलिंग दे दूं कि यह बिल विधान के विपरीत है, इसको नहीं लेना चाहिये, मैं यह मानने के लिए तैयार नहीं हूं। दूसरे पक्ष से जो युक्तियां दी गई हैं वे भी इतनी ही प्रबल हैं। विधान सभा का तो यही तक कार्यक्षेत्र है कि विधेयक को पास कर देना और उसके संबंध में इन्टरप्रिटेशन का जो काम है वह जुडिशियरी और कोर्ट्स ऑफ लॉ का है। वे अगर उसके विपरीत इन्टरप्रेट करती हैं तो विधान सभा को यह अधिकार है कि वह कॉन्स्टीट्यूशन को अमेंड करे क्योंकि यदि कोई संविधान जनमत के विपरीत होता है तो जनमत जिस तरह से चाहता है उसी तरीके से संविधान को अमेन्ड कर सकता है और उसी तरह से इन्टरप्रेट करने का जुडिशियरी को अधिकार होगा....

इसको आप चाहें तो विचार में ले लीजियेगा। जैसा सदन का बहुमत होगा..."

इस विषय में....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! I am giving my observations.

(श्री उपाध्यक्ष)

इस विषय में इस सदन की पूर्व व्यवस्था इस प्रकार की हो चुकी है और मैं उस व्यवस्था से अलग नहीं जा सकता। आज जो प्रश्न उठाया है वह वैसा ही है और उसका निर्णय भी उसी प्रकार का है। इसलिए मैं बहस को जारी रखने में कोई फायदा नहीं समझता।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : Point of order, आपकी रूलिंग शिरोधार्य है। इस रूलिंग में और पहले की रूलिंग में बड़ा फर्क है। वह एक बिल की बात थी, एक बात। दूसरी बात, उपाध्यक्ष महोदय, आपके कन्सीडरेशन के लिए कहता हूं कि सरकार की तरफ से अगर कोई कन्टेन्शन यह ले लिया जाय कि हम तो बिल्कुल सही हैं तो आपकी रूलिंग वहां लागू होती है। सवाल यह है कि इधर चाहे उधर के माननीय सदस्य न मानें तो हमारा लेबर और जनता का पैसा खराब हो और जिसके अन्दर आसन यह कहे कि हाई कोर्ट्स चले जाओ तो यह प्रथा कहां तक उचित है। यह गलत हो जायगा। हाई कोर्ट में गए, फिर ऑर्डिनेंस निकाला जायगा। फिर आप कहेंगे कि हाई कोर्ट में जाओ और फिर आर्डिनेन्स निकलेगा। यह आप देख रहे हैं कि ये वैगिंग टैल वाले आर्ग्यूमेंन्ट्स दे रहे हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : मैं आपका ध्यान रूल ६४ की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। अभी आसन से पहले की रूलिंग का उल्लेख किया गया। लेकिन जो हमारे सामने स्थिति है वह उस पर लागू नहीं होगी। उसमें कहा गया है कि जब कोई भी लेजिस्लेशन इनीशियेट हो :

"Provided that where a motion is opposed on the ground that the Bill initiates legislation outside the legislative competence of the House, the Speaker may permit a full discussion thereon."

इसका अर्थ यह हुआ कि कोई बिल इस हाउस की कॉम्पीटेंस में है या नहीं है, उसका वैधानिक पहलू इस जगह पर डिस्कस किया जा सकता है। जो आसन से पहले व्यवस्था दी गई है वह इस प्रकार का बिल नहीं बल्कि एक कानून के ऊपर व्यवस्था दी गई है। कोई भी लेजिस्लेशन किसी भी सरकार द्वारा अध्यादेश जारी किया जाय उस अध्यादेश को जारी करने के लिए प्रोपर सर्कम्स्टांसेज थे या नहीं, प्रोप्राइटी उसकी थी या नहीं उसकी कॉम्पीटेंस थी या नहीं थी, इस बात का विचार करना उस लेजिस्लेचर के लिए बहुत आवश्यक है ताकि वह अपनी विजीलेंस के जरिए सरकार को भी ठीक रख सके और इस प्रकार का कोई भी प्रावधान कानून में नहीं करा दे जिससे आम जनता को असुविधा हो। इस दृष्टि से इस स्टेज पर जो यह ऑर्डिनेन्स बिल के रूप में इनीशियेट हो रहा है तो इस लेजिस्लेचर के लिए बहुत जरूरी है कि इस पर बहस हो कि सरकार इसको जो दुबारा इनीशियेट करने जा रही है उस समय वह कॉम्पीटेन्ट थी या नहीं, इस प्रकार का ऑर्डिनेन्स निकालने के लिए सर्कम्स्टान्सेज

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

प्रोपर थी या नहीं जो दफा २१३ में हमारे संविधान में उनको ऐलोऊ करती है इसलिए जो आपने रूलिंग का उल्लेख किया था, मेरा निवेदन है कि वह इससे डिस्टिन्जेबल है और जो मौजूदा सर्कमस्टान्सेज हैं उनमे आपकी दूसरी व्यवस्था होनी चाहिए और इसमें और अड़चन हो तो एडवोकेट जनरल को बुलाकर उसमें व्यवस्था लेनी चाहिए ताकि हमारी सरकार भी विजिलेन्ट हो सके। सरकार को यदि यह अधिकार दे दिया चाहे जैसा वह आर्डिनेन्स निकाल दे और उसकी कोम्पीटेन्स को चेलेन्ज न कर सकें तो ऐसी व्यवस्था होगी कि सरकार को वाइड पोवर्स आर्टिकल २१३ भी विचार नहीं करता, लेजिस्लेचर द्वारा खुली छूट दे देंगे।

श्री निरंजननाथ आचार्य : (उपमन्त्री शिक्षा) उपाध्यक्ष महोदय आपकी व्यवस्था सारे प्रश्नों को लेकर दी गई है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप डिफरेन्शियेट कर रहे हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : I am in the possession of the floor.

आपने जो पहले व्यवस्था दी इस सदन में, इस व्यवस्था के द्वारा उसकी पुष्टि की गई है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रथम व्यवस्था दी गई। दूसरी व्यवस्था केवल मात्र रूल ६४ के अन्तर्गत है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आपने जो आधार रखे हैं उससे भिन्न नहीं है, बिलकुल आइडेन्टिकल हैं और यह जो प्रोविजो रखा है :

"Provided that where a motion is opposed on the ground that the Bill initiates legislation outside the legislative competence of the House,..."

प्रश्न यह उठता है कि यह बिल लेजिस्लेटिव कोम्पिटेन्स में है या आउटसाइड दी काम्पिटेन्स है ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आर्डिनेन्स है यह तो।

श्री निरंजननाथ आचार्य: No interruption, Sir.

लेजिस्लेशन के परे नहीं है। न आधार ही दिया गया। आखिर यह प्रोविजो कहां लीड करता है ?

"......the Speaker may permit a full discussion thereon,"

आपने पूरा समय डिस्कशन के लिए दे दिया। दोनों तरफ से विचार आ गये। उसके बाद व्यवस्था को परिवर्तित करने का कोई आधार नही और न हो सकता है।

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

ऐसी कोई व्यवस्था राष्ट्र की किसी विधान सभा में नहीं है। इसलिए आपने जो व्यवस्था दी है वह आइडेन्टिकल है और सब प्रश्नों पर दी है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री रामानन्द ने जो आपत्ति उठायी है कि रूल ६४ के अन्तर्गत इसके विषय में विचार होना चाहिये और इस बिल को अग्रेतर विचार के लिए नहीं लेना चाहिये। यह स्टेज सर्व प्रथम तो निकल चुकी है। बिल जिस वक्त इन्ट्रोड्यूस हुआ या उस वक्त यह आपत्ति आ सकती थी इसलिए वह आपत्ति निराधार रहती है।

इसके अलावा जो प्रश्न उठाया गया है कि जहां जहां भी आर्टिकल २१३ में अथवा रूल्स में या कहीं, बिल्स में अथवा एक्ट में, जिक्र किया गया है, इसके विषय में मैं स्पष्टीकरण कर देना चाहता हूं। ऑर्डिनेन्स की एक स्टेज बिल की दूसरी स्टेज और एक्ट की तीसरी स्टेज है। आर्डिनेन्स अत्यावश्यक समय में जब कि असेम्बली अथवा पार्लियामेन्ट सेशन में न हो, राज्यपाल अथवा प्रेसिडेन्ट द्वारा इनैक्ट किया जाता है। बिल की वह स्टेज होती है कि जिस समय एक एक्ट के रूप में जो चीज बनने वाली है वह विधान सभा अथवा पार्लियामेन्ट के सम्मुख आती है और उस पर विचार विमर्ष होता है। और एक्ट जिस समय गवर्नर अथवा प्रेसिडेन्ट की अनुमति प्राप्त हो चुकी होती है तब बनता है। इसलिए यह केवल मात्र एक ही चीज का पृथक पृथक रूप है और उसमें यह नहीं कहा जा सकता कि जहां बिल कहा है वहां आर्डिनेन्स का अर्थ नहीं है। वह सब एक ही अर्थ में है। इसलिए यह आपत्ति भी निराधार है।

श्री रामानन्द अग्रेतर बहस जारी रखें।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : Point of order, Sir, another submission ...

श्री उपाध्यक्ष : The point of order shall not relate to anything for which a ruling has been given.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : अर्ज यह है कि क्या जिसकी असेन्ट गवर्नर से हो गयी हो, सीधा डाइरेक्ट वनेश्चन है, उस चीज को जो फेट एकम्पली (fait accompli) हो गया हो, उसको दुबारा इस सदन में, क्या गवर्नर की उस असेन्ट की मंशा के खिलाफ है जब कि इस बिल के ऊपर विचार करना या न करना जब कि on the face of it, यह उससे बिल्कुल विपरीत है ?

श्री उपाध्यक्ष : मैं फिर माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहूंगा कि यह इन्ट्रोडक्शन के स्टेज की बात थी।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : अब क्या मियां मर गये या रोजा घट गये।

श्री मथुरादास माथुर (योजना मन्त्री): माननीय उपाध्यक्षजी, जिस वक्त यह बहस चल रही थी मैं सदन में मौजूद नहीं था और जो आर्टिकल २१३ क्लॉज़ ३ का जिक्र करके....

श्री रामानन्द अग्रवाल : On a point of order, Sir माननीय उपाध्यक्ष जी इस पर क्या बहस रिओपन की जा रही है ? फिर हम भी बोलें।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय ज्वालाप्रसाद जी ने जो पोइन्ट उठाया उस पर कह रहा हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : विधि मंत्री जी अपना क्लेरिफिकेशन दे रहे थे।

श्री मथुरादास माथुर : अब आवश्यकता नहीं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, जिस संशोधन बिल पर बहस हो रही है उसके दो तीन पहलुओं पर माननीय सदस्यों ने प्रकाश डाला है। एक तो यह है कि इस कानून को एक आर्डिनेन्स के द्वारा लाना वैधानिक तरीके से उचित नहीं था। दूसरी यह कि मेरिट्स पर भी जिस उद्देश्य के लिए इस कानून को लाया गया वह उचित नहीं था; और तीसरा यह कि जिस समय पर यह लगाया गया, जो इसकी इमरजेन्सी बताने को कोशिश की गई वह भी उचित नहीं थी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य की उन भावनाओं से बिल्कुल सहमत हूं कि इस सरकार को और इस सदन को इस बात पर बहुत गम्भीरता से विचार करना चाहिए कि जो वाइड पावर्स हमारे संविधान के आर्टिकल २१३ के द्वारा गवर्नर को दिये गये हैं उनका उपयोग हम किस प्रकार करें। जैसा माननीय सदस्य ने बताया कि ये धाराएं जिस समय हमारे संविधान में रखी गयीं, बड़े सन्देह प्रकट किये गये थे इन धाराओं को रखते हुए क्यों कि ये बड़े वाइड पावर्स देती हैं गवर्नर को।

(११.०० म० पू०)

उपाध्यक्ष महोदय, अगर हमने बहुत हल्केपन से इन पावर्स को इस्तेमाल करने का इन इमरजेन्सी पावर्स के इस्तेमाल करने का तरीका अपनाया, जो हमारे संविधान में दिये गये हैं तो हमारे लिये. हम जन साधारण के लिये बहुत गलत रास्ता खोल रहे हैं। आज इसका उपयोग मंत्री मंडल ने किया, मंत्री मंडल की इच्छा से हुआ है कल इन्हीं धाराओं का उपयोग इन्हीं एमरजेन्सी पावर्स का उपयोग कोई राष्ट्रपति या गवर्नर मन्त्री मण्डल को एक तरफ रख कर, हाउस को प्रोरोग करने में, मंत्री मंडल को डिसमिस करने में इस तरह के इमरजेन्सी पॉवर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह सही है कि इस प्रकार के इमरजेन्सी पॉवर्स को इस कोन्स्टीट्यूशन में जस्टिसियेबल नहीं रखा गया है फौरन उनको किसी पार्टी की क्या सरकम्सस्टान्सेज एग्जिस्ट करती है, नहीं करती है, इस प्रकार की सिच्युएशन थी या नहीं, राष्ट्रपति द्वारा या गवर्नर द्वारा इन इमरजेन्सी पावर्स की तहत एक्ट किया जा सकता है। हमारे इस संविधान में इन पावर्स को बहुत ही इमरजेन्सी सिच्युएशन के वक्त काम में लाने का अधिकार दिया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं सरकार स्वयं इस बात पर विचार करे। अगर हमने अपने जनमत को, अपने लेजिस्लेचर, को अपने तमाम जन मानस

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

को, इतना स्ट्रोंग नहीं बनाया तो किसी भी राष्ट्रपति द्वारा या किसी भी राज्यपाल द्वारा हिम्मत नहीं हो सकेगी कि वे वास्तविक जन भावनाओं का, जिनका समावेश संविधान की इन धाराओं में किया गया है, जिनको एक्स्ट्रा आर्डिनरी पावर्स के रूप में इस्तेमाल करने का निर्देश है, उनका दुरुपयोग करने की किसी की हिम्मत नहीं हो सकती ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूं, आर्टिकल २१३ के तहत गवर्नर महोदय को यहां तक पावर है कि वे किसी भी समय महसूस करें कि हाउस डिवाइडेड है इस लिये इसको इस वक्त प्रोरोग कर दिया जाना चाहिये, उनको प्रोरोग करने का अधिकार है और प्रोरोग करके फिर वे आर्डिनेन्स निकाल सकते हैं । इतनी बड़ी पावर्स इस आर्टिकल के तहत गवर्नर महोदय को दी गई है तो लाजिमी तौर से हमारे संविधान की इस भावना को हम सब लोगों को ध्यान में रखना होगा कि इसका उपयोग गंभीरता से किया जाता है या किसी हल्केपन से किया जाता है ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये से माननीय सदस्यों को कहना चाहता हूं कि हमारा पड़ोसी राज्य पाकिस्तान में हो रही घटनाओं को न भूलें । वहां पर किस तरीके से संविधान के पावर्स का दुरुपयोग करके किस तरीके से एक मिनिस्ट्री को डिस्मिस कर दिया गया और एक ऐसे आदमी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया जो हाउस का मेम्बर भी नहीं था । एक आदमी ने किस तरीके से सिकन्दर मिर्जा ने सारे के सारे संविधान को खत्म करके अपने हाथ में डिक्टेटोरियल पावर्स ले लिये । यह एक मिस्चीफ है, जरा सा रास्ता खोल दिया कि लोगों को इसके उपयोग की आदत पड़ जायगी । आज कुछ लोग मिलिटरी में ऐसे भी बैठे हैं जिनका यह मानना है कि डेमोक्रेसी फिजूल है, जिनका डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं है, प्रजातंत्र प्रणाली में विश्वास नही, यह लूपहोल्स द्वारा उनको मौका दे रहे हैं इस प्रकार के हालात पैदा करने के । जब हमारे देश में अव्यवस्था की इस प्रकार की हालत है, ऐसी बातें करके आप ऐसे लोगों के हाथ मजबूत कर रहे हैं जो वास्तव में मौके का फायदा उठा कर संविधान में दिये हुए इन इमर्जेन्सी पॉवर्स का दुरुपयोग करके गला घोटने लग जांय । मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप इस पर गम्भीरता से सोचें इन तीन प्रश्नों को कि जिस समय यह ऑर्डिनेन्स निकाला गया क्या वह समय उपयुक्त था ऑर्डिनेन्स निकालने के लिए, क्या आप असेम्बली का सेशन आने तक इसके लिये रुक नहीं सकते थे, अगर आप रुक जाते तो क्या कोई पहाड़ गिर जाता ? ओन मेरिट्स आपने इस पर सोचा है कि जो कन्सेशन हम दे रहे है उससे हमारा पहले का जो प्रोपोजल था वह बिल्कुल खत्म हो जाता है । इन तीन बातों पर सरकार को विचार करना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं हमारी वर्षाकालीन बैठक की तरफ । हमारा वर्षाकालीन सेशन २० सितम्बर को समाप्त हुआ और यह ऑर्डिनेन्स

Page No.75

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

२२ अक्टोबर को जारी हुआ। इससे साफ जाहिर है कि २० सितम्बर तक तो सरकार के सामने यह नहीं था न कोई इस प्रकार का प्रोपोजल ही था, न कोई ऐसा प्रार्थना पत्र था जिस पर कि सरकार को किसी प्रकार का एक्शन लेना पड़ता। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति का भी सदस्य हूं मुझे पता है हाउस जब स्थगित होने जा रहा था उस समय यह भी विचार हुआ कि हाउस के सामने कोई बिजीनेस नहीं है जो कि उस वक्त फौरन लिया जा सकता इस लिए हाउस को २० सितम्बर को स्थगित कर दिया। उसके बाद २० सितम्बर के बाद २२ अक्टोबर को गवर्नमेन्ट के सामने प्रार्थना पत्र आये, मेमोरेन्डम आये, उसके बारे में विधि विभाग से भी कन्सल्ट किया होगा, संविधान का पोइन्ट भी देखा होगा उसके बाद गवर्नमेन्ट ने एक्शन लिया है।

एक तरफ तो उपाध्यक्ष महोदय, स्वस्चन आवर में हमने देखा १९५१ में जिसके द्वारा गबन किया गया, फरवरी ५१ में इनामी बोन्ड्स की रकम में गबन हुआ लेकिन आज तक सरकार यह तय नहीं कर पाई कि उस पर क्या एक्शन लिया जाय? एक तरफ तो जहां आपकी मशीनरी इतनी स्लो है और दूसरी तरफ बीस दिन के अन्दर अन्दर सारे के सारे निर्णय हो गये। सरकार को खुद को इस बात पर विचार करना चाहिये। मैं कहना चहता हूं इन्साफ वह नहीं है जो फाइल्स पर आपके द्वारा कर दिया गया हो।

"Justice must appear to have been done."

इन्साफ वास्तव में हुआ है ऐसा लोगोंको महसूस होना चाहिए। इसलिए जो आपकी ओर से सरकार की ओर से तर्क पेश किये जाते है, बार बार कहा जाता है, क्या आप इसका सबूत दे सकते हैं। हो सकता है इस बात के और भी कई कारण होंगे। कांग्रेस अधिवेशन के समय इनसे चन्दा लिया गया हो, ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेन्ट के लोगों का इस चन्दे के लिए इस्तेमाल किया गया। मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं, आप अपने दिल पर हाथ रख कर देखें सर्विसेज का। एवीडेन्स एक्ट की बुनियाद पर, जो आज बच निकलते हैं आप उन पर हाथ नहीं रख पा रहे हैं। कोई अफसर करप्ट है लेकिन कानून में ऐसी खामियां हैं जिनकी वजह से आप उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। आपके सेन्टर के होम मिनिस्टर इस बात पर विचार कर रहे हैं कि कौन सा तरीका अपनाया जाय जिससे करप्शन दूर हो। आप अपने एक्शन्स को डिफेन्स में लेने की बात न करें। आंखों देखे सबूत भी पेश नहीं किये जा सकते लिखित में आपको एवीडेन्स पेश नहीं की जा सकती। न आपसे कोई बात छिपी हुई है और न हमसे आपकी कोई बात छिपी हुई है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, निर्माण मन्त्री ने इस बात को चैलेन्ज किया सैकड़ों लोग आर० टी० ए० के दफ्तर में जयपुर, अलवर, भरतपुर में हजारों लोगों ने इस प्रकार से पैसा दिया है। वे लोग जब हमारे निर्माण मन्त्री का भाषण पढ़ेंगे तो

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

क्या कहेंगे कि हमारे मिनिस्टर कितना सच बोलते हैं। मैं उस दिन सेक्रेटेरिएट में मौजूद था अफसरों से और अन्य लोगों से पूछा था आज क्या बात है इतनी भीड़ किस लिए है तो उन्होंने कहा टेम्परेरी परमिट के लिए है। अलवर से भी कुछ लोग आये थे। टेम्परेरी परमिट के लिए हमारी पार्टी की तरफ से भी इसके लिए कोशिश की गई, हमें भी कहा गया कि इतना रुपया देना पड़ेगा तब मिलेगा। जब उनको पता चला कि यह कम्युनिस्ट पार्टी ले रही है इनके पास कुछ देने को नहीं है तो हमको छोड़ दिया गया। आखिर मैं यह कहना चाहता हूं....

(११-१० म० पू०)

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी, चूंडावत, सभानेत्री पदासीन)

तो आखिर सुबूत दे सकते हैं किसी का या नहीं, इसी ग्राउण्ड पर करप्शन को रूट आउट करना चाहते हैं आप तो मैं यह समझूंगा कि फिर आपकी वास्तव में नीयत रूट आउट करने को नहीं है। आप इस नीयत से करप्शन को रूट आउट की बुनियाद नहीं बना पावेंगे और शासन के लिये सही वातावरण भी नहीं बना पावेंगे उस हालत में जब कि आज आपकी रेपुटेशन इतनी डेमेज्ड कन्डीशन में है, जबकि आपके शासन पर इस तरह के गम्भीर चार्जेज लगाये जाते हैं और इधर बैठने वाले ही नहीं लगाते, आपके साथ उधर बैठने वाले भी लगाते हैं। और आप यह भी जानते हैं कि किन-किन आपके साथियों, आपके सदस्यों के खिलाफ आपकी ए. आई. सी. सी. में अलग-अलग फाइलें खुली हुई हैं। तो आपका आज का स्तर तो यह बना हुआ है। आपके बारे में जो आपकी पार्टी के नेता हैं उनको ही जब असन्तोष है आपकी तरफ से।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : माननीय सदस्य अपने बारे मे, अपनी पार्टी के बारे में तो स्थिति स्पष्ट करें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : हमने तो बहुत सीरियसली सुझाव दिया था कि वास्तव में किसी भी पार्टी को इस तरह से चन्दा नहीं लेना चाहिये जिसमें अनुचित तरीके से इस तरह की कार्यवाही की गई हो। और मैं इस बात के लिये तैयार हूं अपनी पार्टी के लिये इस दफा या जब कभी भी चन्दा होता हो तो उसे देख लिया जाय। एक हाउस की कमेटी बना दें आप, जिसके सामने सब पार्टियां अपने-अपने हिसाब सबमिट कर दें कि किस से चन्दा लिया गया और किस-किस वक्त किन-किन हालतों में लिया गया और उसके बदले में क्या दिया है। लेने में कैसे तरीके अपनाये गये हैं। यह एक अच्छी परम्परा सदन में स्थापित होगी। माननीय मुख्य मंत्री महोदय इस बात को स्वीकार करें कि ए.आई.सी.सी. के सेशन के समय किस प्रकार से चन्दा इकट्ठा हुआ, किस-किस ने दिया, कैसे कैसे दिया, जिन-जिन लोगों से लिया गया उनको क्या बदला दिया गया उनके लिए कोई आफीसियल मशीनरी तो इस्तेमाल नहीं की गई, कोई ऑफीसियल दबाव तो इस्तेमाल नहीं किया

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

गया और कोई उन पर अनुचित दबाव डालकर तो नहीं लिया गया या अनुचित रियायत तो नहीं दी गई। ये सारी चीजें हम जानना चाहते हैं। मुझे बड़ी खुशी होगी अगर इन्क्वायरी के बाद यह साबित हो सके कि अब तक का आपकी पार्टी के बारे में और आपके कामों के बारे में हमारा जो इम्प्रैशन जो फैक्ट्स के आधार पर है, वह सही नहीं हो। हमें सारे फैक्ट्स की जानकारी नहीं हो सकती। हम सब रिकार्ड नहीं कर सकते पर जितने भी हमारी जानकारी में हैं उनसे हमारे दिमागों पर यह पक्का असर जमा हुआ है कि इस तरह से अनुचित तरीकों से चन्दा लिया गया है। हम भी कान्फ्रेन्सें करते हैं, सम्मेलन करते हैं अगर उनके भी हिसाब देखना चाहें आप तो बराबर के म्यूचुएलिटी के बेसिस पर मुझे भी अपनी पार्टी के सारे हिसाब-किताब दिखाने में कोई इन्कारी नहीं है। अभी भी अलवर में हमने अधिवेशन किया है उनके भी अकाउन्ट्स सबमिट करने का तैयार हैं। आप ए. आई. सी. सी. के अकाउन्ट्स सबमिट कर दें। इस तरह से हाउस की कमेटी बन जाय तो एक कोड ऑफ कन्डक्ट भी ठोस रूप में हम निर्धारित कर पावेंगे। कहीं पर कोई गलती होगी, तो आज नहीं, आइन्दा के लिए सही रास्ता डाल पावेंगे।

सभापति महोदया, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो संशोधन प्रवर समिति को देने का मैंने मूव किया है उस सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रश्न पर सरकार केवल विरोधी लोगों का काम विरोध करना है इस भावना से विचार न करें। आपकी तरफ के माननीय सदस्यों ने भी इस पर बहुत सी बुनियादी बातें कहीं हैं। उस दृष्टिकोण से विचार करने की कोशिश करें।

दूसरा प्रश्न इसके मैरिट्स का है। मैं निवेदन करना चाहता हूं मान लीजिये आपने इस बात को स्वीकार किया कि एक परटीकुलर क्लास, एक परटीकुलर एडवर्टाइज करने वाले लोगों को अनुचित नुकसान हो रहा था इससे तो क्या आप यह महसूस नहीं करते, अफसोस होता है कि आप सोशलिज्म का नाम इस्तेमाल करते हैं और अभी अभी भुवनेश्वर होकर भी आये हैं, हमने ख्याल यह किया था कि आप भुवनेश्वर की भावना लेकर आवेंगे और उसे यहां कार्यरूप में परिणित करना प्रारम्भ करेंगे, पर आप उससे विपरीत दिशा में जा रहे हैं, आपके एक्शन उसके विपरीत हो रहे हैं। आपके राजस्थान में राजस्थान के किसान आपके सरचार्ज और लेंड रेवेन्यू के भार से दबे जा रहे हैं, जगह जगह आन्दोलन कर रहे हैं, जगह जगह वसूली के खिलाफ लड़ रहे हैं।

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

उसके लिए आपने आर्डिनेन्स निकाल कर राहत उन किसानों को पहुंचाने की बात नहीं सोची ? उनके ऊपर अनुचित तरीके से लगाये हुए इस टेक्स को वापिस लेने का विचार नहीं किया। उनको राहत देने की कोशिश नहीं की। उनके लिए तो आपने अपने पावर २१३

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

की धारा में इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं की। अगर फौरन असेम्बली के खतम होने पर भी करते तो आपके ऊपर चार्ज नहीं लग सकता था कि करोड़ों किसानों से नाजायज चन्दा लेने के लिए बात की है।

लेकिन जहां आप इस तरीके की बातें कुछ लोगों के लिए कुछ पूंजीपतियों के लिए कुछ ऐसे लोगों के लिए कि जो आज समाज में शोषण के ऊपर आधारित हैं, जीवित हैं, करने में बड़ी तत्परता दिखाने से नहीं चूकते तो क्या यही आप समाजवादी समाज बनाने का लक्ष्य लेकर चले हो? आपकी हर बात में वही बात नजर आती है कि बड़े लोगों को समाज के शोषण पर आधारित लोगों को अनुचित लाभ देते रहें और शोषितों को और शोषण की तरफ ढकेलते जाएं। आप अपनी समाजवादी समाज स्थापना की परम्पराओं की परवाह नहीं करते।

इन शब्दों के साथ यह जो मैंने कट मोशन मूव किया है वह पेश करता हूं और जो माननीय जौहरी बाजार, जयपुर से आने वाले सदस्य का संकल्प है उसका समर्थन करता हूं।

श्रीमती सभानेत्री : श्री हरिप्रसाद शर्मा।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : सभापति महोदया, इस मनोरंजन कर पर वाद-विवाद चल रहा है। एक तरफ तो घाटे का बजट बता कर आप गरीब लोगों पर टैक्स लगाते हैं और दूसरी तरफ बजट पास करने के दो ही महीने बाद पूंजीपतियों को एवं अन्य इसी श्रेणी के लोगों को किन्हीं कारणों से उन टैक्सों में रिलेक्सेशन देने लगते हैं तो स्वाभाविक है कि आपकी पॉलिसी के बारे में सारा सदन और जनता आपकी नीयत पर, आपकी घोषणाओं पर शक करे।

मैं कहना चाहूंगा कि जिस समय सदन चल रहा था और किसानों पर सरचार्ज लगाया जा रहा था उस समय सदन के माननीय सदस्यों ने वित्त मन्त्रीजी से मांग की थी कि गरीब किसानों पर इस तरह के टैक्स न लगाओ, उस समय की बात मुझे याद है। उन्होंने यह जवाब दिया था कि संकट के समय राजस्थान सरकार को एक एक पैसे की जरूरत है और इसके लिये हमें पेट पर पट्टी भी अगर बांधनी पड़ेगी तो बांधेंगे। मैं उन्हीं वित मन्त्रीजी से आज पूछना चाहता हूं पेट पर पट्टी बांधने की बात को भुलाकर एक संपन्न वर्ग को बजट में घाटा होते हुए भी और इस तरह की पेट पर पट्टी बान्धने का उपदेश देने के कुछ समय बाद ही इस प्रकार की सहूलियतें देने की क्या आवश्यकता हो गई? ये आपके हथकण्डे क्या बताते हैं?

मैं बताना चाहूंगा अभी तारीख २६ को माननीय वित्त मन्त्री ने एक बड़ी बात कही, एक प्रश्न के प्रसंग में कि सेलसटैक्स के अधिकारीगण अगर किसान भाइयों से अनुचित ढंग से उनके प्रोसीड्स को, उत्पादन को बाजार में बेचने पर सेलसटैक्स वसूल करते हैं, ऐसे उदाहरण उनके सामने लाये जावेंगे तो

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

वे उन अधिकारियों को दण्ड देंगे। मैंने किसान भाइयों द्वारा बेचे गये ज्वार, बाजरा, मक्का गेहूं पर जबरदस्ती सेल्स टैक्स के इन्सपेक्टर द्वारा वसूल किये गये टैक्स की बात कल ही उनके सामने रखी। आपके सामने उदाहरण लाकर प्रस्तुत किये। तो मैं बताना चाहता हूं कि एक तरफ तो आप गरीबों को लूटने में मनमानी ढग से काम करते हैं। आप इसके लिए अपने अधिकारियों को छोड़े हुए हैं कि चाहे किसानों को लूटें खसोटें कुछ भी करें, पर राजस्थान के खजाने में धन इकट्ठा करें। वे आपके आदेशों की इस मामने में किसी तरह की परवाह नहीं करते। आप आश्वासन सदन में दे देते हैं कि किसानों के साथ ज्यादती की है तो दण्ड देंगे, पर देखना है अब आप उस आश्वासन को किस तरह से निभाते हैं।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मन्त्री): मैं थोडा सा साफ करदूं। मैंने यह जरूर कहा है कि अगर किसानों से सेल्सटैक्स लिया गया होगा अपना प्रोड्यूस बेचने पर तो वापिस कर दिया जावेगा। दण्ड देने का शब्द इस्तेमाल नहीं किया था। अगर ऐसा मालूम हो कि किसी ने घूंस ली है तब तो दण्ड का सवाल होता है। अगर गलती में आकर रसीद देकर चीज ली है तो वह टैक्स वापिस हो जावेगा।

श्री हरिप्रसाद शर्मा: सभापति महोदया, जबकि प्रश्नोत्तर काल में यह कहा गया है कि किसानों के ऊपर नियमों के अनुसार किसी प्रकार का कर नहीं है और उन अधिकारियों ने नियमों के विपरीत कर वसूल किया है और माननीय वित्त मन्त्री जी स्वयं स्वीकार करते हैं कि जिन किसानों से ले लिया गया है उनको वापिस दिलाया जायेगा तो ऐसे अधिकारी जिन्होंने इस प्रकार से गलत कार्यवाही की है उनको दण्ड देने में क्या आपत्ति है? अगर दण्ड नहीं दें तो उनको आप आदेश दे दें कि मनमाने ढंग से जनता से टैक्स न लिये जायें। यह बहुत होगा।

तो सभापति महोदया, मैं यह कहना चाहता था कि इस तरह से ऑर्डिनेन्स के द्वारा पूंजीपतियों को बचाया जाता है और उनको राहत दी जाती है और दूसरी तरफ बजट में मनमाने ढंग से प्रावधान रखे जाते हैं। आपने ग्रामसेविकाओं के ट्रेनिंग सेन्टर के बारे में बड़ी भारी आवश्यकता बताई और उसके लिए लाखों रुपयों का बजट रखा। लाखों रुपया मण्डोर और कोटा में इमारत बनाने पर खर्च किया। ८ वर्ष तक वहां पर ट्रेनिंग सेन्टर चलाया और वह ग्रामसेविकायें जो कि लाचार थीं उन्होंने वहां पर ट्रेनिंग पाई। आपने एकाएक वह ट्रेनिंग समाप्त कर दी है। वित्त मन्त्री महोदय इस तरह के प्रावधान रखकर खर्च की सारी बातें बताते हैं और जब खर्चा कम करने का प्रश्न आता है तो आप ऑर्डिनेन्स जारी करके लोगों का टैक्सों से राहत देते हैं। तो राजस्थान की जनता की निगाहें आपकी तरफ जायें तो इसमें कोई बात नहीं है। आप मोटर गाड़ियां भी लेते हैं और सारी बातें होती हैं। मैं आपका ध्यान सवाई माधोपुर क्षेत्र की ओर दिलाऊं वहां पर वेज

Page No.80

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

बोर्ड लागू हो गया है लेकिन वह सिफारिश आज तक वहां पर लागू नहीं हुई है। वहां के मजदूर आज उसी तरह से शोषण की घट्टी में पीसे जाते हैं। तो सभापति महोदया, जो प्रवर समिति के लिये मैंने प्रस्ताव दिया है उसके बारे में मैं यह चाहूंगा कि इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये और इस प्रकार के ऑर्डिनेन्स जो जारी किये जाते हैं वे जब तक सदन की स्वीकृति नहीं हो जाये तब तक न लाये जायें। इस बारे में गम्भीरता से विचार किया जाये और भविष्य में इस प्रकार की कोई कार्यवाही न की जाये।

श्रीमती सभानेत्री : श्री मानिकचन्द सुराणा।

श्री माणिकचन्द सुराणा (कोलायत) : सभानेत्रीजी, बहुत कुछ दलीलें इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ में दी जा चुकी हैं और मैं सदन का समय उन दलीलों को रिपीट नहीं करना चाहता हूं। कुछ सबमिशन्स जो अभी तक नहीं किये गये हैं वह मैं इस संबंध में अवश्य करूंगा। इस ऑर्डिनेंस के द्वारा टैक्स को रेट जो आपने घटाई है—एडवर्टाईजमेन्ट टैक्स की—इस टैक्स की दर को ऑर्डिनेंस के जरिये घटाने से बहुत ही महत्वपूर्ण कानून से ज्यादा नैतिक सवाल खड़ा हुआ है और कहा जा सकता है कि कानून के अन्दर आपको ऑर्डिनेन्स निकालने का अधिकार है। लेकिन धारा २१३ के तहत जिस मुद्दे पर इस हाउस का इनेक्टमेन्ट हो चुका है उस विषय से संबंधित किसी भी चीज पर आपको ऑर्डिनेन्स निकालने का अधिकार नहीं है। यह बात बिलकुल काच की तरह साफ है....

श्री बालकृष्ण कौल : This is a matter of interpretation.

श्री मानिकचन्द सुराना : हां it is a matter of interpretation. और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप इसका इन्टरप्रिटेशन किसी भी कानून के साधारण जानकार से करा लें यदि इसका इससे डिफरेन्ट इन्टरप्रिटेशन मिल जाये तो आप कह सकते हैं। यदि आपकी मन्शा है कि जो इनेक्टमेन्ट किया गया है वह इनेक्टमेन्ट नहीं है और सदन के द्वारा कानून नहीं बनाया गया तो मैं समझता हूं कि आपकी वह मन्शा बिलकुल गलत होगी। इसलिए ऑर्डिनेन्स के जरिये गवर्नर साहब के पावर्स कर्टेल किये गये हैं वे इसीलिए किए गये हैं २१३ के तहत कि जहां लेजिस्लेचर की मन्शा सामने आ जाये और इनेक्टमेन्ट आ जाये तो वह गवर्नर को पावर्स नहीं दी जाये कि वह ऑर्डिनेन्स जारी करे। ऑर्डिनेस किसी इमरजेन्सी के समय लागू किया जाये यह बात मानी जा सकती है। प्रधान और उप-प्रधान के डिस्ग्रेसफुल एक्ट के लिए ऑर्डिनेन्स निकाला गया। नर्सेज और कम्पाउंडर्स के इम्तिहान अगस्त में कराये जाएं यह एक पब्लिक इन्टरेस्ट का सवाल हो सकता है लेकिन अक्टूबर २२ को कौनसी इमरजेन्सी थी राजस्थान के अन्दर कि जिस दिन आपने यह ऑर्डिनेन्स जारी करके यह कहा कि जो कम से कम १ रुपया प्रति फिल्म प्रति शो टैक्स लिया जाना है

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

उसको रद्द किया जाता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उस क्लाज के तहत आपको २१ रुपया प्रति सप्ताह प्रति फिल्म पर, प्रति ट्रेलर पर लिया जाना आवश्यक था आपके लिए लेकिन आपने २१ रुपया वसूल नहीं किया और चूंकि आपको वसूल करने की नीयत नहीं थी और आप इस स्टेट के कॉमर्स को नुकसान देना चाहते थे अपनी पार्टी के पर्पज के लिए। इसलिए जो आपने ४२ रुपये की रेट मुकर्रर की थी २ मार्च के नोटिफिकेशन के जरिये उसको घटाकर अक्टूबर में जो आपने नोटिफिकेशन निकाला उसमें ३ रुपये रेट निर्धारित कर दी बड़े बड़े शहरों के लिए और छोटे छोटे कस्बों के लिए २ रुपया और १ रुपया प्रति सप्ताह की आपने रेट मुकर्रर की। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गवर्नर साहब को कोई पॉवर्स नहीं हैं कि जो टैक्स की दरें यह असेम्बली कायम कर दें उसको कम कर दें। अगर ऐसा प्रिसिडेन्स हम कायम करते हैं तो सारे टैक्सेशन प्रपोजल को यहां पर लाना और पास करवाना बेमानी हो जाता है इसका कोई अर्थ नहीं रह जाता कि हम बहुत लम्बी बहस के बाद हम एक प्रपोजल को स्वीकार करें और एक दिन अपनी मर्जी से गवर्नर साहब के जरिये उन टैक्स के प्रपोजल्स को कम करवा दिया जाये। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने बहुत ही खराब प्रिसिडेन्स इस हाउस को हिस्ट्री में करवाया है। मैं चाहूंगा कि वित्त मन्त्री महोदय कोई इस प्रकार का प्रिसिडेन्स भारत सरकार का भी हमारे सामने पेश करें कि जिसमें टैक्सेशन प्रपोजल्स में कोई रिडक्शन प्रेसीडेन्ट के द्वारा और उनके आर्डिनेन्स के द्वारा करवाया गया हो। मन्त्री महोदय अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को कहें कि वह इस तरह का प्रिसिडेन्स निकाल कर दें। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यदि यह कन्सीड भी कर दिया जाये कि कानून बनाने का अधिकार सरकार को है जिस तरह आचार्य कृपलानी ने कहा कि इस देश को कानूनी अधिकार हो सकते हैं लेकिन कोई मौरल अधिकार नहीं हैं। कानून के इन्टरप्रिटेशन में जाकर यह तय कर लिया जाये कि अध्यादेश के जारी करने का राज्य सरकार को अधिकार है लेकिन टैक्सेशन प्रपोजल्स में रिडक्शन करने का कोई अधिकार राज्य सरकार को नहीं है।

टैक्स लगाना, घटाना और बढ़ाना विशेष तौर पर इस असेम्बली की जिम्मेदारी है और आपने इस असेम्बली को जो प्रिविलेजेज दिये हैं उनसे इस असेम्बली को महरूम कर दिया है। जब कांग्रेस पार्टी के नेता से यह निवेदन किया जाता है कि आप असेम्बली दो बार नहीं ३ बार बुलायें, जब अध्यक्ष महोदय को निवेदन किया जाता है कि आप असेम्बली को २ बार नहीं ३ बार बुलाओ गवर्नर साहब को स्पेशल रिप्रेजेन्टेशन दिया जाता है और स्पेशल सेशन के लिए निवेदन किया जाता है कि आपने प्लान में कटौती कर दी है, प्लान राजस्थान में कम कर दिये हैं इस पर विचार करने के लिए एक सत्र का विशेष अधिवेशन बुलाया जाये उसकी तो सुनवाई नहीं की जाती, उसको मन्जूर नहीं किया जाता और उसके स्थान पर ऑर्डिनेन्स के द्वारा राजस्थान

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

में टैक्सेज कम किये जा सकते हैं। मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से कहूंगा कि आने वाले इतिहासकार यही सोचेंगे कि आपकी सरकार ऑर्डिनेन्सेज के जरिये जनता पर रूल करती रहे, इस निष्कर्ष पर आने से बच नहीं सकते। यदि आप चाहते हैं कि जनतन्त्र की स्वस्थ परम्परा फले तो कम से कम सरकार की जो ऑर्डिनेन्सेज के द्वारा रूल करने की आदत पड़ गयी है उसको उसे कम करना पड़ेगा।

इसके साथ ही, सभानेत्रीजी, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आपने इन ऑर्डिनेन्सेज को निकाल कर इस हाउस का मजाक बनाया है, इस हाउस को कॉन्टेम्प्ट में लाये हैं। इस हाउस में आज जो ऑर्डिनेन्स आप पास करवाना चाहते हैं उसके जरिये आपने इस हाउस का मजाक बनाया है। आप इस बात में यह संशोधन करवाना चाहते हैं कि इसको हटा कर कि एक रुपया प्रति फिल्म प्रति शो नहीं रखा जाय बल्कि उसके बजाय ५ नये पैसे प्रति फुट प्रति फिल्म प्रति शो हो। यह आप इस हाउस से पास करवाना चाहते हैं और जैसा कि माननीय सदस्य जो जयपुर से आये हैं उन्होंने कहा है कि ७५ फीट की एक रील होती है जिनको ट्रेलर्स कहते हैं तो ७५ फीट पर यदि पांच नये पैसे कायम किये जांय तो प्रति फिल्म प्रति शो का पौने चार रुपये होते हैं और एक दिन के सवा ग्यारह रुपये होते हैं और एक हफ्ते के ७८.७५ रुपये होते हैं। आप ७८.७५ रुपये टैक्स लगाने का अधिकार चाहते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि आपने २४ अक्टूबर को ३ रुपये की दर की और फिर फरवरी में एक नोटिफिकेशन निकाला उसमें आपने दर ७ रुपये प्रति सप्ताह प्रति फिल्म का टैक्स लगाने की बात की। टैक्स लगाने का अधिकार ७८.७५ रुपये का लेना चाहते हैं लेकिन कर लगाते हैं केवल ७ रुपये। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह सारी असेम्बली की प्रोसीडिंग्स जनता में जाती है और जो दरें यहां पास होती है तो वे यह कहते है कि एसेम्बली में बैठने वाले कितने मूर्ख हैं कि ७८.७५ रुपये टैक्स लगाने का अधिकार देते हैं और सरकार कितनी उदार है कि बेचारी ७ रुपये प्रति सप्ताह, और पहले ३ रुपये प्रति सप्ताह का टैक्स लगाती है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि टैक्स की दरें असेम्बली से जो स्वीकार कराई जांय वे वही हों जो कि वास्तव में लागू की जाती हैं। यह उचित नहीं कि १०० रुपये टैक्स लगाने का अधिकार ले लें और दो रुपये टैक्स लगायें। मैं यह कह सकता हूं और दावे के साथ कह सकता हूं कि इस मामले में क्या भ्रष्टाचार हुआ है और क्या नहीं हुआ, इन बातों के अलावा राज्य की यह बात साफ नजर आ गई है कि १०० रुपये लगाने का अधिकार था और उस पर आपको डिस्क्रीशन मिल जाय कि आप चाहें तो एक रुपया भी वसूल कर सकते हैं, इसमें कितना भ्रष्टाचार होने की गुन्जायश है। इस बात के एकेडेमिक पहलू से इन्कार नहीं कर सकते हैं। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार जो टैक्स लगाने का अधिकार लेती है जो दर इस एसेम्बली में कायम करवाना चाहती है, उसमें कोई डिस्क्री-

Page No.83

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

शन इस तरह का नहीं लें कि जब चाहें तब टैक्स की दर बढ़ाई जाय और जब चाहे तब घटा दें । जब भी टैक्सेशन के एक्ट में एमेंडमेंट लाया जाय तो इसकी इत्तिला विधान सभा को दी जाय और विधान सभा में लाया जाय। टैक्स लगाने का अधिकार कन्स्टीट्यूशन के तहत में, आपको यह मालूम होना चाहिए कि, इस विधान सभा को है, इस सरकार को नहीं है। इसलिए टेक्स में यदि ७८.७५ की कटौती करते हैं और ३ रुपया करते हैं और उसके बाद में ७ रुपये करते हैं उसमें असेम्बली कहीं पिक्चर में नही आई है । फिर भी असेम्बली को जनता गाली दे कि इस ट्रेड को बरबाद कर दिया और आप उसकी वाह-वाही ले लें और कांग्रेस पार्टी के लिए चन्दा भी ले लें। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो आपने ऑर्डिनेन्स के जरिये एमेंडमेंट किया है यह बड़ा ही शेमफुल है, बड़ा ही स्कोर्नफुल है, बड़ा ही निन्दनीय है उसको किसी प्रकार से स्वीकार नहीं किया जा सकता है और कन्स्टीट्यूशन के आर्टीकल २१३ के तहत बिल्कुल गैर कानूनी है, और उसके बाद....

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : इस पर रूलिंग मिल चुकी है २१३ के तहत की कि आया वह गलत है या सही है और इसके गवर्नमेंट को पॉवर्स हैं। फिर इसको बारबार अपनी स्पीच में क्यों दोहराते हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : यह रूलिंग नहीं दी है कि इस पर बहस नहीं कर सकते हैं, अपने विचार नहीं रख सकते हैं। उन्होंने कहा है कि निर्णय नहीं दे सकता। हो सकता है कि इस बारे में अध्यक्ष महोदय की कोई मजबूरी हो, क्योंकि आखिर वे भी उसी पार्टी के चुने हुए हैं जिस पार्टी का ऑर्डिनेन्स है।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : चेयर के खिलाफ कोई मोटिव इम्प्यूट करने की यह स्वस्थ परम्परा नहीं है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैने कोई मोटिव इम्प्यूट नहीं किया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : ऑर्डिनेन्स निकालना स्वस्थ परम्परा है ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : Most immoral, mostreprehensible Bill.

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि टैक्स की जो दरें विधान सभा से पास करवाई जायं वे ही दरें लागू की जायं, और यदि उतना टैक्स लगाने की जरूरत नहीं हो तो विधान सभा को जनता के सामने स्कोर्न कराने से और उसके सामने हैट्रेड पैदा करने के लिए ऊंची दरें स्वीकार नहीं कराई जाय, क्योंकि ऊंची दरें स्वीकृत की जाती है यहां तो वे अखबार में शाया होती हैं और आपका नोटिफिकेशन गजट में शाया होता हैं जिसकी कीमत आपने १० रुपये कर दो इसलिए इसको वकील लोग भी नहीं मंगा सकते हैं, पंचायतें और म्युनिसि-

Page No.84

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

पैलिटीज नहीं मंगा सकती हैं, इसलिए उनको कोई पढ़ेगा नहीं, गजट में नहीं पढ़ेंगे। अखबारों में जो रेट्स यहां मुकर्रर की जाती है वे ही आती हैं और जनता उसको ज्यदा से ज्यादा पढ़ेगी। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि इसमें ५ नये पैसे प्रति फुट प्रति फिल्म प्रति शो की दरें रखी हैं इसकी आवश्यकता नहीं है और आप इसको कम कर दें, एक नया पैसा प्रति फुट, प्रति फिल्म, प्रति शो कर दें, क्यों कि आप जो टैक्स लगा रहे हैं वह उसी अनुपात से लगा रहे हैं। इसलिय ५ नये पैसे की आवश्यकता नहीं है। और जो आप एमेंडमेंट लाये हैं उस एमेंडमेंट से काम नहीं चलता है, और एक बहुत ही ऊंची रेट इस तरह से स्वीकार कराते है जिसकी कि वास्तव में आवश्यकता नहीं है। उस ऊंची रेट को आप लागू कर दें तो शायद डेवलपमेंट राजस्थान में शीघ्र हो सकता है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ५ नये पैसे की रेट को कम करें लेकिन इस सदन के सामने करें। २४ अक्टूबर को ३ रुपये और फरवरी में ७ रुपये हो सकते हैं तो कल आप १५ रुपये कर देंगे। यह सारा डिस्क्रीशन आप में नहीं रहना चाहिये। और इसी आधार पर मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय।

श्रीमती सभानेत्री : श्री अब्दुलजब्बार।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : सभापति महोदया, आज के इस युग में टैक्स लगाने के सम्बन्ध में रात और दिन राजस्थान सरकार ही नहीं, भारत सरकार ही नहीं बल्कि हमारे देश के हरेक प्रान्त में काम करने वाली सरकारों का एक अच्छा सा नाम लिया जा सकता है कि टैक्स लगाने में किसी ने कोई कमी नहीं की है। लेकिन जहां यह सवाल आता है कि टैक्स किस पर लगाया जाय और वह टैक्स देने के लायक शक्ति रखते हैं, क्षमता रखते हैं कि नहीं इस चीज पर विचार नहीं करते हुए टैक्स लगाया जाता है।

पिछले सदन में यही एडवर्टाइजमेंट के ऊपर सवाल आया था उस पर रेमीटेन्स और डिडक्शन्स पर एमेंडमेंट लाया गया था। मैं वित्तमंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि मैंने रेमीटेन्स के शब्द को कंटेस्ट किया और जोर दिया कि इसके ऊपर डाउट क्रियेट होता है कि हो सकता है कि टैक्स के रूप मे जो धनराशि ली है उसको वापिस लौटा देना चाहते हैं, मैं आभारी हूं वित्तमंत्री महोदय का कि उन्होंने रेमीटेन्स शब्द को वापिस ले लिया और डिडक्शन्स के साथ दूसरे और शब्द लगा दिये, पार्शियली उसको स्वीकार कर लिया। इस तरह से जहां समस्या आती है टैक्सेशन पद्धति, लेबर क्लास या पीजेन्ट्री पर जो असर पड़ता है तो उसको करने की बात नहीं सोचते हैं कि उनकी क्या आमदनी है और उसकी क्या पर्सेन्टेज होती है उसको ध्यान मे नहीं रखते हुए बराबर टैक्स लगाते चले जा रहे हैं। सभापति महोदया, मैं वित्तमंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता

(श्री अब्दुलजब्बार

हूं कि एक तरफ आप उन लोगों पर रहम और करम की नज़र फर्माते हैं जो कि ऊंचे ऊंचे महलों में रहते हैं, एशो-आराम की जि़न्दगी बसर करते हैं। जो एडवरटाइज़मेंट करते हैं उसमें जो उनकी रकम खर्च होती है वह उनका इन्वेस्टमेंट है। वह वेस्ट ग्राफ मनी नहीं कहलाती है। वह रिटर्न लाते हैं। उस पर उनको प्रोफिट मिलता है। इनको आप राहत की नज़र पहुंचायेंगे। ग्रोब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स में लिखा है कि इससे इनको डिसकरेजमेंट हुआ है। अगर डिसकरेजमेंट हुआ है तो क्या डिसकरेजमेंट हुआ है? इसका रिडक्शन किस आधार पर हुआ है? किसने रिप्रेजेन्टेशन किया है? किसी अखबार में जारी नहीं हुआ कि एडवर्टाइज़मेंट करने वाले इस बात से डिसकरेज हुए हैं या इनको किसी किस्म की निराशा हुई है। निराशा जिनमें फैली हुई है उन्होने रिप्रेजेन्टेशन दे रखे हैं, किसानों ने रिप्रेजेन्टेशन दे रखे हैं, मजदूरों ने रिप्रेजेन्टेशन दे रखे हैं, लेकिन सरकार उनके लिए राहत पहुंचाने की बात नहीं कर सकी है। अफसोस के साथ में यह व्यक्त करता हूं कि जहां सरचार्ज लगा दिया वहां पर पंचायत समिति ५ नये पैसे प्रति रुपया के हिसाब से टैक्स लगाती है तो यह बड़े अफ-सोस की बात है। और हमसे इस तरह से पूछा जाता है कि क्या करते हैं, इस तरह से टैक्स लगाते हैं तो हम यही कहते है कि हम क्या करें। यह जनतन्त्र का नक्शा नहीं आता है, यह तानाशाही का नक्शा बन गया है। आप अपने आधार पर जो बात कर दी जाती है उसको अपनाते हैं। आप बगावत को पनपाते जा रहे हैं। अगर आप बगावत को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं तो आपको इस तरह को कोशिश करनी चाहिए कि आप जानें कि जनता क्या चाहती है।

जब रिलेक्सेशन का सवाल आता है तो उस क्लासके लिए रिलेक्सेशन करना चाहते हैं जिसके पास कारें हैं, जिनके पास बंगले हैं, जिनके पास बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं जिनमें कि हजारों की तादाद में मजदूर काम करते हैं और एडवर्टाइजमेंट के जरिये अपनी चीजों को ज्यादा से ज्यादा पापुलर बनाना चाहते हैं जिससे कि उनको काफी प्रोफिट होता है। इन लोगों से आप पैसा नहीं लेंगे। उनको आप आराम देना चाहते हैं सिनेमा वालों को भी आप आराम देना चाहते हैं। उनकी फिल्म्स पर आप ग्रोक्ट्राय ड्यूटी नहीं लगाने देते हैं। म्युनिसिपैलिटीज पर हावी हैं पैसे वाले। उनको आप इस तरह से राहत देते हैं। और गरीब आदमी बराबर परेशान रहते हैं। ऐसी सूरत में सभापति महोदया, मेरा यह निवेदन है कि यह जो टैक्स लगा रहे हैं यानी उसको खत्म करने का सवाल आता है तो ऐसा मालूम होता है कि किसी ने कन्धे पर हाथ रख दिया, किसी ने किसी तरह से ग्रेटीफाइ कर दिया तो उसको सहूलियत पहुंचाने की बात सरकार कर देती है बाला-बाला।

यहां यदि सरकार यह सोचे जैसा कि मैं पढ़कर सुनाता हूं सभापति महोदया, बड़े सुन्दर शब्द हैं इसके स्टेटमेन्ट ग्रॉफ ग्रॉब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स में :

(श्री ग्रब्दुलजब्बार)

"The minimum rate of advertisement tax provided in clause (b) of sub-section (1) of section 4A of the Rajasthan Entertainments and Advertisements Tax Act 1957, has been found to be heavy......."

वर्ड्स कितने सुन्दर लगाये हैं "has been found to be heavy and has resulted in discouraging the advertisers from exhibting films........"

अब देखिये यहां कितना ख्याल किया सरकार ने। डाइरेक्ट टेक्स से उनको एग्ज़ेम्प्ट करने की बात करती है, लेकिन कारण यह लगाया कि एक दम वे निराश हो गये हैं। लेकिन निराश तो वे हो गये हैं जो ८० परसेंट हैं और जिनके खाने को देखें तो प्याज के पत्ते रोटी के लपेट लपेट कर अपना पेट भरते हैं, अभी डाक्टर राममनोहर लोहिया ने १४ तारीख को स्टेटमेन्ट दिया दिल्ली में उन्होंने कन्ज्यूमर्स के एक्सपेन्डिचर के स्टेटिटिक्स तैयार किये हैं उन्होंने बताया कि देश में १६ परसेंट ऐसे लोग हैं जो आधा पेट रोटी खाते हैं और बहुत से ऐसे भी व्यक्ति हैं.......

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) :

माननीय सभानेत्री जी, यह जनरल डिस्कशन बजट पर है या अमेन्डमेन्ट पर बहस हो रही है....

श्री ग्रब्दुलजब्बार: अर्ज करना यह है कि जनरल डिबेट का सवाल नहीं है,

प्रिन्सिपल का सवाल है, यहां इस बात को शो किया जाता है कि स्टेटमेन्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स में कि हम उन लोगों को डिसकरेज नहीं करना चाहते हैं, आप अगर ऐसी स्थिति में हैं कि किसी को निराश नहीं करके खुशहाल करना चाहते हैं, बेटरमेंट टेक्स से खुशहाल करना है तो उनको करना चाहिये जो भूखे पेट रहते हैं। इन लोगों पर तो ज्यादा टेक्स लगेगा तभी समाजवाद आयेगा। मां के रूप में समाजवाद होना चाहिये। मां बड़े आदमियों को पहले न खिलायगी लेकिन छोटे बच्चों को पहले पकते हुए में से भी खिलायेगी, लेकिन आप तो अपर क्लास को पहले खुशहाल करना चाहते हैं लोवर क्लास को नहीं। इससे समाजवाद नहीं आयेगा। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि यह सिलेक्ट कमेटी में जाना चाहिये और वहां इस पर अच्छी तरह विचार होना चाहिये। एक बार असेम्बली टेक्स लगाती है और टेक्स शुरू हो जाता है और फिर दुबारा अमेन्डमेंट आ जाता है ये धन्धे हैं दिन रात अमीर क्लास को राहत देने के लिये लेकिन गरीब क्लास को राहत देने के लिये कुछ नहीं होता इसलिये मेरा विरोध है कि यह डाइरेक्ट पास नहीं होना चाहिये। मैं सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि देश के ८० परसेन्ट लोगों के लिये विचार करें और ऐसा करें जिससे उनको भी राहत पहुंचे। मैं गवर्नर महोदय को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अंडर प्रिवलेज़ क्लास को राहत देने के लिये कहा

(श्री अब्दुलजब्बार)

है। अव्वल तो मुझे यह शब्द अखरा है शिड्यूल क्लास, ट्राइब्स वगैरा को अंडर प्रिवलेज नहीं कहना चाहिये मैं इसको चैलेन्ज करता हूं। लेकिन मेरा निवेदन है कि यह बिल प्रवर समिति में जाना चाहिये और वहां इस पर गंभीरता से विचार होना चाहिये और उसके बाद जो प्रवर समिति रिपोर्ट दे उसके अनुसार चलना चाहिये।

श्रीमती सभानेत्री : श्री गिरधारीलाल व्यास

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : सभापति महोदया, राजस्थान मनोरंजन तथा विज्ञापन मनोरजन कर (संशोधन) विधेयक, १९६४ के सम्बन्ध में काफी कहा गया है। जैसा कि इस बिल के उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण में दिया गया है उससे स्पष्ट विदित होता है कि जो यह टेक्स लगाया गया और जिस कारण हमारी सरकार को जो आमदनी हुई और उसमें जो कमी आई है उसकी पूर्ति के लिये तथा एडवर्टाइजमेंट्स और दूसरी बातों को बढ़ावा देने के लिये यह संशोधन बिल लाया गया है। यदि सही तरीके से आप देखें और इस असें में जो राज्य को इस टैक्स से आमदनी हुई है उसका सही अंदाजा लगाया जाय तो आपको स्वयं को महसूस हो जायगा कि इस टेक्स से कितनी आमदनी हुई है। राज्य को आमदनी की कमी की वजह से सरकार ने मुनासिब समझा है कि इस टेक्स में कमी की जाय ताकि एडवर्टाइजमेंट्स से सरकार को ज्यादा आमदनी हो। इस आमदनी के लिये पहले भी सोचा गया था और अलग अलग अमेडमेंट्स दिये थे हमने पहले भी निवेदन किया था कि ज्यों ज्यों ज्यादा टेक्स लगायेंगे त्यो त्यों राज्य की आमदनी में कमी आयेगी और इसी बात को महसूस करके सरकार ने अपनी टेक्सेशन पोलिसी को बदला है और उसके कारण जो उद्देश्य में बताये हैं वे ही हैं। आप देखेंगे....

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी में निर्णय लेकर किया गया है क्या ?

श्रीमती सभानेत्री : आप बोलिये।

श्री गिरधारीलाल व्यास : यह जो आपने कहा कि इस पर पार्टी ने डिसीजन लिया या नहीं मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पार्टी से यह ताल्लुक नहीं रखता है, यह फाइनेन्स मिनिस्टर साहब से ताल्लुक रखता है। उन्होंने ही इसका विवरण दिया है। इस संबंध में मैं यह निवेदन कर रहा था कि इन ८ महीनों में राज्य सरकार को कितनी आमदनी हुई, यह आमदनी घटी या बढ़ी, इसके आंकड़े देखे जायेंगे तो आपको महसूस हो जायगा कि ये जो कारण दिये हैं, टेक्स बढ़ाया है वह सही किया है या गलत किया है। इसमें जो रद्दोबदल की गई है वह सिर्फ यह है कि "मिनिमम" लफ्ज़ था उसके बदले "मैक्ज़िमम" बढ़ा दिया है...........

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : (बयाना) : यह छोटी बात है क्या ?

श्री गिरधारीलाल व्यास : यह बड़ी बात है, लेकिन इसमें लिखा है कि क्यों किया, टैक्स कम आया इसलिये किया....

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : बजट के टाइम भी इसी फोर्मुला को ध्यान में रखना था।

श्री गिरधारीलाल व्यास : सिनेमा देखने वालो ने महसूस किया होगा या जो माननीय सदस्य सिनेमा देखते हैं उन्होंने भी महसूस किया होगा कि इस अरसे में कितने कम एडवरटाइजमेन्ट उनको सिनेमा में देखने को मिले हैं।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : सरकार के खज़ाने में पैसा नहीं आया होगा।

श्री गिरधारीलाल व्यास : जब से सरकार ने यह अध्यादेश निकाला है तब से कितनी आमदनी हुई यह महसूस हुआ होगा। सरकार ने आंकड़े दिये हैं कि ५ पैसा प्रति फीट प्रति शो किया जिससे हफ्ते में १०५) होता है १) से ३) होते हैं। १) प्रति शो मिनिमम या मैक्जिमम लिया जाय तो हफ्ते भर में २१) रु० की आमदनी होती है। जो आंकड़े सदन में बताये गये हैं वे तोड़ मरोड़ कर बताये गये हैं। इतना लम्बा फर्क बताया गया है जिसके बारे में सोचा नहीं जा सकता। हमको भुलावे में रखने के लिये इतना बड़ा फर्क इस वजह से बताया गया है।

दूसरा मुझे यह निवेदन करना है कि धारा ३ में संशोधन किया है : "किसी राष्ट्रीयवर्दी पहने हुये सैनिकों, नाविकों अथवा अन्य प्रतिरक्षा दलों को मनोरंजन कर से अथवा मनोरंजन कर के किसी अंश या वर्ग से मुक्त किये जाने के लिये"

इसके संबंध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो एग्जेम्पशन दिया है वह उचित है। लेकिन अभी इमरजेन्सी का प्रश्न है उनको एन्टरटेनमेन्ट टैक्स से मुक्त किया जायगा तो उनको राहत मिलेगी, उनके दिल में असर होगा। लेकिन इसके साथ-साथ और लोगों को भी राहत मिलती तो ज्यादा अच्छा होता........

एक माननीय सदस्य : एम एल. एज़. को भी।

श्री गिरधारीलाल व्यास : एन. सी. सी. के छात्र जो डिफेन्स फोरसेज से तालुक रखते हैं और होम गार्ड के लोग जो डिफेन्स से तालुक रखते है, टेरिटोरियल आर्मी का काम देने जाते हैं ऐसे लोगों को राहत मिलती तो होम गार्ड या एन. सी. सी. की जो ट्रेनिंग लेते हैं उनको भी बढावा मिलता। इसलिए यदि ये दोनों चीजें इसमें और जोड़ दें तो ज्यादा अच्छा हो।

इसके साथ साथ स्वास्थ्य या शिक्षा के सम्बन्ध में जो लोग इस प्रकार का कार्य करें उनके सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है कि स्वास्थ्य या शिक्षा के सम्बन्ध मे जो रील्स बनाई जाती है या प्राइवेट पार्टीज बनावे तो उनको भी छूट हो तो बैटर हो....

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मन्त्री) : गवर्नमेंट डोक्युमेन्ट्रीज़ पर छूट है ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : दूसरा यह निवेदन है कि बहुत से भाइयों ने चन्दे के बारे में जिक्र किया, तरह तरह की बातें कहीं कांग्रेस अधिवेशन की वजह से ऑर्डिनेन्स निकाला गया, बड़े बड़े चन्दे लिये, हमारे भूतपूर्व होम मिनिस्टर साहब ने घोषणा की कि इस प्रकार की बात नहीं है । हमारे फाइनेन्स मिनिस्टर साहब ने भी इसी प्रकार की बात कही है, इसका मकसद चंदा लेने का नहीं है, बल्कि उन लोगों से जो एडवर्टाइजमेन्ट के सम्बन्ध में हमारा फाइनेन्स का लोस हो रहा था उसकी पूर्ति करने के लिए ऑर्डिनेन्स जारी किया है । इसमें इस प्रकार की बात कहना और आरोप लगाना कि साहब कांग्रेस पार्टी ने चन्दा लेने के लिए इस प्रकार का ऑर्डिनेन्स निकाल कर उन लोगों को ओबलाइज किया है-यह कतई निराधार है गलत है । आप देखेंगे, हमारे सदन में और देश में ऐसे लोग हैं जो इस प्रकार की बात करते हैं वे विदेशों से सहायता लेते हैं और और हमारे देश के साथ घातक नीति अपनाते हैं । इस प्रकार के लोगों के होते हुए और इस प्रकार की पॉलिसी के होते हुए भी हमारी पार्टी ने सही काम किया है, सही तरीके से काम कर रही है । ऐसी स्थिति में ये निराधार आरोप लगायें, यह कहां तक उचित है....

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : आप स्पष्ट कीजिये, कौनसी पार्टियां विदेशों से सहायता लेती हैं ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आप स्वयं जानते हैं कि कौन कौनसी पार्टियां हैं जो विदेशों से मदद मांगती हैं और नेशन के खिलाफ प्रचार करती हैं ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : आप नाम बताइये ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : यह बात भी कही गई कि राहत किसानों को मिलनी चाहिए लेकिन राहत बड़े लोगों को दी गई है । मैं समझता हूं इसमें राहत का प्रश्न नहीं है बल्कि लास का प्रश्न है । फाइनेन्स में होने वाले लोस का प्रश्न है, इसमें राहत देने का प्रश्न नहीं है । जो टैक्सेज़ हमने पहले लगाये थे, उससे पहले हमारी कितनी आमदनी हुई और वह आमदनी बढ़ी है या घटी है--इन बातों को सोचने से महसूस होगा कि यह लास आफ फाइनेन्स होने की वजह से ऑर्डिनेन्स निकाला गया है वरना और कोई मकसद इसका हो नहीं सकता कि जिसकी वजह से ऑर्डिनेन्स निकाला गया हो । नाज के ऊपर टैक्स लगा है उसके सम्बन्ध में आप देखेंगे कि पहले की हमारी जो आमदनी है और आज की जो आमदनी है-उसमें इन टैक्सेज के कारण कोई कमी नहीं आई है, जिसकी वजह से कोई टैक्सेज में कमी की जाय । यह बात अलग, गवर्नमेंट के सोचने की है कि वह नाज के ऊपर टैक्स छोड़ दे और गरीबों को राहत दे । यह बात समझ में नहीं आती है कि और किसी मन्शा से ऐसा किया हो । यह फाइनेन्सियल लोस की वजह से हुआ है और वास्तव में जो टैक्सेज

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

लगाये जाते हैं वे इसीलिए लगाये जाते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस तरह का अमेंडमेंट बिल लाया गया है।

इसके साथ ही जो मैंने एक दो अमेंडमेंट्स बताये हैं, जैसे एन्टरटेनमेंट टैक्स के सम्बन्ध में एन. सी. सी. और होमगार्ड के बारे में निवेदन किया और इसी वजह से मैंने सुझाव दिया था कि इसे प्रवर समिति में भेज कर विचार किया जाय। ये जो मेरे सुझाव हैं ये अहमियत रखने वाले हैं कि एन. सी. सी. के छात्र और होम गार्ड के लोगों को इसमें शामिल कर लिया जाय। अगर इन लोगों को राहत मिलेगी तो लोगों को इससे प्रोत्साहन मिलेगा।

श्रीमती सभानेत्री : श्री रघुनाथ विश्नोई।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : माननीय सभानेत्री महोदया, जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक आपत्ति उठाई और जो संकल्प पेश किया है उसके बारेमें भी विचार विमर्श हुआ और बहुत से माननीय सदस्यों ने विचार व्यक्त किये। इसके अलावा जो यह विधेयक इस सदन में प्रस्तुत हुआ है इसके बारे में भी एक संशोधन प्रस्ताव पेश किया है। मैं भी एक संशोधन प्रस्तुत करता हूं।

जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संकल्प पेश किया है, उसमें यह लिखा है कि राज्य सरकार को जहां तक हो सके, आॅर्डिनेन्स कम से कम जारी करने चाहिए। जहां तक इस सदन की स्वस्थ परम्पराओं का सवाल है। वैसे तो आॅर्डिनेन्स जारी बहुत ही स्पेअरिंग, एक्स्ट्रा आर्डिनरी सर्कम्सटान्सेज में किये जाते हैं। गए वर्ष किसी कारण, किसी सरकम्स्टान्स के कारण असेम्बली का सेशन दुबारा बुलाया नहीं जा सका। इसके कारण ये ज्यादा आॅर्डिनेन्स जारी करने पड़े। मुझे ऐसी ही स्थिति मालूम पड़ती है। वरना मैं भी इस तरह के आॅर्डिनेन्स जारी करने के सम्बन्ध में यही मान्यता रखता हूं कि छोटे मोटे मामलों में, जब तक कि आॅर्डिनेन्स जारी करने की कोई एमर्जेन्सी नहीं हो, आॅर्डिनेन्स जारी नहीं किये जाते।

इसके अलावा एक माननीय सदस्य ने आॅर्डिनेन्स जारी करने के सिद्धांत को भी चुनौती दी है और इसके बारे में कानूनी आपत्ति उठाई थी। इस बारे में माननीय को, सभानेत्री महोदय, आपके जरिये बताना चाहता हूं कि गवर्नर महोदय का कान्स्टीट्यूशनल राइट है और उन्हीं कान्स्टीट्यूशनल राइट्स को एक्सर्साइज करते हुए उन्होंने आॅर्डिनेन्स निकाले हैं। जिस तरह विधान सभा लेजिस्लेशन बनाती है उसी के अनुसार यह गवर्नर का फंडामेन्टल राइट है कि गवर्नमेंट द्वारा दिये गये रीज़न्स को मद्देनजर रखते हुए अगर आॅर्डिनेन्स जारी करने की आवश्यकता महसूस होती है तो आॅर्डिनेन्स जारी होता है........

एक माननीय सदस्य : विधान सभा का सत्र सितम्बर में हुआ था।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आप शान्ति से सुनिये, शांति से सुन कर समझने की कोशिश कीजिये।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : आप कान ठीक रखिये और समझने की कोशिश कीजिये।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आप शान्ति रखें और शान्तिपूर्वक सुनने की कोशिश करें।

सभानेत्री महोदया, गवर्नर बगैर सोचे समझे और लीगल डिपार्टमेन्ट को कन्सल्ट किये बिना, और बिना कानूनी पहलुओं को देखते हुए आॅर्डिनेन्स जारी नहीं करते हैं। उसके बाद आॅर्डिनेन्स किस तरह जारी हुआ, क्यों हुआ। इन सारी सरकमस्टान्सेज को गवर्नर महोदय ने मद्दे नजर रखा होगा। और उसके बाद आॅर्डिनेन्स जारी करने की परिस्थिति पैदा हुई। तो जब सरकार की तरफ से कारण उपस्थित हुए और गवर्नमेंट को फंडामेंटल और कान्स्टीट्यूशनल राइट्स सदन ने ही दे रखे हैं तो ऐसी हालत में आॅर्डिनेन्स जारी किये जा सकते हैं। उस हालत में इसमें कोई अवैधानिकता नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताऊं कि कोई फंडामेंटल राइट कान्स्टीट्यूशन में नहीं है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : कान्स्टीट्यूशन में राइट है कि आॅर्डिनेन्स जारी किये जा सकते हैं वरना आॅर्डिनेन्स जारी करने की स्थिति पैदा नहीं होती। गवर्नर महोदय मेरे ख्याल से आपसे ज्यादा जानकारी रखते हैं। वे बिना कानूनी पहलू से सोचे समझे बगैर हर चीज से सहमति प्रगट नहीं करते। इसलिए आॅर्डिनेन्स जारी करने से पहले हमेशा कारण मांगे जाते हैं। अगर वे उपयुक्त नहीं हों तो आॅर्डिनेन्स जारी करने की परिस्थिति पैदा नहीं होती। इसलिए, सभानेत्री महोदया, जो आॅर्डिनेन्स जारी करने के बारे में बात कही गई उस पर मैंने विचार व्यक्त किये।

दूसरी बात यह विधेयक जो सदन में पेश हुआ है, इसके बारे में और आॅर्डिनेन्स जारी करने की पृष्ठ भूमि के बारे में बहुत से माननीय सदस्यों ने बहुत सी आब्जेक्शनेबल बातें कहीं। और पार्टी के ऊपर मोटिव इम्प्यूट किये। मिनिस्टर द्वारा नाजायज फायदा उठाने के लिए और पार्टी के पक्ष में चन्दा लेने के लिए यह जारी किया–यह आरोप लगाया। मैं, सभानेत्री महोदया, आपके जरिये माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि इस तरह की बात हर चीज के लिए, हर कानून के लिए, पार्टी विशेष के लिए बगैर पूर्व नोटिस दिये आॅब्जेक्शनेबल एलीगेशन्स लगाना प्रजातन्त्र के लिए घातक प्रणाली होगी। मैं समझता हूं कि हर पार्टी के लिए एक आचार संहिता रखना आवश्यक है। हर चीज के लिए मोटिव इम्प्यूट बगैर तथ्यों के करें तो यह प्रजातन्त्र के लिए स्वस्थ परम्परा नहीं होगी। यह सब पार्टी के लिए अहितकर

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

है। दुर्भाग्य या सौभाग्य से किसी भी तरह से उड़ा देने की भावना विरोधी पक्ष की बन गई है भले ही कोई बात हो, उसे इस तरह उड़ाया जाय। इस दृष्टान्त को ध्यान में रखते हुए मैं समझता हूं कि यह प्रजातन्त्र के विरुद्ध है और माननीय सदस्य इस बारे में मेरे विचार से सहमति प्रगट करेंगे कि इससे प्रजातन्त्र के लिए एक खतरा उत्पन्न हो सकता है।

माननीय सभापति महोदया, इसके बाद इस विधेयक के बारे में, मूल एक्ट में संशोधन करने के बिल के अन्दर जो प्रावधान हैं, उनको सिलेक्ट कमेटी में रेफर करने का प्रस्ताव किया है। उसमें मेरा यह विचार है कि जो अमेंडमेंट्स इस बिल में मूव किये हैं, उनमें कुछ तथ्य और रखने की आवश्यकता है। जो मंत्री जी ने इस बारे में ऑर्डिनेन्स जारी किया वह अपने एक्सपीरियेन्स के आधार पर मान लिया। हो सकता है कि कुछ फाइनेन्स में कमी आई हो और टैक्स ज्यादा था उसको कम करने के लिए और तथ्य सामने आये हों, उनको देखते हुए कुछ एग्जेम्शन्स दिये हों। इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए कुछ एग्जेम्शन किये गये............

(१२.०० मध्यान्ह)

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

कुछ केटेगरीज़ ऐसी है जिनको एग्ज़ेम्शन देने की आवश्यकता है। हर एक को एग्ज़ेम्शन देना उचित नहीं हो सकता। यह मुद्दा सिलेक्ट कमेटी के जरिये ही विचार किया जा सकता है।

दूसरा सोल्जर्स को एन्टरटेनमेंट टैक्स से एग्जेम्शन दिया गया है उसमें भी कई दूसरे लोग भी आ सकते हैं जिनको एग्ज़ेम्शन देने की आवश्यकता हो। इसलिये इन सारे मुद्दों पर विचार करने के लिये यह बिल सिलेक्ट कमेटी को रेफर किया जाना उचित मालूम होता है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल): सभापति महोदया, आज जब से सदन की कार्यवाही शुरू हुई है, टैक्सों के बारे में बातचीत दोनों तरफ से हो रही है और गरमा गरम बहस हो रही है। मैं यह कहूंगा कि आदमी समय को भूल जाता है। उस बात को ज्यादा समय नहीं हुए जब इस पर इसी सदन में ४ अप्रेल को बहस हुई थी और जो चेहरे आज कम करने पर बोल रहे हैं वे ही चेहरे उस दिन नहीं लगाने के बारे में कह रहे थे। मैं समझता हूं कि उन लोगों की सौदेबाजी हुई थी जो उस समय नहीं लगाने की बात कह रहे थे लेकिन गवर्नमेंट ने जिनको ठीक समझा, किया। आज उस बात को ६ महीने अक्टूबर में हुए है। एडवर्टाइज़मेंट बड़ी कम्पनियें देती है...........

श्री रामानन्द अग्रवाल: सौदा आपको करना पड़ा है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा: मैं आपके सारे सौदे जानता हूं। आपके सौदे कोर्ट मे

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

साबित हो गये, आपके सारे हालात तो मैं जानता हूं। आप तो बोलो ही मत। आपके धन्धे तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं।

(घण्टी)

श्रीमती सभानेत्री : आप अपने विषय पर आ जावें।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : आप इनको भी मना कर दें, ये बीच में नहीं बोलें और बीच में बोल कर मुझे डिस्टर्ब न करें और अगर ये बोलेंगे तो मैं उनसे ज्यादा बोलना जानता हूं और बोल सकता हूं।

आप कहते हैं कि लोग एडवर्टाइजमेंट नहीं देंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सिनेमा गृहों के भरोसे हम नहीं हैं। जिस समय आय की कमी महसूस हुई उन्होंने ऑर्डिनेन्स के जरिये से टैक्स को कम किया और अगर ऑर्डिनेन्स के जरिये से इसको कम नहीं किया जाता और एमेन्डमेंट नहीं किया जाता तो हमारे वित्त मंत्री जी बिल्कुल निकम्मे साबित होते। और जब से उन्होंने कम किया तब से राज्य की आय बढ़ने लगी। राज्य की आय आज ६ महीनों से ज्यादा बढ़नी शुरू हुई इसका भी दर्द आपको होने लगा। आपका काम ही विरोध करने का है और आपने किया। किस लिये किया गया यह तो आप जानते हैं। आपने पहले जब यह पास हुआ था उस समय इसका विरोध किया और अब जब कम किया है तो आप यह कहते हैं कि इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजा जावे। सिलेक्ट कमेटी इसकी जांच करेगी। मैं यह कहूंगा कि इसको ६ महीने होने को आए हैं, ६ महीनों में इसकी जांच करली गई। पहले नुकसान हो रहा था उसको भी आपके सामने लाया गया उसका भी आज विरोध किया जा रहा है। मैं यह कहूंगा कि ६ महीनों में इसकी जांच हो चुकी है और इसको अब सिलेक्ट कमेटी में भेजने की जरूरत नहीं है। × × ×

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : सभापति महोदया, माननीय सदस्य ने यह कहा है कि सिलेक्ट कमेटी कैबिनेट के सामने कुछ नहीं है। ये शब्द आपत्ति जनक हैं और मैं यह निवेदन करूंगा कि इन शब्दों को एक्सपन्ज किया जावे।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : आप मुझे इस तरह से डिस्टर्ब न करें। मुझे अपनी बात कहने दें।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप यह नहीं कह सकते कि सिलेक्ट कमेटी कैबिनेट के सामने कुछ नहीं है....

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : मैं यह निवेदन कर रहा था कि ६ महीने इसकी प्रत्यक्ष जांच कर ली गई। इसके बाद सरकार निर्णय लेती है....

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : On a Point of order, Sir. अभी माननीय सदस्य ने कहा कि सिलेक्ट कमेटी केबिनेट

× × × अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाले गये।

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

के सामने कुछ नहीं है, मैं समझता हूं कि ये शब्द सदन की डिगनिटी के खिलाफ है। अतः इन शब्दों को प्रोसीडिंग्ज में से एक्सपंज कराया जावें।

श्रीमती सभानेत्री : इन शब्दों को एक्सपंज किया जावे। आप जल्दी करें।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : मैं तो जल्दी ही कर रहा हूं लेकिन बीच में डिस्टर्ब करते हैं। ६ महीने तो जांच कर चुके हैं। मैं यह कहूंगा कि कुछ दिल जले लोगों की बात नहीं मानी गई और वह मानी भी नहीं जा सकती. इसलिए उन लोगों के दिल के फफोले हैं जो उठ उठ कर इस प्रकार की बातें कर रहे हैं।

जहां तक चन्दे की बात कही जाती है. मैं यह कहूंगा कि आप जब दिल्ली गये थे तो क्या घर के पैसों से गये थे? चीन से पैसे आपको मिले होंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं यह कहूंगा कि आप हां तो कीजिए। आप इसको मंजूर तो कीजिए। आपकी यह कहने की हिम्मत नहीं होती। मैं तो चैलेंज रखने को तैयार हूं। आप भी तैयार रहिये, कमेटी बनाने के लिए।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : आप रखने को तैयार हैं मैं जानता हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप एक कमेटी बना दीजिए हाउस के सदस्यों की। आप कमेटी बनाना मंजूर तो करें वह कमेटी सब देख लेगी।

श्री बालकृष्ण कौल : (वित्त मन्त्री) कमेटी की क्या जरूरत है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : इसको कम करने के लिए जो निर्णय लिया गया है वह बिल्कुल ठीक है। ऐसी हालत में मैं इसका समर्थन करता हूं। इसलिए सतीशचन्द्र जी ने जो कहा है वह ठीक नहीं है।

श्रीमती सभानेत्री : समय बहुत कम रह गया है। माननीय मंत्री इसका उत्तर देंगे।

श्रीमुकटबिहारीलाल गोयल(बयाना) : मुझे कुछ कहना है।

श्री भैरोंसिंह : (किशनपोल, जयपुर) सभापति महोदया, जो भी समय है उसमें यह बिल पास हो जावेगा। बाकी अमेन्डमेंट्स हैं उन पर कोई बहस नहीं होगी।

श्री मुकटबिहारी लाल गोयल : मैं बहुत जल्द समाप्त कर दूंगा।

श्रीमती सभानेत्री : आप ४ मिनट में समाप्त कर दें।

दूसरा बिल भी लेना है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : सभापति महोदया, इसके लिये पहले व्यवस्था दे दी गई है कि इसको कल लिया जावेगा।

श्रीमती सभानेत्री : इसकी व्यवस्था नहीं दी गई है।

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल : सिर्फ ५ मिनट।

सभापति महोदया, इस प्रस्तुत विधेयक पर इस वक्त जो विचार सदन के समक्ष रखे गये हैं इस बिल को सिलेक्ट कमेटी को रेफर कर दिया जावे। मैं इसका समर्थन करने के लिये आपके समक्ष खड़ा हुआ हूं। इस सम्बन्ध में काफी आरोप प्रत्यारोप लगाये गये उसकी औचित्य और अनौचित्य पर काफी बातें कही गई। यह कह सकते हैं कि यह बिल लेजिस्लेशन कोम्पीटेन्स के बाहर है इसमें दो राय हो सकती हैं। यह गवर्नमेंट का अधिकार है कि एक बार गवर्नर की सेंक्शन लेने के बाद वह समक्ष है कि आर्डिनेन्स जारी कर दे। मैं इन तमाम बातों में नहीं जाऊंगा। मुझे एक शेर इस सम्बन्ध में याद आ गया।

"न सीरत बुरी है न सूरत बुरी है।
बुरा है वह जिसकी नीयत बुरी है।"

इस सदन में नीयत पर हमला किया गया है और यहां पर यह बात कही गई है कि इस आर्डिनेन्स को जारी करने के पीछे ट्रेजरी बैंच की नीयत ठीक नहीं रही। मैं समझता हूं कि यह बात अपने आप में ऐसी बात है जो हमारे सामने चिन्ता के रूप में सामने आई। इसके अलावा कितनी बातें और कही गई उनके बारे में मैं नहीं कहूंगा। यह हो सकता है कि दक्षता की कमी हो केलकुलेशन ठीक नहीं हुआ हो। लेकिन आज प्रश्न नीयत का है। उसके एक तरफ भुवनेश्वर की याद गार में जो पत्रिका निकाली गई, उसके एक एक पेज के एडवर्टाइजमेंट के ५०–५० हजार ७०-७० हजार रुपये लेकर कांग्रेस अधिवेशन के नाम पर लाखों रुपयों का सौदा किया और दूसरी तरफ उनको राहत देने के लिये इस प्रकार की छूट देना और रुपया उधार लेना इस तरह कांग्रेस अधिवेशन के नाम पर लाखों रुपये लिये गये।

दूसरी ये तमाम चीजें जो सदन के सामने आती हैं, यदि ये चर्चा का विषय बन जाती हैं तो इसके लिये मैं सुझाव देना चाहूंगा कि हमारे प्रभारी मंत्री ने इस बात को स्वीकार किया है कि इस बात के लिये कमेटी मुकर्रर की जाय। मैं पुरजोर शब्दों में यह सुझाव रखूंगा कि इस मामले की जांच के लिये कमेटी मुकर्रर की जाय।

श्री परसराम मदेरणा (उप-मन्त्री) : कमेटी मुकर्रर करने का मैंने कभी नहीं कहा, मैंने तो यह कहा था कि ऐसे छोटे छोटे मुद्दों पर कमेटी बनाने की बात हम स्वीकार नहीं करेंगे।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : आपने छोटे छोटे मुद्दों के लिये कहा था पर यह मुद्दा तो बहुत बड़ा है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : जस्टिस के लिये एक सेंटेन्स कहा है 'Justice should not only be done but it should also seem being done.' आपको चरित्र ऊंचा बनाना चाहिये। उदात्त भावनाओं के साथ आप अपने हाव भावों से यह प्रदर्शित कर दें कि इतने लांछन आप पर लगाये जा रहे हैं तो क्यों नहीं सदन के माननीय सदस्यों की एक कमेटी मुकर्रर करके इनके बारे में जांच करवा लेते।

सैनिकों को राहत देने के लिये कहा गया है, यह बड़ी अच्छी बात है, पर इसके बहाने टैक्स इवेज़न की कार्यवाहियां की जायेंगी....

(समय-समाप्ति सूचक घण्टी)

यह मुद्दे की बात है ...

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य-मंत्री) : बाकी बातें मुद्दे की नहीं थी ?

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : कौन सैनिक है, कौन सैनिक नहीं है, कितने सैनिक आये, कितने नहीं, इसका प्रोपर अकाउन्ट रखा जाय, नहीं तो मैनेजर्स टैक्स का इवेज़न करेंगे। इसलिये इसमें यह फिकरा बढ़ा दिया जाय :

"As may be prescribed."

इन्हीं शब्दों के साथ मैं निवेदन करूंगा कि तीन-चार दिन के लिये इस बिल को एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

श्री नाथूलाल करौल (चाकसू): माननीय सभापति महोदया, मनोरंजन तथा विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव सिलेक्ट कमेटी को रेफर किया जाने का आया है मैं उस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। इस सशोधन विधेयक में जो मनोरंजन और विज्ञापन कर में कमी करने की बात रखी गई है इसका मैं विरोध करता हूं। लैंड रेवेन्यू सरचार्ज में कमी करने के लिये यदि कोई बिल लाया जाता तो हम उसका स्वागत करते। ७० प्रतिशत काश्तकार लैंड रेवेन्यू सरचार्ज से जकड़े हुए हैं, हमारे राजस्थान मे दोनों फसलें इस साल भी खराब हो गई हैं, रबी और खरीफ की दोनों फसलें खराब हो गई है और इन फसलों के खराब होने से हम काश्तकार लोग बर्बाद हो गये हैं, फिर भी लैंड रेवेन्यू सरचार्ज जो हम पर सरकार द्वारा थोपा गया था वह आज हम पर जारी है। इस सरचार्ज को ऐसी परिस्थितियों में हटाने के लिए यदि सरकार कोई बिल लाती तो हम उसका स्वागत करते। पर ऐसा संशोधन बिल न ला कर सरकार केवल दो चार प्रतिशत पूंजीपति हैं उनके लिए सरकार ऑर्डिनेन्स जारी करती है और हम जो ७० प्रतिशत काश्तकार हैं उनको राहत देने के लिये कोई इस प्रकार का बिल नहीं लाती है, यह सरकार की बड़ी अजीब नीति का प्रमाण

(श्री नाथूलाल करौल)

है। आज राजस्थान के किसानों की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, लोग त्राहि त्राहि मचा रहे हैं, उनके लिये आज सरकार कुछ नहीं करती। मैं सरकार से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि इस लैंड रेवेन्यू सरचार्ज के लिए सदन में अमेंडमेंट बिल लाया जाय जिसके द्वारा इस कर को दर कम की याये या इस साल के लिए इस कर को बिलकुल हटा दिया जाय, जो राजस्व अधिभार है उसे इस साल के लिए खत्म कर दिया जाय। वरना काश्तकार बर्बाद हो जायेंगे, खत्म हो जायेंगे। मेरा इतना ही निवेदन है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : सभापति महोदया ....

श्रीमती सभानेत्री : भगराज जो दो मिनिट बोल लें।

श्री भगराज चौधरी (रानीवाड़ा) : माननीय सभानेत्री जी, राजस्थान मनोरंजन तथा विज्ञापन (संशोधन) विधेयक विचारार्थ हमारे सामने प्रस्तुत है, इससे पूर्व राज्यपाल महोदय द्वारा ऑर्डिनेन्स के जरिये इस सदन द्वारा दो महीने पहले टैक्स लगाये गये थे उनको कम किया गया।

इस बिल के सम्बन्ध में वैधानिकता का सवाल आर्टिकल २१३ के अन्तर्गत किया गया है। उसमें लिखा हुआ है कि जो बिल सदन के सामने आता है, जिस पर सदन विचार करने के बाद सहमति देता है और वह एक कानून बन जाता है, उसके बाद उस पर गवर्नर महोदय की अनुमति हो जाती है, गवर्नर की अनुमति के बाद प्रेसिडेन्ट की अनुमति हो जाती है, उसके बाद वह सारे प्रदेश पर लागू होता है। इस प्रकार यह राजस्थान मनोरंन तथा विज्ञापन कानून चार, पांच महीने तक राजस्थान में फोर्स में रहा और ऐसी कोई स्थिति पैदा नहीं हो गई थी कि जिसके कारण राजस्थान सरकार ने, राज्यपाल महोदय ने यह जरूरी समझ लिया हो कि इस टैक्स के हटाये बिना हमारे प्रदेश की स्थिति बिगड़ जायगी। तो ऐसी स्थिति में मेरे ख्याल में इस संवैधानिक प्रोविजन का दुरुपयोग किया गया है। जिस बिल को सदन में विचार करने के बाद एक्ट बना दिया, जिस पर गवर्नर महोदय ने मंजूरी दे दी और उसके बाद प्रेसिडेन्ट महोदय ने मंजूरी दे दी और चार-पांच महीने यहां फोर्स में रहा तो यह फाइनेंशियल मेटर में आता है। जो फाइनेन्शियल मेटर का कानून है उसमें परिवर्तन का कोई भी अमेंडमेंट बिल फाइनेन्शियल मेटर में आता है और उसको लाने के लिए प्रेसिडेन्ट की अनुमति लिया जाना जरूरी है। जिस चीज को सदन ने विचार करके स्वीकार कर लिया उसके लिये सरकार चाहे कि हम हटा दें, यह एक बहुत बेजा बात है यह सदन की प्रतिष्ठा के खिलाफ है, संविधान ने सदन को जो पावर्स दिये हैं, उसका हनन है। इस प्रकार का बिल लाकर सरकार ने सदन के पावर्स का हनन किया है, सदन की डिग्निटी को सरकार ने गिराया है और एक हाई हडेडनैस की है। यदि सरकार कोई इस प्रकार का संशोधन बिल लाती जिसमें यह कहती कि धासमारी नहीं लगायें, सरचार्ज लैंड रेवेन्यू पर किसानो से नहीं लिया जाय

(श्री भगराज चौधरी)

तो वह बात समझ में आ सकती थी। हमारी दोनों फसलें बरबाद होगई हैं, तबतो कह दिया कि हमने पानी और चारे की व्यवस्था कर दी है और यह कह कर जनताको. कान्फिडेंन्समें लेना चाहते हैं। जो पूंजीवादी लोग हैं, जो हमेशा से सरकार के खिलाफ हैं, जो केवल ५ प्रतिशत हैं, उनके लिये सरकार इतनी उदार होकर सोचती है कि इन पर बहुत ज्यादा बोझा पड़ गया है, उसको हटाना है और उसके लिये यहां यह बिल लाया गया है, यह बहुत ही अनैतिक बात है, सदन ने कानून बना दिया तो बिना सदन की मंजूरी के कैसे उसे हटाने का बिल लाया जा सकता है, इस प्रकार का बिल लाना इल्लीगल है, अन्कान्स्टीट्यूशनल है, अल्ट्रा वायर्स है और बियोन्ड पावर्स है।

इस लीगल चीज को आगे बढावें तो मेरे खयाल से सदन ने जिस टैक्स को लगा दिया तो ऑर्डिनेन्स के जरिये उस टैक्स को बिना सदन की मंजूरी के हटा दिया है, यह बहुत ही बेजां बात है, इसकी सारी जिम्मेदारी मन्त्री मण्डल पर है, सरकार पर है। जहां तक राजस्थान के एक्स्चेकर का सवाल है, सरकार ने यह मिस्एप्रोप्रियेशन किया है, मिस्चिवियस तरीके से राज्य को घाटा पहुंचाया है। यह एक वैधानिक प्रश्न है. राज्यपाल महोदय को कोई अधिकार नहीं कि सदन ने जो कानून बना दिया, उसको बिना सदन की मंजूरी के ४ महीने बाद बदल दें। इससे जनतन्त्र तो खत्म होगा ही स्टेट के लिये भी बहुत बुरा हुआ है।

अन्त में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसी कोई स्थिति पैदा नहीं हो गई थी कि मनोरंजन तथा विज्ञापन कर दाताओं पर बहुत अधिक बोझा पड़ता हो और इस टैक्स को हटा दिया जाय। इसलिये इस पर पुनः विचार करने के लिये इसे सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाय और सिलेक्ट कमेटी के सामने इस तरह के आंकड़े रखे जांय कि इससे कितना फायदा हुआ, इस ऑर्डिनेन्स के जारी करने मे कितना घाटा हुआ और किन कारणों से इसे हटाया गया। यह सारे आंकड़े सिलेक्ट कमेटी के सामने रखे जांय। जब तक यह आंकड़े सदन के सामने, या कमेटी के सामने नहीं आयें तब तक हम इस स्थिति पर नहीं पहुंच सकते कि कर दाताओं पर बहुत बोझा पड़ गया था इसलिये इसे हटाया जा रहा है।

इस बिल को गंभीरता से विचार करने के लिए सिलेक्ट कमेटी को रिफर कर दिया जाय। जो सदस्य ज्यादा रुचि रखते हों उनकी कमेटी बनायी जाय और उनके सामने सारे आंकड़े पेश हों।

(समय-सामाप्ति सूचक-घन्टी)

तो मैं इस अमेंडिंग बिल का पूर्ण विरोध करता हूं।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : जो विधेयक सदन के सामने विचारार्थ है वह आध्यादेश के रूप में आज से पूर्व लागू हो चुका है। इस बिल की भूमिका के लिए हमें थोड़ा विचार करना पड़ेगा कि हमारी सरकार ने ये टैक्स प्रपोजल्स किस स्थिति में रखे थे।

(श्री घेरोसिंह)

१६६३-६४ का माननीय वित्त मन्त्री महोदय का जो बजट भाषण है उसमें वित्त मन्त्री की तरफ से इस सदन के द्वारा राजस्थान के समस्त जनता को अपील की गई कि राजस्थान के सामने एक बहुत बड़ा संकट है और इस संकट से पार निकलने के लिए हमें अपनी कमर कसनी पड़ेगी। वित्त मन्त्रीजी ने टैक्स प्रोपोजल्स को सदन में रखते हुए यह भी बताया था कि राजस्थान सरकार ने टैक्स प्रोपोजल्स पर गम्भीरता से विचार किया है और उसकी यह मान्यता है कि जो प्रोपोजल्स हैं वे काफी सीमा तक लिबरल हैं और उस स्थिति के अन्दर हमारे प्रोपोजल्स अनुमान के अनुसार पूरे उतरेंगें। ६ तारीख को माननीय वित्त मन्त्री ने अपना बजट भाषण दिया। बजट में जो टैक्स प्रोपोजल्स होते हैं वे बजट भाषण से ही कानूनी रूप में स्वीकार कर लेते हैं। बजट के ऊपर जिस समय वादविवाद होता है तो सदन उन सारे प्रश्नों पर गंभीरता से विचार करता है और विचार करने के पश्चात् सरकार कुछ निर्णय भी लेती है। उस निर्णय के अनुसार यदि टैक्स प्रोपोजल्स में कोई परिवर्तन या परिवर्द्धन करने की आवश्यकता हो तो सरकार उस प्रकार का परिवर्तन करके सदन को उसकी जानकारी देती है। पिछले बजट अधिवेशन में सरचार्ज के इशू को लेकर सदन के माननीय सदस्यों ने सरकार से निवेदन किया था कि ये टैक्सेज बहुत भारी हैं, जनता इनका स्वागत नहीं करती, उनकी आर्थिक स्थिति खराब होगी। सरकार ने उस समय कुछ परिवर्तन किया। लोकतन्त्र व्यवस्था में सरकार बहुमत के आधार पर चलती है और उसका जो मत होता है उसको सब स्वीकार करते हैं। लेकिन इसमें एक व्यवस्था भी है कि टैक्स जैसे प्रोपोजल्स पर सरकार कुछ आर्बीट्रेरी चीज न कर पाए। इसकी रोकथाम यदि कानूनों से, संविधान से नहीं होगी तो उसके लिए कुछ कन्वेन्शन्स डेवलप करते हैं। यदि इस संबंध में हिन्दुस्तान की पार्लियामेंट और बाकी की विधान सभाओं के इतिहास को देखेंगे, जो परम्पराएं डेवलप की गई हैं उनको देखें तो आपको एक जानकारी मिलेगी कि बजट स्पीच के बाद जिस समय तक फाइनेंस बिल पास नहीं होता है, वित्त मंत्री अपनी सरकार के परामर्श से टैक्सेज में किसी प्रकार का हेरफेर करते हैं, करते रहे हैं। लेकिन एक बार टैक्सेज इम्पोज करने के बाद यदि उस टैक्स में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाता है तो वह परिवर्तन लोकतांत्रिक दृष्टि से उचित नहीं होगा इसलिये कि बजट के रिवेन्यू और एक्सपेंडीचर साइड इस प्रकार के टैक्सेज की आमदनी पर निर्भर करते हैं।

आज यह मसला छोटा हो सकता है लेकिन कोई मसला बड़ा भी हो सकता है और बड़े मसले की जिम्मेदारी सरकार पर अवश्य होती है लेकिन उस जिम्मेदारी का प्रभाव न केवल सरकार पर ही पड़ता है बल्कि जनता पर भी पड़ता है, जनता के बजट पर पड़ता है और उसी के आधार पर बाकी जितने धन्धे हैं उन सब पर प्रभाव पड़ता है। माननीय वित्त मन्त्री को ध्यान होगा कि जिस समय इस फाइनेन्स बिल के ऊपर ४ अप्रेल को इस सदन में बहस हो रही थी तब कई माननीय सदस्यों

(श्री भैरोंसिंह)

ने सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था कि जितने टैक्सेज़ हैवी होंगे उतनी सरकार की आमदनी कम होगी और पर्टीक्यूलरली इस टैक्स को लेकर मावली से आने वाले माननीय सदस्य ने उसका पूरा विश्लेषण करके सरकार के सामने यह तस्वीर रखी कि आप जो हैवी टैक्सेज़ लाना चाहते हैं इससे आपकी आमदनी नहीं होगी। वित्त मंत्री जी का उस समय का भाषण यदि पढ़ा जाय तो उन्होंने कहा था कि इस समय हम संकट में हैं, इसके निराकरण के लिए और आर्थिक स्थिति को साऊण्ड बनाने के लिए टैक्सेज को कम करने की बात नहीं आनी चाहिये। मैं उन्हीं के शब्दों को दुहराना चाहता हूं। ४ अप्रेल को यह बहस हुई। इस बीच मे सिनेमा ओनर्स और एडवरटाइज़िंग कंपनीज़ के प्रतिनिधियों ने सरकार को एक मेमोरेण्डम दिया और सरकार से निवेदन किया कि इस मेमोरंडम में हमने जो डिफिकल्टीज एनन्शीएट की हैं उनके कारण हमारे लिए संभव नहीं होगा कि हम स्लाइड्स और फिल्म के द्वारा एडवरटाइजमेंट्स का डिस्प्ले कर सकें। सरकार ने उनकी दिक्कतों को सुना। सुनने के बाद मैंने कहा कि हम इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन करने को तैयार नहीं हैं। फाइनेंस बिल पास हो गया। उसके बाद फिर उन लोगों ने सरकार के प्रतिनिधियों से बातचीत की और मुझे जानकारी है, उनके इस मेमोरंडम पर कैबीनेट के अन्दर डिस्कशन हुआ और कैबीनेट ने डिस्कशन्स के बाद यह तय किया। २० सितम्बर को हमारा अधिवेशन खतम हुआ। २० सितम्बर तक, मैं सरकार को दावे के साथ कहता हूं, इस टैक्स के द्वारा जितनी आमदनी उनकी अनुमानित थी उस आमदनी का पांच प्रतिशत भी वसूल नहीं हुआ। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि जब आप यह क्लेम करते हैं कि हम राजस्थान के फाइनेन्सेज की सबसे ज्यादा चिन्ता करते हैं, तो मैं वित मन्त्रीजी से पूछता हूं कि जो आपके पास इन्टैक्स के मन्थली रिटर्न्स आते है उनमें सिवा निल के जब कुछ नहीं मिला तो आपने इस पोइंट को कन्सीडर करने में देरी क्यों की? आप सितम्बर मे विधान सभा के सामने एक अमेंडिंग बिल ला सकते थे। अब प्रश्न पैदा होता है कि २० सितम्बर को विधान सभा का सेशन स्थगित होता है। १० अक्तूबर को हाऊस को प्रोरोग करने के लिए सरकारको आज्ञा निकलती है और २०अक्तूबरको सरकार ऑर्डिनेन्स इशू करतीहै। हमारे सामने प्रश्न आता है कि २० सितम्बर तक सरकार विज़ीलेन्ट नहीं थी इस टैक्स की इन्कम के बारे में। सरकार को जानकारी थी और उसके बाद में भी कागजों को दबाकर बैठी रही। उस सरकार को कौनसा इलम हो गया कि २० सितम्बर से २० अक्तूबर तक सरकार ने महसूस किया कि टैक्स में रिलेक्सैशन करना चाहिए। यह देववाणी २० सितम्बर से पहले क्यों नहीं आई? सरकार ने विचार नहीं किया। इस सारी कार्यवाही से बदबू आती है।

हम नहीं चाहते कि आप पर किसी प्रकार का लांछन लगायें। हम यह भी नहीं चाहते कि हमारे मन्त्री इस प्रकार के लांछन के लिए

(श्री भैरोंसिंह)

तैयार रहें। लेकिन जो चीजें शंका पैदा करती हैं, जिन चीजों में बदबू आती है, उन चीजों को प्रकट न किया जाय, हम ऐसा समझते हैं कि उनको ज्यादा फैलाने का प्रयास इस सरकार के द्वारा होगा। आप यह कह सकते हैं कि कांग्रेस का अधिवेशन और यह ऑर्डिनेन्स दोनों एक प्रकार का कोइन्सीडेन्स है। जब कोइन्सिडेन्स हो गया तो मैं समझता हूं कि आपको भी जनता की भावना की कद्र करने के लिये यह बदबू उसी समय आ रही थी और आप भी यही समझ रहे थे कि यदि यह ऑर्डिनेन्स जारी किया तो जो हमने दावतें खायी वह बोलेंगी, जो चन्दा लिया हमने वह बोलेगा। आपने मजबूर होकर ऑर्डिनेन्स इश्यू किया हो, आपने अपनी इच्छा से ऑर्डिनेन्स इश्यू न किया हो। लेकिन यह जानकारी हो जाने के बाद कि इस ऑर्डिनेन्स को लागू करने से जनता हमारा क्रिटिसिज्म करेगी, हम जनता के द्वारा अपना क्रिटिसिज्म होने देने के लिए उसको इन्वाइट करने की कार्यवाही कर रहे हैं यह ऑर्डिनेन्स फिर भी आपने लागू किया। क्रिटिसिज्म का इन्वीटेशन आपके लिए लाज़मी हो गया, आपको मजबूर हो कर ऑर्डिनेन्स करना मंजूर करना पड़ा, जनता द्वारा क्रिटिसिज्म हो उसकी आपने कोई परवाह नहीं की, किसी प्रकार आपको परेशान करे उसकी भी आपने कोई आवश्यकता नहीं समझी। आपने कोई परवाह नहीं की। आप जो उनको रिलीफ दे सकते थे, देकर एक राजनैतिक लाभ उठाना चाहते थे वह आपने उठाने की कोशिश की।

मैं यह भी स्थिति बता दूं कि राजस्थान के सिनेमा मालिकों को जो एडवर्टाइजमेन्ट डिस्प्ले करते हैं उनको कोई हानि होती है। मामूली हानि होती है। एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज के सोल एजेन्ट्स कमीशन बेसिस पर होते हैं। हिन्दुस्तान की बड़ी बड़ी कम्पनियां हैं। राजस्थान में सिनेमा सर्विस एडवर्टाइजमेंट एण्ड स्लाइड सर्विस के लिए उसके द्वारा सारे के सारे एजेन्ट्स मुकर्रर किये हुए होते हैं। जो फर्म्स एडवर्टाइज़ कराती है और जो एक्चुअली डिस्प्ले करते हैं उनके बीच में जो मिडिल मेन का काम करते हैं वे सोल एजेन्ट्स होते हैं और उनको उन बड़ी बड़ी फर्म्स की ओर से कमीशन मिलता है। यदि आप टैक्स रिलेक्स नहीं करते हैं तो बीच की मशीनरी जो है एडवर्टाइज कराने की उसको हानि नहीं होती है। हानि तो होती है उन बड़ी बड़ी कम्पनियों को। उनको हानि होती है जो सारों को काबू करती है। उसके रिप्रेजेन्टेटिव्ज़ आपसे मिले थे। उनके रिप्रेजेन्टेटिव्ज़ मुझ से भी मिले थे। मैं दावे के साथ कह सकता हुं कि सितम्बर के महीने में जब विधान सभा चल रही थी तो उनके रिप्रेजेन्टेटिव्ज़ वहां आये, उन्होंने सरकार से बात की। उन्होंने मुझ से भी बात की। मैंने कहा कि टैक्स कम नहीं हो सकता। किसी हालत में कम नहीं हो सकता। हमारी सरकार इस प्रकार टैक्स कम करने का अदूरदर्शितापूर्ण काम नही कर सकती है। ऐसा भी काम सरकार नहीं कर सकती है जिससे बजट की सैंक्टिटी को, टैक्स के प्रोपोजल्स की सैंक्टिटी को आघात पहुंचे। मैं समझता हुं, इस संघर्ष में उनकी जीत हुई। हमारी हार हुई। हमने विश्वास किया

(श्री भैरोंसिंह)

था. राजस्थान के वित्त मन्त्री पर, हमने विश्वास किया बजट की सैंक्टिटी का, हमने विश्वास किया टैक्स प्रोपोज़ल्स की सैंक्टिटी का, हमने विश्वास किया विधान सभा की कार्यवाही का और विधान सभा की कार्यवाही की पवित्रता को लेकर हमने उनके रिप्रेजेन्टेटिव्ज़ को यह चैलेन्ज किया था कि टैक्स की दरें कम नहीं हो सकतीं सरकार इस प्रकार का अदूरदर्शितापूर्ण कदम नहीं उठा सकती, लेकिन सरकार की अदूरदर्शिता के कारण सारा का सारा चैलेन्ज जनता के सामने इस रूप में रखा गया। मैं वित्त मन्त्री से पूछना चाहता हूं कि आज कहते हैं कि प्रोपोज़ल्स हुए, ऑर्डिनेन्स इश्यू करने से पहले २० हजार की आमदनी हुई, मैं पूछना चाहता हूं कि जब आपकी इनकम गिरती जा रही है तो इस प्रकार टैक्स में रिलेक्सेशन करते हैं तो राजस्थान सरकार को घाटा होता है या नहीं? राजस्थान सरकार जो टैक्स आने वाला है और जिसके लिए आंका गया था उसमें घाटा होता है या नहीं? सरकार उस आमदनी से वंचित रही तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? आप कहते हैं कि हम जिम्मेदार नहीं। ये प्रोपोज़ल्स नहीं हुए? विधान सभा में आप कहदें कि शराब की दूकानों का डिकन्ट्रोल होगा और इस नयी व्यवस्था से सरकार का कोई नुकसान नहीं होगा लेकिन उसके १५ दिन बाद ही डिकन्ट्रोल का कन्ट्रोल कर लिया। इस सम्बन्ध में मैं समय आने पर ही बताऊंगा।

वित्त मन्त्री ने यहां बजट के प्रोपोज़ल्स की घोषणा की, टैक्सेशन की घोषणा की थी लेकिन जिस घोषणा के पीछे कोई बैकग्राउन्ड न हो, जिस घोषणा की कोई सैन्क्टिटी न हो तो जनता उसका किस प्रकार से स्वागत करेगी। मेरा पहला चार्ज तो गवर्नमेन्ट पर है, सारी गवर्नमेन्ट के सामने नालेज में आने के बाद, सारे प्रोपोज़ल्स जो टैक्सेशन के रखे गये वे पूरे नहीं हुए, जब पूरे नहीं हुए तो क्यों नहीं बजट सेशन में उनमें परिवर्तन किया गया? ट्रायल के रूप में टैक्सेशन को देखना चाहते थे तो गत अगस्त में जो सेशन हुआ उसमें आप ये प्रोपोज़ल्स क्यों नहीं लाये? क्यों लाखों रुपयों का घाटा होने दिया? लाखों रुपयों का घाटा किया। राजस्थान के वित्त मन्त्री ही नहीं, मैं तो कहूंगा कि राजस्थान का सारा मन्त्रिमण्डल इसके लिए दोषी है। किसी दूसरे को दोषी नहीं समझता आज स्थिति यह है कि पोलिटिकल एडवान्टेज किस प्रकार उठाया जाय। समय पर रिलेक्सेशन न करने मे चाहे कितना ही घाटा सरकार को क्यों न हो। इसकी परवाह नहीं। आप यह बतायेंगे कि एक लाख के टैक्सेज़ वसूल नहीं किये। आप यह भी बतायेंगे कि अब चार महीने में १ लाख के टैक्सेज़ मिलेंगे। लेकिन पिछले ६ महीने में रिलेक्स नहीं किया और जो आमदनी हो सकती थी उसको क्यों नहीं किया? आप चाहते तो कर सकते थे।

एक फन्डामेन्टल क्वेश्चन है और वह यह है कि टैक्स के प्रोपोज़ल्स आने के बाद, विधान सभा द्वारा स्वीकार करने के बाद, गवर्नर के स्वीकार कर लेने के बाद और बजट में एडजस्टमेन्ट होने के बाद क्या सर-

(श्री भैरोंसिंह)

कार इस स्थिति में आना चाहती है कि वह टैक्सेज के प्रोपोजल्स को कम करके एक परम्परा का निर्माण कर दे कि जिन पर टैक्स लगाया गया है जिन पर टैक्स लगाते हैं वह व्यक्ति स्ट्राइक करदें. इस सेन्स में स्ट्राइक करदें कि मैं टैक्स नहीं देता, इस सेन्स में स्ट्राइक कर दें कि सरकार की आमदनी होती है उसमें नया पैसा एडीशन न हो. क्या सरकार ऐसी स्ट्राइक के सामने ईल्ड होना चाहती है ? यदि सरकार ऐसी स्ट्राइक के सामने ईल्ड करती है एट दी कौस्ट ऑफ बजट सैंक्टिटी तो उसके परिणाम भयंकर होंगे। सरकार जब भी टैक्स लगाये जनता खड़ी होकर कहेगी कि बजट जाये कहीं, हमें उसकी चिन्ता नहीं। सरकार का बजट एक्सपेन्डीचर कोई हो हमें उसकी चिन्ता नहीं। जनता खडी होकर कहेगी कि हम कोई टैक्स नहीं देंगे। हम तो टैक्स कम्पेन चालू करेंगे। जनता आपको मजबूर कर देगी और कहेगी कि हम टैक्स नहीं चुकायेंगे। किसान जगह जगह संघर्ष कर रहे हैं सरकार विचार नहीं कर रही है। स्टूडेन्ट्स ट्यूशन फीस कम करनेके लिये संघर्ष कर रहे हैं सरकार विचार नहीं कर रही है। बेटरमेंट लेवी नहीं देने के लिए संघर्ष हो रहे हैं सरकार उन पर विचार नहीं कर रही है। ये सिनेमा मालिक कौन हैं जिनका सरकार विचार करती है ? ये पूंजीपति हैं। पूंजिपतियों के इशारे पर आज सरकार चलती है। चाहे कितनी ही समाजवादी व्यवस्था कायम करने की बातें कहें, वे तो केवल आप कागजों में बताने की चेष्टा कर रहे हैं। असल में कांग्रेस के राज्य में पूंजीवाद पनप रहा है और सरकार उनकी शिकार हो रही है। फिल्म के एडवरटाइजर्स के द्वारा स्ट्राइक हो, सरकार इतनी झुक जाय। राजनैतिक कारणों के बिना झुक नहीं सकती। सरकार ने पहले ही क्यों नहीं सोचा ? क्यों उनको स्ट्राइक करने का मौका दिया ? राजस्थान को जो घाटा हुआ है उसके लिए कौन जिम्मेदार है ? आवश्यक रूप में इन प्रश्नों का उत्तर देना चाहिये।

जहां तक ऑर्डिनेन्स इश्यू करने का सेन्स है मैं इसको गलत मानता हूं। इस सेन्स में कि आप एक महीने के अन्दर ही यह ऑर्डिनेन्स ले आये। २० सितम्बरको विधान सभा समाप्त होती है, १० अक्टूबर को विधानसभा प्रोरोग होती है और २०अक्टूबर को आप यह ऑर्डिनेन्स ले आते हैं। आपने इसको लाने का २० सितम्बर तक विचार नहीं किया, क्या परिवर्तन किया जाय यह भी आपने विचार नहीं किया। जो टैक्सेशन के स्टेटमेन्ट आते रहे उनकी ओर आप आंखें मूंदते रहे। जानबूझ कर यदि आप इस ओर अनभिज्ञ रहे तो यह अक्षम्य है। यदि आपने वैसे ही विचार नही किया तो यह अदूरदर्शिता है। आपने सरकुलर निकाला होगा कि कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है इस लिए हमें इसमें सहयोग दिया जाय। उन लोगों ने, जिनके रिप्रेजेन्टेशन पर टैक्स आपने कम किया, सोचा कि इस सरकुलर की लाइट में जाकर बात करें। मौके का उन्होंने फायदा उठाया। मैं चन्दे का जिक्र नहीं करता। जो दावतें आयीं उनका भी मैं जिक्र नहीं करता। आज कोई ३५०-४०० आदमियों की इस तरह की दावत नहीं दे सकता। किसी व्यक्ति से इस प्रकार बिना किसी कारण के दावतों की आशा नहीं की जा सकती। लेकिन पोलिटिकल पार्टी

(श्री भैरोंसिंह)

को किसी संस्था के नाम कोई खाना देता है जिसमें खर्चा कम से कम पांच हजार का हो. क्या ग्राप यह मानते हैं कि कोई ग्रादमी ऐसा पागल है कि ग्रापके स्वागत में बिना काम के, बगैर किसी ग्राशा के खर्च कर दे ग्रौर किसी रिटर्न की ग्रावश्यकता न समझे ?

वह बिज़ीनेसमैन का इनवेस्टमेन्ट है। गवर्नमेंट को किस प्रकार से करप्ट किया जा सकता है वे ग्रच्छी तरह से जानते हैं गवर्नमेंट करप्ट है यह मैं नहीं कहता लेकिन इससे ऐसी बात जरूर झलकती है जिसके द्वारा गवर्नमेंट को करप्ट किया गया हो। कांग्रेस ग्रधिवेशन के समय इनका सहयोग सरकार लेना चाहे यह सरकार के सामने टेम्पटेशन था। उस टेम्पटेशन के कारण ६ महीनें की नींद से ग्रांखें खोलकर सातवें महिने में रिलेक्सेशन का ग्रॉर्डिनेन्स इश्यु कर दिया गया। पैसा लिया गया या नहीं इसके बारे में जब कमेटी इन्क्वायरी करेगी उस समय यह प्रश्न ग्रायगा। यह सही है कि ग्रापकी ग्रांखें खोलने वाले वे लोग हैं सरकार को करप्ट करके ग्रपना इनवेस्टमेन्ट करना चाहते हैं। उनके मुकाबले सरकार कहना चाहे कि करप्ट ऐजेंसीज को एनकरेज मत करो डिसकरेज करो। ग्रगर ग्राप इस तरह से किसी के द्वारा टेम्पटेशन देने पर टैक्स को छोड़ दें या कमी करदें तो यह तो हमेशा होता रहेगा। ग्राप यदि किसी के स्ट्राइक करने पर टैक्स के प्रोपोजल्स को विथड्रा कर लेते हैं तो यह टैक्स पेयर को टैक्स में छूट कराने का रास्ता देते हैं। हम टैक्स में कमी की गई है उसके विरोध में हों यह बात नहीं हैं। लेकिन कमी ग्रापको उस समय करनी चाहिए थी जिस समय हमने मांग की थी। हमारी तो ग्रब भी शिकायत है कि ग्रापने टैक्स में कमी जो की है वह देरी से की है। जब विधान सभा का सेशन चल रहा था, बजट प्रोपोल्जस सामने ग्राये बजट मैमोरेन्डम सामने ग्राये उस समय सारी डिफिकल्टी ग्रापको बतानी चाहिये थी। ग्राज सात महिने के बाद टैक्स में कमी की जाती है इसके लिए वित्त मन्त्री नाराज होंगे, ट्रेजरी बेन्चेज पर बैठने वाले नाराज होंगे यह जो बदबू है न तो सनलाइट साबुन से, न लक्स से ग्रौर न हमाम से ही साफ हो सकती है। यह तो कार्यप्रणाली से साफ होगी जिसमें ग्राप ग्राज तक ग्रसफल हुए है। यह स्पष्ट है कि ग्राप इसको बहुमत के जरिये पास करेंगे लेकिन मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि बजट ग्रधिवेशन के समय टैक्सेज के जो प्रोपोजल्स ग्राते हैं सरकार यदि उनमें किसी प्रकार का परिवर्तन करना चाहती है तो फाइनेन्स बिल जब पास होता है उस समय तक सरकार ग्रपनी कन्सीडर्ड ग्रोपीनियन तैयार करके हेरफेर कर दे। उसके बाद प्रोपोजल्स में किसी प्रकार का हेरफेर किया जाता है तो मैं ग्रापके ग्रधिकार को चुनौती देना नहीं चाहता लेकिन वे सदन के सामने प्रस्तुत किये जाने चाहिये। मैं इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री महोदय से केटेगोरिकली एश्योरेन्स चाहता हूं कि ग्रॉर्डिनेन्स की जो पद्धति बनायी है टैक्सेज के बारे में वह बहुत घातक है, इसलिए घातक है कि ग्राप टैक्सेज में जहां भी परिवर्तन करते हैं उसका ग्रसर

(श्री भैरोंसिंह)

राजस्थान के पूरे बजट पर पड़ता है, राजस्थान की सम्पूर्ण जनता पर पड़ता है। आपको इसके लिये जनता के प्रतिनिधियों को कॉफीडेन्स में लेना चाहिये। आज तो आपने टैक्स में कमी की है कल के दिन आप टैक्सेज बढ़ा भी सकते हैं और उसके लिये ऑर्डिनेन्स लागू कर सकते हैं इसलिये यह जो कम और ज्यादा करने का सवाल है विचारणीय है। आपने जो कमी इस टैक्स में की है उसका हम स्वागत करते हैं। हो सकता है आप इसी तरह से ऑर्डिनेन्स के जरिये नये टैक्स भी इम्पोज कर सकते हैं। आप उसमें कह सकते हैं कि राजस्थान की वित्तीय स्थिति खराब होती जा रही है इसलिये हमने नया टैक्स इम्पोज किया। तो ऐसी हालत में मेरा यह निवेदन है कि टैक्स की बढ़ोतरी का सवाल हो या घटाने का सवाल हो उसके लिये सरकार ऑर्डिनेन्स का प्रयोग न करे। इस प्रकार का आश्वासन सरकार दे कि आयन्दा इस प्रकार का कार्य नहीं होगा। इसके अलावा सरकार को अब तक घाटा रहा इसका जिम्मेदार कौन है? इस जिम्मेदारी को प्रगट करने के लिये यह बहुत आवश्यक है कि इसबिल को सलेक्ट कमेटी में भेजा जाय, वह इस लिये कि कई बातें ऐसी गुप्त होती हैं जो सदन मे नही कही जा सकतीं, जिनको सदन से दूर रखना चाहते हैं। सलेक्ट कमेटी में खुले रूप में आप अपनी मजबूरियां बता सकते हैं, कि इतने दिन इसलिये हमने नही किया, केबिनेट का यह डिसीजन था इसलिये हमें रिलेक्सन करना पड़ा आदि-सब बातें सलेक्ट कमेटी में आ सकती हैं।

समय का सवाल मैं नहीं करता-दो दिन के लिये या दस दिन के लिये। मेरा तो यह निवेदन है कि इस सारे मसले को सलेक्ट कमेटी के सामने रखा जाय। इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करूंगा कि आयन्दा आप टैक्स के प्रोपोजलस को लायें, कमी के लायें या बढ़ाने के लायें वे सदन के सामने आने चाहिये। जब भी आप किसी पोइन्ट पर मजबूर होते हैं, सरकार के सामने किसी प्रकार का टेम्पटेशन हो या टैक्स पेयर्स किसी प्रकार का टेम्पटेशन दें, करप्ट करने की कोशिश करें, पॉलिटिकल प्रिशेज की कम्पलायेन्स के लिये इस प्रकार की तुच्छ कार्यवाही हो सकती है, यह लोकतंत्र के लिये बड़ी अहितकर व्यवस्था होगी। ऐसी अहितकर व्यवस्था सरकार न करने पाये इसके लिये सदन को उस पर रोक लगानी चाहिये और सदस्यों को सरकार को मजबूर करना चाहिये। इन्हीं शब्दों के साथ जो सलेक्ट कमेटी का प्रस्ताव रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री परसराम मदेरणा (उप-मन्त्री, सामान्य प्रशासन) : सभापति महोदया, राजस्थान मनोरंजन कर तथा विज्ञापन कर संशोधन विधेयक को लेकर माननीय सदस्यों ने काफी रोषपूर्ण वक्तव्य इस सदन में प्रस्तुत किये। मैं प्रथमतः ही इस बात का कन्फेशन कर लेता हूं कि राज्य सरकार स्टेटिसटिक्स के अभाव में जो इस टैक्स से चार लाख की आमदनी के अनुमान सोचती थी वह गलत निकला वह गलत इसलिये निकला कि शिड्यूल सातके अनुसार पूरे देश में हमारा राजस्थान ही

(श्री परसराम मदेरणा)

पहला राज्य था जिसने इस प्रकार का टैक्स लगाने का विचार किया। चूंकि टैक्स के प्रपोजल्स गुप्त होते हैं इसलिये यह सम्भव नहीं हो सका कि इसके बारे में किसी से विचार विमर्श किया जाता। हम उस अवस्था में नहीं थे कि सिनेमा वालों से बात करके इस बारे में अपनी धारणा बनाते क्योंकि टैक्स प्रपोजल्स सीक्रेट होते हैं...

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : मद्रास कॉर्पोरेशन ने यह टैक्स लगाया है ?

श्री परसराम मदेरणा : मद्रास कॉर्पोरेशन और इसके अलावा एक दो जगहों पर इस प्रकार से टैक्सेज हैं लेकिन किसी भी राज्य सरकार ने स्टेट इनेक्टमेन्ट के जरिये कहीं नहीं लगाया है। राजस्थान प्रथम स्टेट थी जिसने इस प्रकार के टैक्स को इम्पोज करने को सोची थी लेकिन इस बारे में जो हमारा अनुमान था वह गलत निकला। और काफी गलत निकला। राज्य सरकार ने महसूस किया कि सिनेमा स्लाइड्स और फिल्म एक्जीबिशन यहां नहीं के बराबर हैं इसलिये राज्य सरकार को अपने उस डिसीजन को बदलने के लिये यह ऑर्डिनेन्स लाना पड़ा और उस ऑर्डिनेन्स को इनेक्ट करने के लिये यह सदन के सामने प्रस्तुत है। इसकी डिटेल्स में मैं जाऊं कि क्या हालत थी और किन हालतों में यह उठाना पड़ा उससे पहले सितम्बर के सेशन में जब राज्य सरकार को यह मालूम हो गया था कि इससे ज्यादा आमदनी नहीं होने वाली है, राज्य सरकार ने जितनी आमदनी की आशा की उसका पांच प्रतिशत भी नहीं हुई तो जब सदन का दूसरा सत्र चल रहा था उसमें यह बिल क्यों नहीं लाया गया ? मैं इस बारे में डिटेल्स में आपको बताऊंगा, राज्य सरकार के सामने क्या अड़चनें थीं, सितम्बर के सेशन में इस अमेन्डमेन्ट को क्यों नहीं ला सकी ? इससे पहले माननीय सदस्यों ने बहुत से प्रिलिमिनरी प्रिन्सिपल्स के मुद्दे उठाये थे उनके बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगा।

सबसे पहला मुद्दा यह उठाया गया कि इस टैक्स का इनेक्टमेंट हो चुका है और उस पर गवर्नर द्वारा स्वीकृति हो चुकी है इसलिये इस पर दुबारा ऑर्डिनेन्स लाना संविधान की धारा का हनन है इस सम्बन्ध में २१३ आर्टिकल का पार्ट (३) का हवाला दिया गया। मैं ऐसा मानता हूं, सभापति महोदया, कि पार्ट (३) का गलत इन्टरप्रिटेशन किया गया। विधान के अनुसार यह हमारी कॉम्पीटेन्स में है कि इस तरह से ऑर्डिनेन्स के जरिये टैक्सेज को रिड्यूस कर सकते हैं। पार्ट ३ साफ कहता है-

"If and so far as an Ordinance under this Article makes any provision which would not be valid if enacted in an Act of the Legislature of the State assented to by the Governor, it shall be void :"

इस क्लाज (३) का मतलब यह है कि कोई इस प्रकार की इनकॉम्पीटेन्सी नहीं है

(श्री परसराम मदेरणा)

कि जिससे लेजिस्लेशन इनेक्ट नहीं कर सकते तो इस मसले पर ऑर्डिनेन्स भी नही लाया जा सकता ।

इसी प्रकार का दूसरा ऑर्डिनेन्स इश्यू करने का आर्टिकल पार्लियामेन्ट में प्रोमलगेट किया है वह आर्टिकल १३३ है और इसका जो पार्ट (३) है उसको पढ़ने से यह मुद्दा बहुत ज्यादा साफ हो जावेगा :

'If and so far as the Ordinance under this Article makes any provision which Parliament would not under this Constitution be competent to enact, it shall be void.''

ये दोनों अनोलोजिकल हैं और इसका मतलब यह है कि अगर गवर्नर महोदय, इनेक्ट करने के पहले हाउस कॉम्पीटेन्ट नहीं है तो, उस पर ऑर्डिनेन्स नहीं ला सकते । यह कॉन्स्टीट्यूशनल पोजीशन है । तो जहां तक लीगेलिटी का सवाल है, यह हाउस कॉम्पीटेन्ट है और गवर्नर को भी ऑर्डिनेन्स एमलगेमेट करने के पावर्स हैं इसलिये यह एमलगेमेट हुआ ।

अब दूसरी बात बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कही कि ऐसा कहीं देश में प्रिसीडेन्स नहीं है कि जहां टैक्स के मामलों को लेकर ऑर्डिनेन्स लाया गया हो । यह इस हाउस के प्रिविलेज और अधिकारों पर एन्क्रोचमेन्ट है । मैं इस बारे में निवेदन करूं कि इस तरह के प्रिसीडेन्स हैं । उसकी एक लिस्ट प्रस्तुत करना चाहता हूं । इस नये कॉन्स्टीट्यूशन के लागू होने से पहले के प्रिसीडेन्स मैं नहीं रखूंगा । एक एडीशनल एक्साइज ड्यूटी का ऑर्डिनेन्स है जो प्रेसीडेन्ट ने अमेलगेमेट किया ।

इसके बाद में यू. पी. टर्मिनल टैक्स, १९५० है जिसे यू.पी. के गवर्नर ने प्रोमलगेट किया । इसके बाद १९५४ में हिन्दुस्तान के प्रेसीडेन्ट ने दो और ऑर्डिनेन्स टैक्सों के ही सम्बन्ध में जारी किये । एक मेला टरमिनल टैक्स था और दूसरा रेलवे के टैक्स के बारे में था । नाम अच्छी तरह मुझे मालूम नहीं है । पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्ज में मैंने यह पढ़ा है । तो यह कहना है कि ऐसे प्रिसीडेन्स नहीं हैं, यह सही नहीं है ।

यह भी कहा गया कि यह तो ऑर्डिनेन्सों का रूल है । और इसका मतलब यह है कि यह सरकार पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रैसी में विश्वास नहीं रखती । और यह सरकार ऑर्डिनेन्सों के जरिये ही अपना राज-काज चलाना चाहती है । यह सत्य नहीं है । अगर सारे ऑर्डिनेन्सों की संख्या देखी जावे तो यह सही साबित होगा । जिन ऑर्डिनेन्स को हेटफुल रूप में देखा जाता है वह ब्रिटिस समय में सिक्योरिटी ऑफ स्टेट और इन्ट्रेस्ट ऑफ स्टेट के लिये घातक होते थे इसलिये घृणा से देखे जाते थे । पर आज स्वतन्त्रता के बाद हमारे नये कॉन्स्टीट्यूशन में इनका अधिकार ३५२ में समावेश है ये एमर्जेन्सी पॉवर हैं ।

(श्री परसराम मदेरणा)

ये किसी की इन्डिविजुअल फ्रीडम पर या जनता की लिबर्टी पर किसी तरह का कुठाराघात नहीं करते, ये रुटिन नेचर के हैं।

श्री भगराज चौधरी (रानी बाग) : On a point of clarification, Sir !

श्री परसराम मदेरणा : Under what rule ?

श्री भगराज चौधरी : Mr. Chairman Sir, I have raised a point of clarification.

श्री बालकृष्ण कौल (वित्तमन्त्री) : Under what rule ?

श्री भगराज चौधरी : That is a simple rule.

The Hon. Minister has interpreted the Constitution therefore I feel..........

श्री परसराम मदेरणा : No point of clarification can be raised in between my speech.

श्री रामकिशन (वैर) : जैसे तैसे तो हिम्मत करके खड़े हुए और आपने डराकर उनको बिठा दिया। आपने डराया है साहब उनको। डरे तो नहीं हो न ?

(सम्बन्धित सदस्य से)

श्री भगराज चौधरी : नहीं।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : आखों से देखने से ही डर जाते हैं ये तो।

श्री परसराम मदेरणा : तो मैं निवेदन कर रहा था कि ऑर्डिनेन्स इश्यू करने के लिए गवर्नर महोदय कॉम्पीटेन्ट हैं और लीगल पोजीशन यह है इसकी कि आर्डिनेन्स द्वारा लगाये गये कर या कोई मामला उसी तरह समझा जावेगा जैसे हाउस द्वारा ही इम्पोज किया गया हो।

पर प्रश्न यह खड़ा होता है कि यह ऑर्डिनेन्स इतनी देर से प्रोमलगेट क्यों हुआ ? उस देरी के कारणों की तफसील मैं आपको बताता हूं।

चेयरमैन महोदया, जब यह टैक्स लगाया गया तो सम्बन्धित लोगों ने यह महसूस किया कि यह टैक्स हैवी है और जो उनके कॉन्ट्रैक्ट्स सिनेमा प्रोप्राइटरों से होते थे उनको देखते हुए उन दोनों की स्थिति इस टैक्टको बर्दास्त करनेकी नहींथी। तो इसके इनेक्ट होने के बाद और उसका प्रोवीजन ४ ए में एड करने के बाद सरकार के पास में ये रिप्रेजेन्टेशन आये, एग्जीबीटरों के भी आये और सिनेमा प्रोप्राइटरों ने भी किये और इसके साथ साथ एडवर्टाइजमेन्ट एजेन्सीज ने भी किये-ये २४ अप्रेल को सरकार के सामने आये।

(श्री परसराम मदेरणा)

अप्रेल में एडमिनिस्ट्रेटिव विभाग ने ट्रेड के प्रतिनिधियों से डिस्कस करने के बाद कुछ प्रपजल्स केबिनेट के सामने रक्खे और जैसा जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य को सब पता है केबिनेट ने उस पर यह डिसीज़न लिया ....

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : उनको कैसे पता ? उनको भी आप कोई कापी भेजते हैं क्या ?

श्री परसराम मदेरणा : भेजते तो नहीं, वे सूचना सब रखते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कौनसी तारीख की घटना है ?

श्री परसराम मदेरणा : केबिनेट ने यह फैसला लिया कि अभी रेट रिड्यूस न की जावे। पर इसे और स्टडी किया जावे।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : For three months.

श्री परसराम मदेरणा : दो महिना स्टडी करने के बाद में एक्साइज और टैक्सेशन विभाग को चिट्ठी लिखी गई कि इस टैक्स के बारे में क्या रिएक्शन है यह बताएं। उन्होंने यह लिखकर भेजा जुलाई के पहले वीक में, एग्जेक्ट डेट तो याद नहीं, लेकिन जुलाई के फर्स्ट वीक में राजस्थान सरकार को लिख कर भेजा कि ऐसा प्रतीत होता है कि टैक्स बहुत हैवी है और इस कारण राज्य सरकार की आमदनी बहुत ही कम है इसलिये इसको रिड्यूस किया जाना आवश्यक है। उनकी इस बात पर प्रपोजल बनें। इसी दौरान में अगस्त-सितम्बर में विभाग के सेक्रेट्री और और डिप्टी सेक्रेट्री दोनो छुट्टी पर थे इसलिये प्रपजल्स तो बने पर उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव डिले जरूर हुई। और प्रपोजल्स बनने के

(१.०० म० प०)

बाद लीगल डिपार्टमेन्ट के पास वैध होने के लिए गये...........

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कब गये लॉ डिपार्टमेन्ट को ?

श्री परसराम मदेरणा : लीगल डिपार्टमेन्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेन्ट के बीच मे ४-५ दफा कॉम्युनिकेशन हुए और हर दफा एतराज होते गए कि नोटीफिकेशन क्या होना चाहिए, सिस्टम ऑफ रेट्स क्या होना चाहिए और इस बिल के अमेन्डमेन्ट की जरूरत है या नहीं ? इन तीन चार मुद्दों को लेकर लॉ डिपार्टमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के बीच में कुछ नाइत्तफाकी रही-यह बात करीब ३०-९-६३ तक कन्टीन्यू रही और ३०-९-६३ को यह फाइनली डिसाइड किया कि according to suggestions of the Law Department

मेमोरेन्डम बनायें और केबिनेट के सामने प्रस्तुत करना चाहिए और जब तक ३०-९-६३ तक यह फैसला हुआ उसके पहले यह सैशन एडजार्न हो गया और हालांकि चाहिए यह था कि यह अमेंडमेन्ट असेम्बली के सामने

(श्री परसराम मदेरणा)

आ जाये और सरकार क्योंकि प्री-आक्युपाइड एक सौ एक काम में रहती है इसलिए यह अमेन्डमेन्ट उस समय नहीं ला सके। लेकिन सरकार की बोनाफाइडी को डाउट करना न्यायसंगत नहीं होगा। ३० सितम्बर के बाद १० अक्टूबर को केबिनेट ने फाइनली यह तय किया कि ऑर्डिनेन्स इश्यू किया जाना चाहिए चूंकि असैम्बली का सेशन मीट नहीं हो रहा है और इसको नहीं करते हैं तो इस पर भी विचार किया कि राज्य सरकार को घाटा होगा। हालांकि डिले हुई है और इसे अगर सैशन में ही ले आते तो अच्छा रहता लेकिन नहीं ला सके तो जिस तरह जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य अभी सरकार को इम्पीच कर रहे थे इस इवेन्चुअलिटी से बचने के लिए और इस ब्लेम से बचने के लिए हम यह ऑर्डिनेन्स बीच में लाए....

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर): आप तो यह बता दें कि २ अक्टूबर के बाद कितनी कुल आमदनी हुई ?

श्री परसराम मदेरणा: अभी सब बता देते हैं।

चेयरमैन महोदया, केबिनेट ने इस ऑर्डिनेन्स को लाना इसलिये आवश्यक महसूस किया कि पिछले ८ महीनों से जब तक कि ऑर्डिनेन्स २२ अक्टूबर, ६३ से प्रोमलगेट नहीं हुआ और २ मार्च ६३ से २ अक्टूबर, ६३ तक राज्य की आमदनी ७ बड़े कस्बों की मैं कहता हूं, सब जगह से तो इनफॉर्मेशन इकट्ठी नहीं हुई है, वह १,७१३) रुपये हुई। कहने का मतलब यह है कि २१४) रुपये पर-मन्थ इसका कलेक्शन हुआ और यह उन्हीं स्लाइड्स का था जो कि अंग्रेजी की थीं या जिसमें एक फिल्म आती है। और आम तौर से जिन स्लाइड्स का या फिल्म का या ट्रेलर का एग्जीबीशन होता था वह करीब करीब बन्द था। इसलिये यह सोच कर कि राज्य की आमदनी में घाटा हो रहा है और साथ ही साथ सितम्बर के आस-पास अकाल भी पड़ गया और सरकार को उसके फलस्वरूप सस्पेन्शन भी करना पड़ा और उस समय इस पोजीशन को रिव्यू किया तो यह सोचा कि पब्लिक एक्सचेकर को एक पाई का भी घाटा होता है इस ऑर्डिनेन्स को न लाने से तो राजस्थान सरकार इस ब्लेम को अपने सिर पर नहीं लेगी। इसलिए यह ऑर्डिनेन्स लाना जरूरी था। इतनी सिन्सयेरिटी और आनेस्ट् नीयत से राज्य सरकार इस ऑर्डिनेन्स को लाई है........

श्री भैरोंसिह (किशनपोल, जयपुर): इतना सा बता दें कि १० अक्टूबर को जब केबिनेट ने डिसीज़न ले लिया तो २४ अक्टूबर को यह प्रोमलगेट क्यों हुआ ? १४ दिन की डिले के लिए कौन जिम्मेदार है ?

श्री परसराम मदेरणा: इस डिले को तो अकाउन्ट फोर नहीं कर सकते लेकिन जहां तक सोच सकते हैं और जो नोटिंग से मालूम किया है वह डिले जो हुई है वह या तो शायद दीवाली की छुट्टियां आ गयी थीं या

(श्री परसराम मदेरणा)

ऐसा ही कोई मामला था कि छुट्टियां आ गई थीं और फिर गवर्नर साहब के पास २१ अक्टूबर के आस-पास गया है और २२ अक्टूबर को प्रोमलगेट किया है, २३ को गजट में पब्लिश हुआ है और २४ तारीख को नोटीफिकेशन निकला है। उसमें कोई देरी नहीं हुई। अब यह कहना कि इस ऑर्डिनेन्स को निकालने में राज्य सरकार ने लेजिस्लेचर के जो राइट्स एण्ड प्रिवलेजेज़ हैं उन पर कुठाराघात किया है तो मैं बहुत आदरपूर्वक यह कहूंगा कि यह जो कॉन्स्टीच्यूशन में प्रावधान रखा है जैसा कि जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि यह जो पॉवर्स दी हैं यह ऑर्डिनेन्स निकालने का जो प्रावधान है कॉन्स्टीटुएन्ट असेम्बली ने, जिसने यह विधान बनाया था, डेलीबरेटली इसको सोच समझ कर रखा था कि ऐसी हालात हो सकती हैं जब कि असेम्बली सेशन में न हो— एक बात और, ऐसे कुछ सरकम्स्टान्सेज अराइज हो सकते हैं जिनमें यह मालूम हो जाये कि कोई इमीडियेट एक्शन लेना पड़े और इन्तजाम करना पड़े तो इस प्रकार के ऑर्डिनेन्स लाये जा सकते हैं। इन सब मुद्दों पर सोच कर राज्य सरकार ने बहुत थोटफुल कन्सीडरेशन के बाद यह ऑर्डिनेन्स जारी करवाने की बात सोची थी। अब यह कहते हैं कि राजस्थान सरकार इस हेबिट में है और उसकी आदत बन गयी है कि वह गवर्नर को ऐसी एडवाइज़ करे और गवर्नर साहब की भी आदत पड़ गयी है कि वह इस प्रकार का ऑर्डिनेन्स निकाल देते हैं। यह राजस्थान के अन्दर टैक्स के मामलों को लेकर पहला प्रपोज़ल है और इस प्रपोज़ल को इसलिये लाये कि हम यह सोचते थे कि टैक्स का रिडक्शन रेट में हो जायगा तो निश्चित रूप से राज्य सरकार को आमदनी होगी। कुछ माननीय सदस्यों ने यह भी एट्रीब्यूट किया कि राज्य सरकार ने बहुत बड़ा फायदा देने के लिए इतनी रेट्स रिड्यूस की हैं। जैसा कि जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि उन्होंने इस आर्डिनेंस को डिसएप्रूव करने के लिए अमेन्डमेन्ट रखा है और मैं उसका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। हमने इस टैक्स के रिडक्शन के बाद भी २४ अक्टूबर, ६३ को नोटीफिकेशन निकाला है। उस नोटीफिकेशन में जो फिल्म ट्रेलर हैं उनका हमने मिनिमम ५० नये पैसे पर-ट्रेलर पर-शो और मेक्सीमम रखा है एक रुपया पर-डे। उसके मुकाबिले में जो पहले टैक्स था जो कि २ मार्च, ६३ के नोटीफिकेशन के मुताबिक था उस टैक्स में एक लाख की पोपुलेशन के ऊपर अगर कोई ट्रेलर एग्जीबिट करता है तो उसका था पर-शो पर-फुट २ न० पै० और मेक्सीमम रील उसकी १०० फुट की मानते थे। वह पर-वीक से था और वह ५६ रुपये के आस–पास आता है। यदि ४ शोज़ होते हैं, जयपुर की ही बात लेकर मैं चलता हूं. ५६ रुपये वीक का ही टैक्स था उसके मुकाबले में ३० रुपये पर-मन्थ रखा है अगर उसको केलकुलेट किया जाये तो २२४ रुपये पर-मन्थ होता था। २२४ के मुकाबले में ३० रुपये पर मन्थ रखा है। लेकिन आज भी फिल्म ट्रेलर सिनेमा प्रोप्राइटर्स एग्जीबिट नहीं कर रहे हैं। वे कहते हैं कि स्लाइड्स के ऊपर कम

(श्री परसराम मदेरणा)

किया है उसको हम बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन ३० रुपया जो रखा है वह अनइकॉनामिक है। हम यह सोचते थे कि इसमें एक कारण यह भी था कि जब ऑर्डिनेन्स हमने निकाला तो जो कॉमर्शियल स्लाइड्स एग्जीबिट होती हैं और इसके अलावा दूसरी फिल्म्स जो एग्जीबिट होती हैं उससे राज्य सरकार को इनडाइरेक्टली आमदनी भी होती है। सेल्स टैक्स के द्वारा होती है, एन्टरटेनमेन्ट टैक्स के द्वारा होती है, इन्कम टैक्स के द्वारा होती है। उस डाइरेक्ट आमदनी में जो घाटा पड़ रहा था उसको मद्देनजर रखते हुए सबसे इम्पोर्टेन्ट चीज यह थी कि इस आर्डिनेन्स को बहुत सोच समझ कर लाया गया। इतनी रेट्स भी हो गयी हैं तो भी सिनेमा प्रोप्राइटर्स एग्जीबिट नहीं कर रहे हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी बाजार, जयपुर): वीक का ७ रुपया हुआ।

एक ट्रेलर का एक रुपया, ७ दिन के ७ रुपये हुए।

श्री परसराम मदेरणा : पहले जो रेट था वह पर-फुट पर-डे पर शो के हिसाब से था। उसके बाद में उसकी दो केटेगरीज़ कर दी गई। स्लाइड्स के लिए पर-मन्थ रखा और फिल्म्स के लिए हमने पर-वीक रखा, लेकिन उसके बाद में जहां तक फिल्म्स के ट्रेलर्स का सवाल था इसका अलग प्रोवीज़न करके और नोटिफिकेशन के जरिये एक महीने का रखा, और इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन हालात में माननीय सदस्य ने जो मोशन रखा...

(१-१० प० प०)

(राव श्रीनारायण सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, On a poind of clarification Sir, मैं जानकारी के लिए यह जानना चाहता हूं....

श्री परसराम मदेरणा : और पहले के हिसाब से राज्य की आमदनी में बड़ा घाटा हो रहा था, इसलिए ऑर्डिनेन्स जारी किया गया।

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय मंत्री महोदय ने कहा था कि इस टैक्स के लगाने से विज्ञापन वगैरह पर आमदनी होती है तो मैं जानना चाहूंगा कि क्या आपने यह आंकड़े मालूम किये हैं कि विज्ञापन के प्रदर्शन नहीं होने से फिल्मों में कमी हुई है या सिनेमा जाने वालों में कमी हुई है ?

श्री परसराम मदेरणा : विज्ञापन का नहीं कह कर रहा हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : फिल्म्स का ?

श्री परसराम मदेरणा : फिल्म्स के ट्रेलर्स का है। सिनेमाओं में दूसरी फिल्मों के ट्रेलर्स पहले दिखाते हैं ताकि स्पेक्टेटर्स एट्रेक्ट

(श्री परसराम मदेरणा)

हों। दूसरी जो फिल्में होती हैं वह १० फीट की होती हैं जब कि ट्रेलर हैं वह एक हजार व दो हजार के बीच की होती हैं क्योंकि एडवर्टाइज़मेंट एजेन्सी का एग्रीमेन्ट जो है वह नेशनल बेसिस पर होता है और हम २ मार्च से इस तरह का टैक्स ला रहे थे तो ज्यों ही टैक्सेज़ के प्रपोजल्स सदन में रखते हैं, हालांकि फाइनेन्स बिल इनेक्ट बाद में हुआ, लेकिन उसका नोटिफिकेशन उसी डेट को निकालना पड़ता है तो जब नोटिफिकेशन निकाल दिया तो फाइनेन्शियल ईयर के पहले पहले वह एग्रीमेंट खत्म हो गए। तो भी हमारी राज्य सरकार की उससे आमदनी जो पिछले तीन महीनों में हुई है वह ६,५६१ रुपये हैं और उससे पहले ८ महीनों में केवल १,७१३ रुपये ही हुई थी। और ६,५६१ रुपया का जो एवरेज आता है वह करीबन २,२२० रुपये पर-मन्थ का है। तो इन्कम निश्चित तौर से बढ़ी है, और हम ऐसा महसूस करते है कि जिन जिन का एग्रीमेंट था उनकी कुछ डिफिकल्टीज़ रेट्स के बारे में आ गई हैं, क्योंकि उन लोगों ने ऐसा किया है कि जब नेशनल बेसिस पर कान्ट्रैक्ट लेते हैं तो उनका करीबन ३०० सिनेमाओं में दिखाने का नम्बर होता है तो हिन्दुस्तान के दूसरे सिनेमाओं के अन्दर स्लाइड्स और फिल्म्स को भेजना शुरू कर दिया है। और मै समझता हूं कि रेट इस तरह की है उस वक्त रेट्स के अन्दर हर तरह से हेर फेर करने की राज्य सरकार के पास में गुन्जायश थी लेकिन जो कन्डीशन थी नीचे वाली कि मिनिमम १ रुपया से कम नहीं हो सकती है और जो मैंने आंकड़े दिये हैं वह मिनिमम एक रुपया काउन्ट करके दिये थे, इस लिहाज में जो कन्डीशनल पैरा है उसको अगर डिलीट नहीं करते हैं तो किसी प्रकार का नोटिफिकेशन फिल्म्स का नहीं निकल सकता है।

इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, यह देरी जो हुई है आर्डिनेन्स के लाने में तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि मन्थली बेसिस पर इनकी रेट्स तय की जाय या वीकली पर तय की जाय और जो यह कन्डीशन है कि यह जो रेट है २५ नये पैसे उसको रिड्यूस कर सकते हैं या नहीं-यह देखना जरूरी था और एमेंडमेंट लाया जाना चाहिए कि नहीं, और लाया जाना चाहिए तो सैशन से पहले लाया जाना चाहिए कि नहीं-यह इतने सारे मुद्दे थे इनको सोचकर हिन्दुस्तान के विधान के आर्टीकल २१३ के अन्दर गवर्नर साहब को जो पावर्स दिये हैं उनको काम में लाया जाय कि नहीं-यह भी सोचना था। अभी कर मान-नीय सदस्यों ने कहा कि पॉवर का मिसयूज किया गया है वह हाईहैन्डेडनेस है, इस तरह की बहुत सी बातें कही हैं। अगर वह समझते हैं कि हिन्दुस्तान की पार्लियामेंट को हिन्दु-स्तान की जनता को संविधान में संशोधन करने के अख्तियारात नहीं है, अगर वह यह समझते हैं कि पार्लियामेंट और हिन्दुस्तान की जनता एक्जीक्यूटिव के पास में ऑर्डिनेन्स के प्रामलगेशन के पावर्स हैं वह उनको छीन सकती है तो उसके बाद में असेम्बली के पास में कोई इस तरह का साधन नहीं हो सकता है। तो इसमें सदन को इग्नोर करने का प्रश्न नहीं है, ऐसी परिस्थितियां थीं, ऐसे सरक-

(श्री परसराम मदेरणा)

स्टान्सेज थे और ऐसी अर्जेन्ट सिचुएशन थी कि उसको मीट आउट करना था। अगर मीट आउट नहीं करते तो भी हम पर ब्लेम था। अगर नहीं ला सके एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स के कारण इस सदन के अन्दर दूसरे सेशन में तो भी हम ही दोषी है। तो हमने सोचा कि राज्य सरकार को घाटे से बचाने की जो बात है वह अहम बात है और इसी इरादे से यह ऑर्डिनेन्स इश्यू करवाया गया है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : यह तो साबित हो गया कि विधान सभा के सदस्यों की राय बजट सेशन में मान ली जाती तो राज्य सरकार को घाटा नहीं होता।

श्री मथुरादास माथुर (योजना मंत्री): अगर आपको इसमें सन्तोष है तो ठीक है।

श्री परसराम मदेरणा : जहां तक इसको तय करने का सवाल है इसमें डिले हुई है उस सब के लिए मैं राज्य सरकार की तरफ से रिग्रेट जाहिर करता हूं, लेकिन अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हम पर जो इम्पीचमेंट का दोष लगता है, उन सब बातों को देखना पड़ता है।

ऐसे प्रेसीडेन्स हिन्दुस्तान में और भी हैं जहां प्रेसीडेन्ट द्वारा ऑर्डिनेन्स लागू किये गये हैं। एक्स्ट्रा-आर्डिनरी सिचुएशन थी इसलिए इसका लाना जरूरी था। इसलिए यह सब किया गया है। इसलिएमैं माननीय सदस्योंसे ...

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : On a point of clarification, Sir, आपने जो ऑर्डिनेन्स अभी कोट किया हैतो क्या कोई ऑर्डिनेन्स रिलेक्सेशन आफ टैक्सेज के संबंध में है क्या ?

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : इन्क्रीज के बारे में है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : इन्क्रीज और नये इम्पोजिशन का नहीं।

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री) : कोई फर्क नहीं पड़ता है।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप समझदार आदमी हैं। आप इसको समझ सकते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, पहले आपने कहा था तो टैक्सेशन के बढ़ाने और घटाने का कहा था। मैं यह नहीं कह सकता कि रिडक्शन वाला कोई मामला हो, क्योंकि हर एक ऑर्डिनेन्स बाद में इनेक्ट हुए हैं, लेकिन मैं एक बात आपसे कहूं कि माननीय सदस्य पहले भी यह महसूस करते थे और उस वक्त राज्य सरकार यह सोचती थी कि इस टैक्सेशन के मामले कोलेकर जो रिप्रेजेन्टेशन हो रहा है वह रिंग बनाकर बैठ गये हैं इसलिए इसको कुछ समय के लिए स्टडी किया जाय तो यह मालूम होगा कि यह रिंग बना कर बैठे हैं और कुछ एडवर्टाइजर्स और कुछ प्रोप्राइटर्स टेम्प्ट होंगे कि अपनी स्लाइड्स और फिल्मों का एक्जीबिट करें, लेकिन राज्य सरकार का यह अनुमान गलत

(श्री परसराम मदेरणा)

निकला। चित भी मेरी और पुट भी मेरी। टैक्सेशन को कम करते हैं तो भी क्रिटिसिज्म होता है और टैक्सेशन हैवी होता है तो उस तरफ भी आपकी तरफ से यह आरोप होता है कि टैक्सेशन सोच-समझकर नहीं लगाते हैं। जैसा कि मैंने शुरू में अर्ज कर दिया था कि टैक्सेशन का जो यह आइटम था वह अन-एक्सप्लोर्ड आइटम था इसलिए कुछ तो डिले इस तरह से हो जाती है और फिर फाइनेन्स मिनिस्ट्री टैक्सेशन को रिड्यूस करने के मामले में पहले ही बड़ी कासस होती है और उसको हर तरह से देखती है तो उसमें देरी होती है।

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जिन हालात में यह ऑर्डिनेन्स सदन के सामने आया है और जो जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने इस ऑर्डिनेन्स को डिस-एप्रूव करने का मोशन रखा है उसको अस्वीकार करेंगे और मेरे एक्स्प्लेनेशन के बाद आप कन्विन्स हो गये होंगे कि इस बिल को प्रवर समिति में भेजने की आवश्यकता नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री मानिकचन्द सुराणा : On a point of information, Sir. जो २४ अक्टूबर को आपने ३ रुपये पर-वीक एक ट्रेलर फिल्म पर टैक्स जारी किया था तो क्या यह सही है कि आपने फरवरी के महीने में ७ रुपये कर दिये हैं तो एक तरफ तो आप यह कहते हैं कि २,२००) रुपये की आमदनी हुई है और यह भी आपने कहा कि ट्रेलर्स अभी तक एग्जीबिट नहीं कर पाये और उसके बावजूद आप ७ रुपये बढ़ाते हैं तीन रुपये पर-वीक से ७ रुपये पर-वीक कर दिया है।

श्री परसराम मदेरणा : ७ फरवरी को जो ऑर्डिनेन्स निकला है वह ट्रेलर के बारे में है। तीन रुपये जो आप कह रहे हैं पर-वीक के वह १०० फुट की जो फिल्में होती हैं उसके बारे में है और जो ट्रेलर हैं वे कम से कम १ हजार फीट होती है, एक हजार से दो हजार फीट के बीच में रेंज करती है।

श्री भगराज चौधरी (रानीवाडा) : उपाध्यक्ष महोदय ...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एक क्लेरिफिकेशन करना है।

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! Now I am putting the question.

श्री भगराज चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, One clarification.

श्री उपाध्यक्ष : No clarification.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय मैं समझता हूं कि राजस्थान विधान सभा में पिछले ७ वर्षों में शायद यह पहला मौका है.... ....

श्री उपाध्यक्ष : समय का भी ध्यान रखें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह पहला मौका है कि जब सरकार ने ऐसा ऑर्डिनेन्स जारी किये जाने के सम्बन्ध में सारे कारणों को सदन के सामने स्पष्टतः प्रमाणित करके रख दिया है और इसे सरकार की ओर से शीघ्रता से किया गया है, एक प्रकार से उप मन्त्री महोदय ने जो शीघ्रता से किया है, उन्होंने एक प्रकारसे स्पोटिंग स्प्रिट दिखाई है। उनके प्रमोशन के जो ब्राइट चान्सेज थे उनके लिए यह आवश्यक था। मैं समझता हूं कि वित्त मंत्रीजी ने पढ़ा होता तो सदन में आंख मिचोनी के सिवाय कुछ नहीं होता। लेकिन इन्होंने सरकार की सारी गलतियों को स्वीकार करते हुए एक प्रकार को क्षमायाचना सदन के सामने की है। मैं समझता हूं ७ वर्षों में यह पहला मौका है जब कि सदन के सामने सरकार ने स्पष्टतः क्षमायाचना की है। लेकिन सदन के सभी माननीय सदस्य बधाई के पात्र हैं जिन्होंने सरकार को बाध्य किया कि सदन की भावना को समझें और जिस प्रकार के अध्यादेश जारी किये हैं उस प्रकार के भविष्य में जारी नहीं करेंगे और सदन के माननीय सदस्य जागरूक रहेंगे तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बार-बार अधिवेशन में इस प्रकार की गलतियां दोहराई नहीं जायेंगी नोटिफिकेशन निकालने की। इसलिए मैं सदन से अनुमति चाहता हूं कि जो संकल्प इसको निरस्त करने का मैंने प्रस्तुत किया है उसको वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाय।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की मंशा है कि संकल्प वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

संकल्प वापिस लेने की अनुमति प्रदान की गई।

श्री मथुरादास माथुर : यह पहला ही मौका है जब इन्होंने वापिस लिया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं अपना संकल्प वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो विधेयक प्रस्तुत हुआ है उसे विचारार्थ लिया जाय।

श्री नाथूराम मिर्धा : एक मोशन और है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : On a point of clarification, Sir. हमने इसे सलेक्ट कमेटी को रेफर करने के लिये कहा था। मैं यह कहना चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : Do you want to withdraw it ? इस विषय में बोलने की इजाजत नहीं दी जा सकती। आप केवल विदड्रा कर लें।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : यहां जो "वीक" का इन्टरप्रिटेशन दिया है मैं उससे कन्विन्स नहीं हूं क्योंकि इसमें खाली शब्द कह दिये, न इधर कोमा है न उधर कोमा है।

श्री मथुरादास माथुर (योजना मंत्री): कोमा आप लगा दें।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : यह एकेडेमिक बात है इसलिये सही होनी चाहिये।

आपने यह कह दिया कि मैं कोमा लगा दूं, मैं वकील नहीं हूं, आप वकील हैं तो इसको साफ कर लें।

श्री उपाध्यक्ष : Do you want to withdraw it ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : विथडॉ तो करना ही है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है, माननीय श्री ज्वालाप्रसाद जी Are you withdrawing ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : Yes.

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : I also want to withdraw.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो माननीय सदस्य अपने प्रस्ताव वापिस लेने चाहते हैं उनको वापिस लेने की इजाजत दी जाय ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री गिरधारीलाल व्यास : मैं अपना प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : मैं अपना प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : मैं अपना प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि...

श्री राम किशन (वैर) : मैंने विथड्रा कर लिया है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संकल्प सलेक्ट कमेटी में रखने का रखा है उसे स्वीकार किया जाय ?

('हां' की आवाज)

श्री रामानन्द अग्रवाल : The hon. Minister has himself said that it should be sent to the Select Committee.

श्री उपाध्यक्ष : The Finance Minister's opinion alone does not count.

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन प्रवर समिति को सुपुर्द करने के लिये रखा है उसे पारित किया जाय ?

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

श्री परसराम मदेरणा (उप मंत्री, सार्वजनिक निर्माण) : उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी बाजार, जयपुर) : आप पारित करने के लिये कह रहे हैं उसमें एक क्लेरिफिकेशन दे दीजिये। मैं एक मिनिट से ज्यादा नहीं लूंगा आप सुन लें। इसके क्लॉज ४ में यह लिखा है :

"4A. Levy of Advertisements tax— x x x

(b) for films : 5 naya paise per foot of the length of the film per show subject to a minimum of Re. 1/- per film per show"

अब आप डिलीट करना चाहते है :

"subject to a minimum of Re. 1/--per film per show'. इसका मतलब क्या होगा ? ५ नये पैसे की रेट तो रहेगी। जब ५ नये पैसे की रेट रहेगी और मिनिमम १) रु० रहेगा उसका मतलब यह हुआ कि २० फुट पर तो ५ नये पैसे पर फुट के हिसाब से १) बराबर हो जायगा और १५ फुट का है तो भी कम से कम १) रुपया लेंगे और यदि १०० फुट हैं तो ५ नये पैसे फुट के हिसाब से ५) रु० लेंगे। इसमें लिखा है :

"5 naya paise per foot of the length of the film per show subject to a minimum of Re. 1/-- per film per show."

मिनिमम १) है, उससे कम नहीं। बाकी रेट तो ५ नये पैसे पर फुट है। यदि ५ नये पैसे पर फुट है तो उस रेट के खिलाफ आपका नोटिफिकेशन नहीं होगा। आप एक मिनिट शान्ति से इस पर विचार कर लीजिये।

श्री मथुरादास माथुर (विधि मन्त्री) : शान्ति से विचार करने से देरी होगी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : नोटिफिकेशन गलत हो जायगा क्योंकि यह फिल्म्स पर एप्लाई करता है और रेट स्टेन्ड करती है तो पूरी रेट नहीं ले सकते। नोटिफिकेशन गलत हो जायगा।

श्री परसराम मदेरणा : यह इसलिये नहीं दे सकते कि यदि यह मेग्जिमम नहीं होता और मेग्जिमम के बीच में वेरिएशन का सरकार को पॉवर नहीं होता। तो आप इसको ऊपर से पढ़िये।

(श्री परसराम मदेरणा)

"There shall be charged and levied an advertisement tax at such rate not exceeding the rate specified below'. That means the maximum and minimum can be prescribed by the Government.

कंडीशन भी तो मिनिमम पर १०० है। एडवर्टाइजर्स इसको एफोर्ड नहीं कर सकते इसलिये यह अमेन्डमेन्ट लाया गया है सब्जेक्ट टू रूपी वन-इसका इतना ज्यादा डिस्क्रशन यह रहता है १ नये पैसे से २५ नये पैसे तक का सवाल है-नोटिफिकेशन निकल सकता है।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान एन्टर्टेनमेन्ट एन्ड एडवर्टाइजमेंन्ट्स टैक्स (अमेन्डमेन्ट) बिल १९६४ पारित किया जाय ?

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान एन्टर्टेनमेन्ट एण्ड एडवर्टाइजमेंट टैक्स (अमेन्डमेंट) बिल १९६४ पारित किया जाय !

(पारित)

बिल पारित किया गया।

सदन की बैठक कल प्रातः ८ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. पू. १.३० बजे, कल दिनांक ५ मार्च १९६४ के प्रातः ८ बजे तक के लिये स्थगित हुई)

———

संक्षिप्त विवरण

बुधवार दिनांक ४ मार्च, १९६४

स्कम्भ

तारांकित प्रश्नों के शीर्षक १

सिकराय में आयुर्वेदिक औषधालय

पेन्शन केस

घास का आयात

कृषि हेतु बिजली की दरें

पंचायत समितियों में विकास कार्यों के लिए सहायता एवं अनुदान

जयपुर स्पिनिंग एण्ड विविंग मिल्स में राज्य सरकार के शेयर्स

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का दैनिक भत्ता

अनास नदी के पुल की मरम्मत

पंच के जाली स्तीफे का केस पंचायत गिधानी

कृषकों को बिजली देने की योजना पंचायत क्षेत्र, दौसा

टीन के स्टाकिस्ट्स–भरतपुर

ग्राम पंचायत, तलवास के सरपंच के खिलाफ मुकदमा चलाने की आज्ञा

चित्तौडगढ़ से बेगूं को बिजली

स्कम्भ

पंचायत समिति, अलसीसर के प्रधान से रुपयों की वसूली

दौसा-बांदीकुई मुख्य लाइन पर पड़ने वाले ग्रामों को बिजली

प्राइमरी स्कूल की मरम्मत, ग्राम चोमा

फीरोजपुर झिरका-कस्बा पहाडी सड़क

अतारांकित प्रश्नों के शीर्षक ९६

कृषि उत्पादन सहकारी समिति का निर्माण

चूरू जिले की विद्युत् योजना

किशनगढ़ मिल के मजदूरों की बकाया का भुगतान

चर्म कला शिक्षण

मार्केटिंग सोसाइटी

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भवन निर्माण पर व्यय

प्लान व नॉन-प्लान सैक्टर का खर्चा--साचोर पैसेन्जर टैक्स की बकाया

न्याय पंचायतों को बकाया अंशदान की रकम

किसानों पर मुकद्दमे

उदयपुर जिले में चराई की वसूली

स्कम्भ

३. अनुपस्थिति के लिये अनुमति ७५

श्री पोहूमल ईसरदास, सदस्य, विधान सभा को दिनांक २ मार्च से २३ मार्च, १९६४ तक सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की गई।

४. विधायी कार्य

राजस्थान मनोरंजन तथा विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक, १९६४ ७७

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा ने निम्नांकित परिनियता (Statutory) संकल्प प्रस्तुत किया :—

"यह सदन राज्यपाल महोदय द्वारा प्रख्यापित" राजस्थान मनोरंजन तथा विज्ञापन कर (संशोधन) अध्यादेश, १९६३ (सं० २, सन् १९६३) को अस्वीकृत करता है।"

श्री परसराम मदेरणा, उप-मंत्री, ने प्रस्ताव किया कि उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिया जाय।

स्कम्भ

सर्व श्री दुर्गालाल बाढ़दार राम किशन, मुरलीधर व्यास, ज्वाला प्रसाद, रामानन्द अग्रवाल, हरिप्रसाद शर्मा (६३), मानिकचन्द सुराणा, ए० जब्बार खां, गिरधारी लाल व्यास एवं श्री रघुनाथ विश्नोई ने विधेयक को एक प्रवर समिति को सुपुर्द करने के संशोधन-प्रस्ताव प्रस्तुत किये।

उप-मंत्री के उत्तर के पश्चात् संकल्प वापस ले लिया गया तथा संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किये गये। वापस ले लिये गये विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव सदन द्वारा स्वीकृत हुआ।

विधेयक सदन द्वारा पारित भी किया गया।

गुरुवार दिनांक ५ मार्च १९६४ की
कार्य-सूची

(१) जोधपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९६४ (विचार-विमर्श एवं पारित)

(२) राजस्थान लैंड रेवेन्यू (संशोधन) विधेयक, १९६४ (विचार-विमर्श)

———

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १६० का उत्तर देखिए)

'क'

नाम डिवीजन	माइग्रेशन डिपो	तादाद घास जो सप्लाई की गई
१	२	३
बीकानेर	२६७६१८	किलो
लूणकरणसर	१३७६०४	,,
गजनेर	६७७६०	,,
नापासर	१०८७०६	,,
सूरपुरा	३८६५३	,,
पलाना	१७७८२४	,,
ब्यावर	२२६३६	,,
लालगढ	८६३७७	,,
जोधपुर	१८०७८	,,
फलोदी	७२१३०	,,
नोखा	१२६०२१	,,
	१९६२०५६	,,
या	५२४६१ मण	

३ बूंदी-- तालेडा		
	बूंदी	१२०४७ मण
	हिन्डोली	——————....
४ झालावाड़-तालेडा		
	हिण्डोली	५००० मण
	बूंदी	——————

'ख'

१	२	३	४
भरतपुर,	भरतपुर	२७७३२ मण	.७२ प्रतिमण
	धौलपुर	५१०७ मण	.६७ ,,
	अलवर	२५६२ मण	१.५० ,,
	राजगढ	३१६ मण	१.७५ ,,
	जयपुर	२४२८७ मण	.६२ ,,
	टोंक	७२०७ मण	१.७५ ,,
	उदयपुर	२११०० मण	२.०० ,,
	चित्तौड़	१०४३०० मण	१.४४ ,,
	बांसवाड़ा	१०४३० मण	.५० ,, से .६२ ,,
	सिरोही	२६०८५ मण	५०÷५० बेसिस
		१८१५ मण	.६० न. पै. प्रति मण

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १८० का उत्तर देखिए)

सूचि:—

सूचि जो पेड़ कटवाये हैं :—

१—पीपल	३
२— खजूर	३
३—आम	१
४—फालसा	५
५—लसौडा	१५
६—गूलर	२६

७—करज	१५
८—खेजड़ा	२
९—बेर	१
१०—गेंदी	७
११—सागवान	१
१२—ग्लौरा	२
१३—अशोक	८
१४—रैंए	२
१५—धामण	१
१६—इमली	१
कुल	९६

परिशिष्ट ३

(समयाभाव के कारण प्रश्न समय में न लिए जा सकने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

प्राइमरी स्कूल की मरम्मत,

ग्राम चोमां

१८५. कुंवर श्री महेन्द्रसिंह, (दिगोद): क्या पंचायत मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे।

(१) क्या यह सही है कि ग्राम चौमां, पंचायत समिति सुल्तानपुर, जिला कोटा में प्राइमरी स्कूल की मरम्मत के लिये पंचायत समिति द्वारा ५००) रु० मंजूर हो चुके हैं ?

(२) क्या यह सही है कि उस रकम को विकास अधिकारी, पंचायत चोमां द्वारा मांग करने पर भी देने में आपत्ति प्रकट करते हैं ? यदि हां तो क्यों ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) जी हां। क्योंकि जिस मकान में प्राथमिक पाठशाला चल रही है वह न तो ग्राम पंचायत की सम्पत्ति है और न पंचायत समिति की।

फीरोजपुर झिरका-कस्बा पहाड़ी सड़क

१८६. श्री मजलिस खां (कामां): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि पंजाब राज्य सरकार ने फीरोजपुर झिरका से भरतपुर जिले के कस्बा पहाड़ी से १-१।२ मील की दूरी तक सड़क तैयार कर दी है जो कि तहसील कामां को गुड़गांवा और अलवर दोनों जिलों से मिला देती है ?

(२) क्या राज्य सरकार उपरोक्त १-१।२ मील के टुकड़े को बनाने का विचार रखती है ?

(३) यदि हां, तो इसका सर्वे कब तक करा दिया जावेगा और निर्माण कार्य कब तक शुरू हो जावेगा ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) आशा है तृतीय योजना काल में यह कार्य शुरू कर दिया जावेगा।

परिशिष्ट ४

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या ६१ का उत्तर देखिए)

Statement showing the headwise yearly expenditure of Leather Training Institute, Jaipue.

1.	Details	1961-62	1962-63	1963-64 upto January, 1964
2.	Pay of Establishment	15729.20	15,665.68	12590 52
3.	Allowance & Honoraria. D. A.	5991.49	4921.06	3231.60
	T. A.	266.43	420 30	96.55
	House Rent	815.40	1545 27	917.33
	Other Charges (Medical aid)	147.40	583 58	541.92
	Total	7220.32	7470.21	4787.40
4.	Other Charges. Postage, Telegram & Telephons & Light & Water charges.	376.69	352.92	396.82
	Books & Periodicals.	158.74	126.05	00.20
	Liveries.	259.68	248.76	—

Raw materials.	4959.68	4666.37	1086.03
Stipend.	6707.41	12820.29	11499.18
Examination fee.	—	—	—
Rent for accommodation.	2556.00	2556.00	1917 00
Purchase of Equipments.	14870.44	1208.28	—
Purchase of Furniture.	990.99	2405.23	—
Telephone charges.	—	—	—
Other petty items.	663.92	409.66	175.92
Purchase of Cycle.	198.21	—	—
Total	31741.76	24793 56	15275.15
Grand Total	54691.28	47929.45	33653.07

परिशिष्ट ५

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या ६७ का उत्तर देखिये)

नक्शा रेंजवार तथा माहवार मुकद्दमें जो सन् १९६१-६२ ए अदालत खारजा द्वारा चालान किया गया वांसवाडा विवरण महीना जिसमें अदालत में चालान किये गये।

क्रमांक नाम रेंज	सन्६१-६२ में अदालत में चालान किये जानेवाले मुकदमों की संख्या	अप्रेल, ६१	मई, ६१	जून, ६१	जौलाई, ६१	अगस्त ६१	सितम्बर, ६१	अक्टूबर, ६१	नवम्बर, ६१	दिसंबर, ६१	जनवरी, ६२	फरवरी, ६२	मार्च, ६२	योग,
१. बांसवाड़ा	८	—	८	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	८
२. गढ़ी	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
३. शेरगढ़	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
४. कुशलगढ़	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
५. सूंगरा	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
६. सालमगढ़	१	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	१
७. घाटोल	८०	—	—	—	—	—	८०	—	—	—	—	—	—	८०
८. डूंगरपुर	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
९. आंशरी	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
१०. सागवाड़ा	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
११. सीमलवाड़ा	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
योग :	८९		—	८	—	—	८०	—	—	—	—	—	—	८९

परिशिष्ट ६

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या ६७ का उत्तर देखिये)

तालिका सांडों की चराई उदयपुर डिवीजन

संख्या १२—पानरवा		ऊंटों व सांडों की संख्या जिनकी चराई फीस वसूल हुई है।		गांव जिनके ऊंट व सांडें चरी हैं।
१	२	३	४	५
१—कुरावड		६२-६३	४६४६	बेड की ढाणी, मायदा, मांकडला, सीसवीकी ढाणी, करौली की ढाणी, जगत की ढाणी, बगले की ढाणी।
२—धरियावद		,,	३२६	गादोली, ढाणी, भदेसर, सीसवी मांडकला, पालवा, बेड, मावली।
३—कोटडा		,,	११२७	सिरोही डिविजन उदयपुर रेंज व कुम्भलगढ़ रेंज के ऊंट व साडें चरी हैं।
४—परसाद		,,	२११६	केजढ की ढाणी सेमारी की ढाणी।
५—सलुम्बर		,,	१४२१	दगार, शिवपुर, जावड, भदेसर, नान्देली, हताई।
६—खैरवाडा		,,	४८०	डैया, सेरा।
७—बानसी		,,	४२१	आलों की ढाणी, करावली की ढाणी, हकवाडा, करौली।
८—गोगुन्दा		,,	६८८	कोलर की ढाणी, जुनागढ की ढाणी।
९—कुम्भलगढ़		,,	३६६	बडगुला, मदार।

१	२	३	४	५
१०–उदयपुर		,,	३७२३	लाडलियों का खेड़ा की ढाणी, पीपली की ढाणी, सीसवी की ढाणी, गुडली की ढाणी, ग्रालों की ढाणी, एकलिंगपुरा की ढाणी, पावटा की ढाणी, गेमरिया की ढाणी, बिजनवार की ढाणी, सोड-वास की ढाणी, पांध डेडरों की ढाणी, पांवा की ढाणी, रूपाखेडी की ढाणी, उमटी रावचा, माल का गुढा, मेगटिया, उठारडा, कोठारिया, करौली, बलीचा, मकाना, मावली, मैसडा की ढाणी, गादौली की ढाणी, बाठरडा की ढाणी, नया तालाव, गोठिया की ढाणी, तांणा की ढाणी, सबवाढा की ढाणी, बगरोदी की ढाणी, बासलिया की ढाणी, साकरिया खेडी ।

शुद्धि–पत्र

(बुधवार, दिनांक ४ मार्च, १९६४)

स्कम्भ सं०	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
३	१६	उप-मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग	उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण
४	१४-१८	श्री मुकटबिहारीलाल गोयल	श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल
६	१७	,, ,, ,,	,, ,, ,,
११	१०	(अकलेर सु०)	(अकलेरा-सु०)
१२	२२	वद्युत् मन्त्री	विद्युत् मंत्री
१५	शीर्षक	—४ माच, १९६४—	—४ मार्च, १९६४—
१६	शीर्षक	,, ,,	,, ,,
२७	१८	श्री श्रवललाल, (हिण्डोन)	श्री श्रवणलाल (हिन्डौन)
३१	८	(श्री बालकृप्ण कौल)	(श्री बालकृष्ण कौल)
३२	६,१३	श्री मुकटबिहारीलाल गोयल	श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल
३४	५,१८	श्री विठ्ठल भाई	श्री विट्ठल
३६	७	श्री माणकचन्द सुराणा	श्री मानिकचन्द सुराणा
४०	१४	श्री भवानीशकर नदवाना	श्री भवानीशंकर नन्दवाना
,,	१८	(श्री नाथूराम मिर्वा) :	(श्री नाथूराम मिर्धा)
४७	१७	श्री हरीश्चन्द्र	श्री हरिश्चन्द्र
,,	२२	श्री उपाध्य	श्री उपाध्यक्ष
५१	७	श्री भवानीशकर नन्दवाना	श्री भवानीशंकर नन्दवाना

१	२	३	४
५४	११	श्री चतुर्भुज उपाध्याय बेंगूं :	श्री चतुर्भुज उपाध्यय : बेंगूं
५८	५	श्रा भवानीशंकर नंदवाना	श्री भवानीशंकर नन्दवाना
६७	शीर्षक	—४ मार्च, १६६३—	—४ मार्च, १६६४—
७०	शीर्षक	अतरांकित प्रश्नोत्तर	अता रांकित प्रश्नोत्तर
७३	५	मुकदमे	मुकदमें
,,	६	श्री विटठल	श्री विट्ठल
७६	शीर्षक	अता रांकित प्रश्नोत्तर	स्थगन-प्रस्ताव
७७	शीर्षक	—४ माव, १६६४—	—४ मार्च, १६६४—
,,	१	मनोरजन	मनोरंजन
६७	शीर्षक	नया विज्ञापग-४ मार्च, १६६४-कर (संशोधन)	तथा विज्ञापन-४ मार्च, १६६४-कर (संशोधन)
१०४	शीर्षक	(संशोधन)	(संशोधन)
११४	,,	,,	,,
१२०	,,	,,	,,
१२२	६,२१	श्री मुकटबिहारीलाल गोयल :	श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल
१३१	शीर्षक	—४ मार्च, १६६४—	—४ मार्च, १६६४—
१३७	शीर्षक	मनरंजन	मनोरंजन
,,	७	श्री निरजननाथ आचार्य	श्री निरंजननाथ आचार्य
१५६	१५	श्री माणिकचन्द सुराणा	श्री मानिकचन्द सुराणा
१६६	६	श्री मानिकचन्द सु णा	श्री मानिकचन्द सुराणा

१	२	३	४
१६८	शीर्षक	वर	कर
१७१	अन्तिम से ४	(मुख्य मात्री)	(मुख्य मंत्री)
१७६	शीर्षक	(संशौधन)	(संशोधन)
१८६	२३	श्री गौकुलप्रसाद शर्मा	श्री गोकुलप्रसाद शर्मा
१८८	१३,१६	श्री मुकटबिहारीलाल गोयल	श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल
१८६	६	,, ,, ,,	,, ,, ,,
१६४	शीर्षक	वि ो याक	विधेयक
१६७	शीर्ष	(श्री घेरोंसिह)	(श्री भैरोंसिह)
१६६	शीर्षक	मनरंजन	मनोरंजन
,,	शीर्ष	(श्री भेरोंसिह)	(श्री भैरोंसिह)
२०५	शीर्ष	(श्री मैरोंसिह)	(श्री भैरोंसिह)
२१५	४	(रानीवाग)	(रानीवाड़ा)
२३०	१६	(रानी बाडा)	(रानीवाड़ा)
२३८	शीर्षक	(संशौधन)	(संशोधन)
,,	अन्तिम से ३,२	म० पू० १.३० बजे.	म० प० १.३० बजे
२३६	शीर्षक	संक्षिप्त विवरण-४ मार्च, १६६४-संक्षिप्त विवरण	—
२४३	शीर्षक	परिशिष्ट-४ मार्च,१६६४-परिशिष्ट	—
२४५	१८	कुवर श्री महेन्द्रसिह	कुंवर श्री महेन्द्रसिह
२५३	शीर्षक	—४ मार्च, १६६४—	—४ मार्च, १६६४—
,,	२	प्रश्न संख्या ६७ का	प्रश्न संख्या ६८ का

नोटः—विस्तृत शुद्धि-पत्र बाद में पृथक से मुद्रित होगा।